स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों में
महिलाओं, जेंडर और अधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण

arrow

बदलाव के लिए

vol. 23 no. 1 2017
अनुवाद 2017
issn 1394-4444

परस्परच्छेदः धर्म का राजनीतिकरण तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार

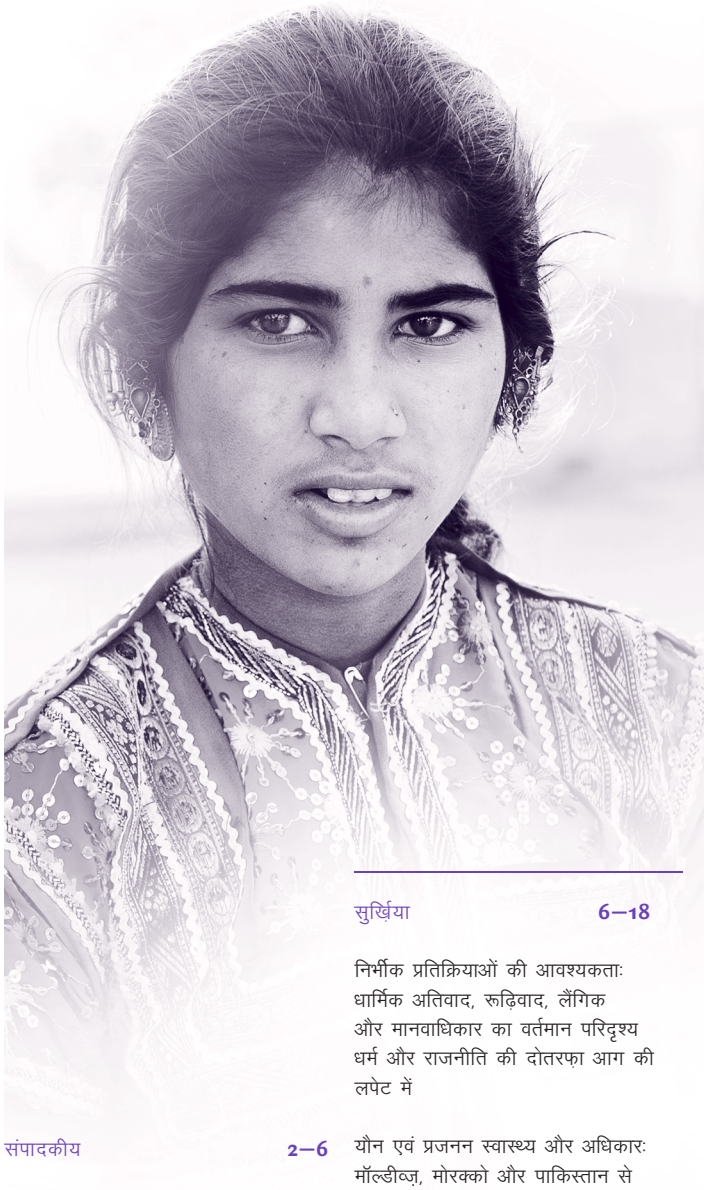

संपादकीय 2–6

धर्म और राजनीतिः
महिला–अधिकारों के लिए चुनौतियाँ

सुर्ख़िया 6–18

निर्भीक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताः
धार्मिक अतिवाद, रूढ़िवाद, लैंगिक
और मानवाधिकार का वर्तमान परिदृश्य
धर्म और राजनीति की दोतरफ़ा आग की
लपेट में

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारः
मॉल्डीव्ज़, मोरक्को और पाकिस्तान से
उदाहरण

धार्मिक नियंत्रण और युवा पीढ़ीः
बांग्लादेश और भारत में व्यापक यौन शिक्षा

वैश्विक दक्षिण से आवाज़ें 19–28

महिला–मानवाधिकारों के लिए
धर्म और राजनीति का पुनः संयोजनः
फ़रीदा शाहिद के साथ वार्तालाप

लैंगिक न्याय की खोज में धर्म से पूछताछः
फ़ुलाटा मोयो के साथ वार्तालाप

देशीय और क्षेत्रीय गतिविधियों का अनुश्रवण
29–33

एक कदम आगे, 10 कदम पीछेः
CEDAW और टोंगा

लेटिन अमेरिका और कैरिबियन में
धार्मिक रूढ़िवादिता

ऐरो के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और
अधिकार ज्ञान साझा केंद्र से संसाधन
33–37

चयनित ऐरो संसाधन 37–39

परिभाषाएँ 40–41

तथ्य सूची 41–47

धर्म का (दु)रुपयोगः
बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, म्यानमर
और फ़िलीपींस से उदाहरण

संपादकीय व रचना समूह 48

published by
the asian-pacific resource & research centre for women (arrow)

championing
women's sexual and
reproductive rights

हिन्दी अनुवाद

CNS

ARROW received institutional support from the Ford Foundation and Foundation for a Just Society (FJS)

Sida

धर्म और राजनीतिः
महिला–अधिकारों के लिए चुनौतियाँ

हमने यह अनुमान तक नहीं लगाया था कि जब कैरो और बीजिंग एजेंडा[1] सफल हो जाएँगे तब राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, और विश्व स्तर पर, तथा सीमाओं के आर–पार हम एक धार्मिक अतिवाद का पुनरुत्थान देखेंगे। इस आक्रमण के कारण कई सारे ऐसे अधिकार, जो हमने सोचे थे कि महिलाओं और लड़कियों को प्राप्त हो जाएँगे और मज़बूती से स्थापित हो जायेंगे, वे सब नए सिरे से ख़तरे में हैं। अधिकारों पर तीव्र हमला किया गया है, और हालाँकि इसे सामान्यतः धार्मिक कट्टरवाद के नाम से जाना जाता है, यह अन्य राजनीतिक प्रवृत्तियों में रचा बसा है जिन्हें जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम से वर्णित किया जा सकता है।

ये तीन शब्द – राष्ट्रवाद, जातीयता, और धर्म – बहुत हद तक शक्तिशाली राजनीतिक और पित्रसत्तात्मक धारणा हैं। यह दृग्विषय किस बात का प्रतिनिधि है, इसको पूरी तरह से समझने के लिए इन शब्दों को परिभाषित करना हमारे लिए उपयोगी है। राष्ट्रवाद एक अवधारणा है जो देश के साथ जातिगत पहचान पर आधारित है, और इस पहचान पर आधारित होकर संप्रभुता, आत्म निर्णय और स्वशासन का समर्थन करती है। जातीयता उस पहचान की ओर इशारा करती है जो प्रायः विरासत में मिलती है तथा साझा वंश, संस्कृति, भाषा और रीति–रिवाज़ों पर आधारित है। जातीय–राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का जाति आधारित स्वरूप है जो अपने चरम रूप में इस धारणा को इंगित करता है कि किसी राज्य की नागरिकता केवल एक ही जाति या संस्कृति– समूह के लिए सीमित होनी चाहिए।

धर्म में सम्मिलित हैं आस्था, धार्मिक क्रिया, मूल ग्रन्थ, और अतींद्रिय के बारे में विश्वदृष्टि, तथा इनका प्रयोग पहचान–विभेदक के रूप में किया जाता है। जातीयता प्रायः एक आम/सार्वजनिक धर्म की सूचक होती है, और धार्मिक राष्ट्रवाद का मतलब है जब धर्म के साथ, जातीयता, भाषा और संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान का द्योतक हो जाता है।

जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद तब एक ऐसा दानव है जिसको जाति और धार्मिक, दोनों ही पहचानें भड़काती हैं, और जो इस विचार को सुदृण करता है कि राष्ट्र की राजनीतिक वैधता मूल रूप से धार्मिक सिद्धांतों के अनुपालन से प्राप्त की जाती है। जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करता है और उन्हें महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता के ज़रिये परिभाषित कर उन पर जबर्दस्ती थोपता है।

परंतु इस दानव से लड़ने के लिए, हमें पहले इसे समझना होगा, और उन स्थितियों को भी समझना होगा जिन्होंने इसे उत्पन्न किया है। अतीत में राष्ट्रों ने धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र को ही आगे बढ़ाने का उचित रास्ता माना था। परंतु आज अपने को इक्कीसवीं सदी में आगे ले जाने के लिए देशों ने राष्ट्रीय धर्म को अपनाना आरम्भ किया है – जैसे कि बौद्ध श्री लंका, ईसाई अमेरिका, हिन्दू भारत और मुस्लिम टर्की। अनेक देशों में राष्ट्रीय धर्म प्रायः किसी एक बहुसंख्यक जातीय अथवा प्रजातीय समूह से सम्बद्ध होता है।

जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को एक–दूसरे में मिलाने की कोशिश करता है और उन्हें महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता के ज़रिये परिभाषित कर उन पर ज़बर्दस्ती थोपता है। यही सब वर्तमान राजनीतिक वातावरण हम जैसे लोगों के लिए – जो महिला–अधिकारों, यौन एवं प्रजनन अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं – बहुत चुनौतीपूर्ण बना रहा है।

इन समूहों का तीव्र आवाह्न है लोकतन्त्र की आड़ में बहुसंख्यकवाद[2] और पित्रसत्तात्मक राजनीति की ओर वापसी। महिलाओं, जातीय–धार्मिक अल्पसंख्यकों और यौनिक अल्पसंख्यकों की समानता तथा विविधता की स्वीकृति – ये सब बहुसंख्यकों के लिए ख़तरा माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है

Notes & References

1 ये जनसँख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन, जो 1994 में कॉयरो में हुआ था (अतः कॉयरा नाम से जाना जाता है), तथा महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन, जो 1995 में बीजिंग में हुआ था (अतः बीजिंग नाम से जाना जाता है) को सम्बोधित करते हैं.

2 "बहुसंख्यकवाद एक पारम्परिक राजीनीतिक दर्शन अथवा एजेंडा है जो इस बात पर बल देता है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग (जो कभी कभी धर्म, भाषा, सामाजिक वर्ग या अन्य पहचानकारक के आधार पर वर्गीकृत होता है) कुछ हद तक समाज में प्रधानता का हकदार है, तथा उसे उन निर्णयों को लेने का अधिकार है जो समाज को प्रभावित करते हैं. " "Majoritarianism," accessed April 27, 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Majoritarianism

कि यह दृग्विषय महाद्वीपों, विभिन्न जातियों और धर्मों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

यद्यपि धर्म इस दृग्विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परन्तु यह एकमात्र हिस्सा नहीं है। बढ़ती हुई गरीबी, अथाह असमानताएं और अन्याय, अवसरों और संसाधनों की अनुपलब्धता, कमज़ोर शासन, एवं शिक्षा का निम्न स्तर – ये सभी वह आधार हैं जो जातीय राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। इस्तेमाल में लाये गए तर्क एकपक्षीय हैं। पहला तर्क है 'उस दूसरे' की सरल पहचान – वह जो संसाधनों और अवसरों को घटा कर, गरीबी और असमानताओं को उत्पन्न करता है; दूसरा तर्क है कि बहुवाद और उदारवाद विचारधाराएँ 'उस दूसरे' को समान अधिकार देती हैं और 'उस दूसरे' को बहुसंख्यकों से अधिक समर्थ बनाती हैं; तीसरा तर्क है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र धार्मिक मूल्यों पर आधारित बहुसंख्यक राजनीति के द्वारा अच्छा शासन करेगा और संसाधनों और अवसरों का बहुसंख्यकों में न्याय संगत वितरण करेगा; अंतिम तर्क निःसंदेह यह है कि जो व्यक्ति उदारवाद और बहुवाद का दावा करते हैं (इनमें अधिकांशतः लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, कुईर (LGBTIQ) सक्रीय प्रतिभागी हैं), वे इस धार्मिक, बहुसंख्यकवादी और जातीय–राष्ट्रवादी राष्ट्र की सफलता के रास्ते में आड़े आते हैं। अतः उन्हें राष्ट्र का शत्रु माना जाता है। वे भी 'उस दूसरे' की श्रेणी में आ जाते हैं। 'उस दूसरे' की श्रेणी विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समूहों में प्लावित हो जाती है। ये एकतरफा तर्क आकर्षक हैं, आसानी से अवशोष्य हैं, और उगले जा सकते हैं। परंतु जातीय–राष्ट्रीय धार्मिक कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई गरीबी, असमानता और अस्थिरता के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं करा पाती है। ना ही वह आर्थिक नीतियों को चुनौती देती हैं – विशेषकर नव–उदारवादी आर्थिक नीतियाँ, जैसे कि निजीकरण, राजकोषीय मितव्ययिता, अविनियमन, मुक्त व्यापार और समाज कल्याण सेवाओं में सरकार की भूमिका को कम करना – जो गरीबी, असमानता और पक्षपात को गहरा करती जाती है।

धर्म के आधार पर महिला अधिकारों, विशेष रूप से यौन और प्रजनन अधिकारों, पर लगाई गयी पाबंदियों के विरोध में हुई बहसों में दो दृष्टिकोण देखने में आते हैं। एक है धर्म की रूपरेखा के अंतर्गत काम करना, तथा न्यायोचित और कम पक्षपाती व्याख्या को बढ़ावा देना जो अधिकार प्राप्ति को सुगम

जातीय–राष्ट्रीय धार्मिक कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई गरीबी, असमानता और अस्थिरता के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं करा पाती है। ना ही यह आर्थिक नीतियों को चुनौती देती हैं – विशेषकर नव–उदारवादी आर्थिक नीतियाँ जैसे कि निजीकरण, राजकोषीय मितव्ययिता, अविनियमन, मुक्त व्यापार और समाज कल्याण सेवाओं में सरकार की भूमिका को कम करना – जो गरीबी, असमानता और पक्षपात को गहरा करती जाती है।

बनाती है, और विलोमतः। निःसन्देह कुछ सहयोगी संस्थाओं और आस्था–आधारित संगठनों ने इस प्रकार की कूटनीतियों से सफलता प्राप्त की है। मॉल्डीव्ज़ में ऐरो (ARROW) की सहयोगी संस्था Society for Health Education (SHE)[3] ने कुछ प्रगतिशील धार्मिक विद्वानों के साथ गर्भपात उपलब्ध कराने सम्बन्धी एक फ़तवा[4] को पारित करने के लिए काम किया। इन विद्वानों ने हदीथ[5] की कुछ आयतों का उद्धरण दिया जो उन परिस्थियों का समर्थन करतीं थीं जिनके अंतर्गत गर्भपात स्वीकृत था। उन्होंने कुछ ऐसी आयतों को भी उद्धत किया जो विभिन्न मुद्दों पर प्रगतिवादी थीं – जैसे अंतरंग साथी के द्वारा की गयी हिंसा या वैवाहिक बलात्कार का विरोध, या गर्भनिरोध का समर्थन। ये नीतिगत और सफल था, विशेषकर मॉल्डीव्ज़ के सन्दर्भ में, जहाँ सामान्यतः इस्लाम की एक–रूप समझ थी।

मुस्लिम देशों, जैसे इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, में गर्भ निरोध और परिवार नियोजन उपलब्ध कराने का अधिकतर काम इसी प्रगतिशील विचारधारा वाली रणनीति से किया गया, जिसने बच्चों के जन्म में अंतर बनाने वाले मुद्दे को भी बढ़ावा दिया।

यह रणनीति सेनेगल जैसे देशों में महिला जननांग विकृति के मामले में भी सफल रही है।

दूसरा दृष्टिकोण एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष ढांचे में काम करने का है जो महिला समानता को पहचानता है और बढ़ावा देता है। मोरक्को में हमारी सहयोगी संस्था एसोसिएशन मारोकैन डी प्लानिफ़िकेशन फेमिलियल ने भी सुरक्षित

Notes & References

3 Society for Health Education (SHE), Perceptions of Islam and Sexual and Reproductive Health and Rights in the Maldives (Male and Kuala Lumpur: SHE and Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/interlinkages-religion-srhrmaldives/.

4 फतवा किसी इस्लामिक धार्मिक नेता द्वारा दिया गया आदेश अथवा वैधिक मत है "Fatwa," Merriam-Webster, accessed April 27, 2017, https://www.merriam-webster.com/dictionary/fatwa.

5 हदीथ पैगम्बर मुहम्मद द्वारा दी गयी परम्पराओं या कथनों का अभिलेख है, जो धार्मिक कानून और नैतिक मार्गदर्शन के एक मुख्य स्त्रोत के रूप में पूजनीय और स्वीकार्य है और इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के प्रभुत्व के बाद दूसरे नंबर पर है। "Hadith," Encyclopaedia Britannica, https://global.britannica.com/topic/Hadith.

गर्भपात की पहुँच पर काम किया है[6]। दिलचस्प बात यह है कि मल्लिकी स्कूल, जिसकी व्याख्याओं को सबसे सख़्त और कठोर माना जाता है और जो गर्भपात को वर्जित मानता है, वह मोरक्को के इस्लामिक दर्शन में सबसे अग्रणी है। परंतु फिर भी सहयोगी और हितधारक, समाज कल्याण तर्कों का इस्तेमाल करके सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच कराने में सफल रहे। बलात्कार, व्यभिचार और भ्रूण विकृति की स्थिति में गर्भपात की अनुमति दिलाने के लिए मौजूदा कानून को संशोधित करवाने में भी हितधारक सफल रहे। यह रणनीति मोरक्को में सफल रही जो एक संवैधानिक राजतन्त्र है – जहाँ के प्रगतिशील राजा को सामाजिक कल्याण के तर्कों ने आकर्षित और आश्वस्त किया और यह देश अभी भी बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष है।

धर्मनिरपेक्ष ढाँचे के अंतर्गत काम करना सक्रीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों को महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता, अधिकार और चुनाव के अधिकार के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। धार्मिक ढाँचे के अंतर्गत काम करना अवश्य ही कुछ सीमाओं में बांधता है। उदाहरण के लिए धार्मिक नेता जब गर्भनिरोध और परिवार नियोजन तक पहुँच, अविवाहित और युवाओं के लिए व्यापक यौन शिक्षा, बाल–विवाह और ज़बरन शादियों पर रोक, एवं भिन्न यौनिक रुझान और जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति के लोगों के प्रति भेदभाव न करने का समर्थन करते हैं, तब भी वे सार्वभौमिक रूप से संतति निग्रह का समर्थन नहीं करते। और यह तब है जब सभी धर्मों में इन मामलों के समर्थन में उदारवादी व्याख्याएँ मौजूद हैं। तब प्रश्न यह है कि उदारवादी व्याख्याएं विस्तृत रूप से मान्य क्यों नहीं होतीं और इनका अधिक प्रयोग क्यों नहीं होता? ऐसा मूल रूप से इसलिए होता है क्योंकि धार्मिक व्याख्याएँ निर्वात में नहीं होतीं और न ही केवल किताबों और विद्वानों के साथ विचार–विमर्श से।

प्रगतिवादी धार्मिक विचारधारा को मुख्य धारा में लाने के लिए पाँच अंतर्निहित चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती यह है कि अनेक देशों में बहुत मज़बूत जातीय–राष्ट्रवादी सम्भाषण है जो धार्मिक व्याख्या के लिए प्रसंग उपलब्ध कराता है। श्री लंका में वीमेन एंड मीडिया कलेक्टिव का एक शोध[7] यह दिखाता है कि राष्ट्रपति राजपक्षे के नेतृत्व वाली श्री लंका की पिछली राजनीतिक सरकार बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित दक्षिण पंथी 'बोधु बोलू सेना' के उदय से सम्बद्ध थी। गर्भ निरोध और परिवार नियोजन पर 'बोधु बोलू सेना' का सम्भाषण बहुसंख्यक राजनीति पर आधारित था, और इस बात पर भी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे कि मैरी स्टोप्स इंटरनेशनल और पीएसआई, का एजेंडा सिंहली महिलाओं को बाँझ बनाकर सिंहला बौद्धों की जनसंख्या को कम करने का था। उसी समय श्री लंका को एक बौद्ध देश के रूप में सुरक्षित रखने हेतु मुस्लिम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रति दंपत्ति दो बच्चे तक सीमित करने के संवाद भी उभर कर आए। बहुसंख्यक राजनीति का यह आधार और बहुसंख्यक जाति को बनाये रखना, प्रगतिशील विचारों को उभरने और उन्हें समाज में मान्यता मिलने से रोकता है।

प्रगतिशील विचारों को अपनी जड़ें खोजने के लिए दूसरी चुनौती यह है कि बहुत से देशों में धर्म को पहचान–राजनीति (identity politics) के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ग्रामीण महिला समाज केंद्र[8] द्वारा किये गए शोध में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें यह बात उभर कर आई कि किस प्रकार से मिश्रित विवाह (भिन्न धर्म वाले व्यक्तियों के बीच विवाह) को हतोत्साहित और वर्जित किया जाता था – कभी कभी तो बहुत दबाव और हिंसा के साथ, जो विशेष रूप से महिलाओं पर लगाए जाते थे। म्यानमर में भी सरकार ने मिश्रित विवाह को रोकने के लिए एक कानून पास किया[9] और मलेशिया में एक मुसलमान से शादी करने वाले व्यक्ति को पहले इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है[10]। इन मामलों में अपना साथी चुनने की स्वायत्तता, व्यक्ति विशेष, परिवार, और समुदाय की एक समान पहचान के विचारों की शिकार हो जाती है। जाति–धर्म आधारित राष्ट्र में मिश्रित विवाहों को वर्जित, हतोत्साहित या दंडित किया जाता है क्योंकि वे पारंपरिक परिवारों को – जो सामाजिक उत्पादन और प्राथमिक सामाजीकरण के मुख्य स्थान हैं – आतंकित करते हैं।

तीसरी चुनौती यह है कि यौन और प्रजनन अधिकारों से सम्बंधित कठोर और सीमित व्याख्यायें गरीबी के संदर्भ में सबसे अधिक मज़बूत है। बांग्लादेश[11], इन्डोनेशिया[12] और पाकिस्तान[13] में हुए शोध यह दिखाते हैं कि गरीब, ग्रामीण, और कम शिक्षित समुदाय, विकास के बिंदु पथ से अधिक दूर थे और आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुँच कम थी। इन शक्ति और संसाधन दुर्लभ क्षेत्रों में समुदाय के लोग अक्सर उस समुदाय के लीडरों, धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली

Notes & References

6 Fadoua Bakhadda, Religious Fundamentalism and Access to Safe Abortion Services in Morocco (Rabat and Kuala Lumpur: Moroccan Family Planning Association and ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/interlinkagesreligion-srhr-morocco/.

7 Smriti Daniel, Zainab Ibrahim, Darshi Thoradeniya, Edna Malkanthi, and Evangeline de Silva, Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka: A Social Media, Print Media and Policy Review (Colombo and Kuala Lumpur: Women and Media Collective and ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/ethno-religiousnationalism-srhr-sri-lanka/.

8 P. Balasubramanian, Rajalakshmi Ram Prakash, and N. Srilakshmi, Religious Fundamentalism and Comprehensive Sexuality Education in South India (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/religious-fundamentalism-comprehensivesexuality-education-cse-south-india/.

9 Rachael McGuin and Nang Lao Liang Won, Myanmar/Burma–Breaking Barriers: Advocating Sexual and Reproductive Health and Rights (Kuala Lumpur: ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/myanmar-burma-country-study/.

10 "Freedom of Religion in Malaysia," accessed April 27, 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Malaysia#Marriage_and_divorce.

11 Nazme Sabina, Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh (Dhaka and Kuala Lumpur: Naripokkho and ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/religious-extremismcomprehensive-sexual-reproductive-healthrights-secondary-higher-secondary-educationbangladesh/.

12 Atashendartini Habsjah, The Influence of Conservative Religious Interpretations on Child Marriage in West Java and East Java (forthcoming publication by Yayasan Kesehatan Perempuan/Women's Health Foundation and ARROW).

13 Nazish Brohi and Sarah Zaman, Impact of Fundamentalist Discourses on Family Planning Practices in Pakistan (Karachi and Kuala Lumpur: Shirkat Gah–Women's Resource Centre and ARROW, 2016), accessed April 27, 2017, http://arrow.org.my/publication/impactfundamentalist-discourses-family-planningpractices-pakistan/

लोगों के नियंत्रण में रहते थे। समुदाय के ये सामाजिक नेता जेंडर और धर्म, दोनों का प्रयोग वर्गीकरण को ख़त्म करने के बजाय उसको थोपने के लिए करते हैं क्योंकि इन समुदायों की पहुँच शिक्षा, यातायात, तकनीकि व प्रगतिशील विचारों तक कम थी, तथा एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था, जो विभिन्न प्रगतिशील विचारों का समर्थन करे, उनके अस्तित्व में नहीं थी। इन मामलों में धार्मिक नेताओं ने जो भी काम किए उसने महिलाओं को अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए निर्णय

यौन और प्रजनन अधिकारों से सम्बंधित कठोर और सीमित व्याख्यायें सबसे अधिक मज़बूत गरीबी के संदर्भ में है। बांग्लादेश, इन्डोनेशिया और पाकिस्तान में हुए शोध यह दिखाते हैं कि गरीब, ग्रामीण, और कम शिक्षित समुदाय और विकास के बिंदु पथ से अधिक दूर थे और आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक संसाधनों तक उनकी पहुँच कम थी

लेने में समर्थ बनाने के बजाय जेंडर (लिंग) शक्ति असंतुलन को ही बढ़ावा दिया।

चौथी चुनौती थी कुछ विशेष धार्मिक समूहों द्वारा भड़काई गयी अतिवादी व्याख्याओं का एक से दूसरे इलाके में तीव्र गति से निर्यात। इस्लाम में वहाबी/सलाफी दर्शन के आभिर्भाव को इस्लाम की आदर्श व्याख्या माना गया जिसमें महिलाओं की भूमिका और अधिकारों पर अत्यधिक पाबन्दी थी। ईसाई धर्म में अमेरिकन इवांजेलिकल चर्चेस के निर्यात ने गर्भनिरोध, गर्भपात और समलैंगिकों के विरोध के एजेंडा को बढ़ावा दिया[14]। देशों के बीच धार्मिक मतों और समाज कल्याण उपादान के अभिज्ञ निर्यात ने समुदायों की उस स्वाभाविक क्षमता को क्षीण कर दिया जिसके द्वारा वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने नियम और धार्मिक व्याख्याएं बना सकते (जो उनकी अपनी संस्कृति और उनके द्वारा जी हुई वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती)[15]। जो लोग इस तरह की धार्मिक व्याख्याएं निर्यात कर रहे थे वे धर्मनिरपेक्ष, मानवाधिकार और महिला अधिकार के ढांचों को यह कह कर बेदख़ल कर रहे थे कि ये सब सच्चे धर्म के पालन में ख़तरा हैं। अंतिम चुनौती यह है कि कई देशों में धर्म को संस्थागत कर दिया गया है। वहाँ पर न केवल चर्च, मस्जिद, मंदिर, पुजारी, उस्ताद और साधू और मूलग्रन्थ हैं; वरन् धार्मिक समूह, धार्मिक स्कूल, धार्मिक स्वास्थ्य सेवाएँ, और धार्मिक न्यायालय भी हैं जो इन व्याख्याओं पर आधारित क्रियाओं को कार्यान्वित करते हैं।

एक पूरी सामाजिक[16], आर्थिक[17] और कानूनी[18] प्रणाली है जो धर्म पर आधारित है; जो अलगाव, पवित्रता, अनुष्ठान और कट्टरवाद का समर्थन करती है; और जो न केवल प्रगतिशील व्याख्यायों को सक्षम बनाने, वरन् संस्थागत सुधारों पर भी काम करने की आवश्यकता को जन्म देती है। वर्षों से लूथरन चर्चों में अधिकार–आधारित सक्रिय कार्यकर्ता आगे बढ़ कर यौन और प्रजनन अधिकारों को एक संस्था के रूप में (न कि व्यक्ति विशेष धार्मिक नेता के रूप में) समर्थन देने में सफल हुए हैं। धार्मिक नेताओं में प्रगतिशील विचारों को उत्पन्न करने और बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता, अखंडता और अधिकारों को और मज़बूत और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए।

धर्म की स्वतन्त्रता का समर्थन करने के साथ साथ हमें धर्म से स्वतन्त्रता का भी समर्थन करना चाहिए। विशेष रूप से नए लोकतंत्रों में ऐसे लोकतान्त्रिक संस्थानों को मज़बूत किए जाने की आवश्यकता है जो धार्मिक संस्थानों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रित करने में समर्थ हों, और जब अधिकारों का हनन या अतिक्रमण होता है तब उसका निवारण भी कर सकें – इन दोनों पर बराबर का निवेश होना चाहिए। कमज़ोर शासन के साथ जुड़ी है दंड–मुक्ति की संस्कृति, और इन सभी देशों में राष्ट्र का धर्म के साथ संबद्धीकरण के बावजूद सरकार के सभी स्तरों पर अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतः इस बात पर ज़्यादा पूछताछ की आवश्यकता है कि क्या शक्तिशाली व्यक्ति अपनी धार्मिक कट्टरता को छिपाने के लिए उसे धार्मिकता का जामा पहनाते हैं और लोगों का ध्यान विकास, शासन और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों से हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम इस उथल पुथल वाले समय में समानता, स्वतन्त्रता और गैर–भेदभाव की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन सभी प्रगतिशील आंदोलनों के साथ सहयोग करना होगा जो जाति, धर्म और जेंडर की सीमाओं से परे कार्य करते हैं और एक ऐसा मज़बूत संयुक्त मोर्चा प्रदान करते हैं जो जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद के वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम हैं।

सिवानंथी थानेंथिरान द्वारा
कार्यकारी निदेशक, ऐरो (ARROW) | ईमेल: siva@arrow.org.my | ट्विटर: @SivananthiT

Notes & References

14 Peter Montgomery, "Global Religious Right Asks 'How Far Can We Get?'; And More In The Global LGBT Recap," Religion Dispatches, May 2, 2017, accessed May 16, 2017, http://religiondispatches.org/global-religious-rightasks-how-far-can-we-get-and-more-in-theglobal-lgbt-recap/.

15 Fred R. von der Mehden, "Saudi Religious Influence in Indonesia," Middle East Institute, December 1, 2014, accessed May 16, 2017, http://www.mei.edu/content/map/saudireligious-influence-indonesia.

16 Rose Calnin Kagawa, Andrew Anglemyer, and Dominic Montagu, "The Scale of Faithbased Organisation Participation in Health Service Delivery in Developing Countries: Systemic Review and Meta-Analysis," PLOS One 7-11 (2012): e48457, accessed May 16, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0048457, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0048457.

17 Brett Freudenberg and Mahmood Nathie, "Tax and Religion: Never the Twain Shall Meet?" (paper presented at the 9th International Tax Administration Conference, Sydney, April 8-9, 2010), accessed May 16, 2017, https://www.taxinstitute.com.au/files/dmfile/FeatureArticle-TaxandReligion_20100720.pdf.

18 Azahar bin Mohamed, "The Impact of Parallel Legal Systems on Fundamental Liberties in Multi-religious Societies," accessed May 16, 2017, http://sas-space.sas.ac.uk/6376/1/Azahar_bin_Mohamed_Impact_of_Parallel_Legal_Systems_Research%20Paper.pdf.

साहसिक अनुक्रियाओं की आवश्यकता: धार्मिक अतिवाद, रूढ़िवाद, लैंगिक एवं मानवाधिकार का वर्तमान परिदृश्य

पृथ्वी के कई स्थानों पर निराशाजनक साबित हुए वर्ष 2016 के बाद अब हम नयी व पुरानी चुनौतियों के साथ 2017 के मध्य में हैं। इस वर्ष पर गौर करने से हमें यह परिदृश्य दिखाई देता है: यौन और प्रजनन अधिकारों और जेंडर पर काम करने वाले सक्रीय कार्यकर्ताओं को भविष्य में बहुत काम करने हैं, और मानवाधिकार सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी; उनको भी जो शारीरिक स्वायत्तता या अत्याचार से स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं, या वे जो पर्यावरण और ज़मीन से संबन्धित अधिकारों पर, या श्रमिकों के अधिकारों पर, या खाद्य और जल के अधिकार के लिए, या अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सभा और समिति के आयोजन सम्बंधी अधिकारों पर कार्य करते हैं, उनके लिए भी भविष्य में बहुत काम हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास रक्षा करने वाले अधिकारों की और विघटित करने योग्य दमनकारी तंत्रों की कोई कमी नहीं है – दैनिक आधार पर। (अधिक निंदक/दोषदर्शी क्षणों में हम यह तर्क दे सकते हैं कि यह सांत्वना दायक है कि हमारे पास चुनने के लिए अनेक विकल्प हैं: कोई भी किसी एक अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं है जब कि परिदृश्य ख़तरों से भरा हुआ है।)

इस राजनीतिक क्षण में, वैश्विक उत्तर तथा दक्षिण, दोनों में ही अतिवाद का अभिसरण/सम्मिलन चुनौतीपूर्ण है। धार्मिक अतिवाद की ठोस/ मज़बूत, अविरोधी आलोचनात्मक समीक्षा, सामूहिक रूप से हम सक्रीय कार्यकर्ताओं की रुधिर धार में प्रवाहित होना आवश्यक है। और धार्मिक कट्टरवाद के दृग्विषय को एक अंतरानुभागीय लेंस[1] से देखने की भी आवश्यकता है। एक रचनात्मक, कूटनीतिक प्रतिरोध केंद्र में रहना चाहिए।

धार्मिक तानाशाही और नव उदारवादी आर्थिक नीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूंजीवाद, लिंगवाद, विदेशी भीति, अप्रवासियों का भय, वैश्विक शरणार्थी संकट, सैन्यवाद और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से मानव जीवन के निर्मम हास से इनको मज़बूती मिलती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण – सभी जगह आतंकवाद 'उस दूसरे' के साथ गुंथ जाता है। रक्षा उद्योगों का पोषण बमबारी करने वाले ड्रोन, हवाई तथा समुद्री जहाज़ों (जो सेनाओं को उन क्षेत्रों में भेजने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं जहाँ धर्म – आपके परिप्रेक्ष्य में – का अनुपालन प्रतिबंधित और ख़तरनाक रूप से किया जाता है) की बिक्री के द्वारा किया जाता है। निःसन्देह दुनिया भर में लोग दैनिक जीवन में छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं। घरेलू और आपसी हिंसा, आत्मघाती बम विस्फोट, सामूहिक गोलीबारी, और प्रणालीगत पुलिस क्रूरता – जो किसी विशेष जाति या समूह को लक्ष्य बनाती है, जैसे अमेरिका के अफ़्रीकन–अमेरिकन पुरुष – के सन्दर्भ में यह सच है। इसी बीच सरकारें पाश्चात्य लोकतन्त्र या राष्ट्र संप्रभुता (या राजनीति शास्त्र के अनेकों अन्य शब्द) की दलीलें देकर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त करने में लगी रहती हैं। आखिरकार वे राष्ट्र हैं और राष्ट्र यही करते हैं।

धर्म की कठोर व्याख्याओं के सभी व्यक्तियों – विशेषकर महिलाओं और विशेष रूप से उनके यौनिकता और प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों – पर विनाशकारी प्रभावों पर कोई भी चर्चा कुछ और अतिरिक्त सिद्धांतों पर टिकी होती है।

कोई भी एक व्यक्ति कट्टरवाद का स्वामी नहीं है। किसी भी एक गुट, सरकार या क्षेत्र का प्रणालियों पर एकाधिपत्य नहीं है जो गरीबी और स्त्री जाति से द्वेष को बढ़ावा देती हैं, या जो 'द्वितीय श्रेणी' के नागरिक पैदा करती हैं या नागरिकता– या मानवता – को पूर्ण रूप से नकारती हैं। न ही कट्टरपंथी व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग रह कर काम करती हैं: धर्म का हेरफेर और दुरुपयोग, चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियाँ (विशेष रूप से वैश्विक असमानता की स्थितियाँ, आर्थिक अवसरों की कमियाँ, तथा पूंजीवाद और निगमित लोभ के अन्य प्रभाव), सरकारी और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, और अडिग सैन्यवाद तथा पित्रसत्ता – ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो न केवल अपने आप में और अपने आपसे जुड़े हुए हैं, वरन् उन सब में गुँथा हुआ है एक महत्वपूर्ण धागा: उन सभी के विशिष्ठ जेंडर सम्बंधित निहितार्थ हैं[2]। इनमें से कुछ तो केवल अधिकारों को सीमित करते हैं और कुछ उन्हें ख़त्म कर देते हैं। सभी महिलाएं, और वे व्यक्ति जो यौन और जेंडर सम्बंधी सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं, सभी क्षेत्रों में प्रायः दंडाभाव के साथ निशाने पर होते हैं[3,4]।

धार्मिक कट्टरवाद उस राजनीतिक भक्ति की तलाश पर आधारित है जो महिला

Notes & References

1 मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय (OHCHR) की ये हाल की रिपोर्टें उग्रवाद और कट्टरवाद, दोनों को, अधिक विस्तार से सम्बोधित करती हैं: Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association (A/HRC/32/36, on the impact of fundamentalism) http://undocs.org/A/HRC/32/36; and Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights (on religious extremism and fundamentalism) https://gallery.mailchimp.com/67191046cd42cbb7c7d4196b0/files/9e9e7158-d3b9-4b34-89fc-b9dd26352c35/G1700743.pdf

2 इन सन्दर्भों के लैंगिक परिणामों के बारे में, विशेषकर महिला मानवाधिकार रक्षकों के सन्दर्भ में, अधिक जानकारी के लिए देखें: Cynthia Rothschild, ed., Gendering Documentation: A Manual for and About Women Human Rights Defenders (Women Human Rights Defenders International Coalition, 2016), accessed May 17, 2017, http://www.defendingwomen-defendingrights.org/2016/09/04/gendering-documentation-a-manual-for-and-about-women-human-rights-defenders-2/.

3 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "A/HRC/29/23 Discrimination and Violence against Individuals based on Their Sexual Orientation and Gender Identity: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights," accessed May 17, 2017, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNReports.aspx.

4 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "A/HRC/4/34 Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Yakin Ertürk: Intersections between Culture and Violence against Women," accessed May 17, 2017, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx.

अधिकारों को अस्वीकार करती है, यौन अभिव्यक्ति को सीमित करती है और शरीरों को नियंत्रित करती है। जो अतिवाद धर्म सम्बंधी विचारों के जोड़–तोड़ पर निर्भर करता है, उसके अपने नीति और वास्तविक जीवन के निहितार्थ हैं। यौन एवं प्रजनन अधिकारों के संदर्भ में जो प्रवृतियां और राजनीतिक उद्देश्य धार्मिक अतिवाद को भड़काते हैं, वे वो ताकतें हैं जो गर्भनिरोध को रोकती हैं; यौन–शिक्षा और सेवाओं से इंकार करती हैं, गर्भपात कराने वालों और गर्भपात प्रदाताओं को ग़ैर कानूनी मानती हैं; जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं को तोड़ कर किए जाने वाले विवाह को निषिद्ध और दंडित करती हैं; समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को गिरफ़्तार करती हैं; सेक्स वर्कर और ट्रान्सजेंडर के ऊपर होने वाले आक्रमण को न्यायसंगत ठहराती हैं; जेंडर के मामले में गैर–अनुरूप युवाओं को ठोकर मारकर घरों और स्कूलों से बाहर निकाल देती हैं; गैर सरकारी संस्थानों के कार्यालयों पर छापे मारती हैं; उनकी पूँजी पर रोक लगा देती हैं या फिर उन्हें बंद करवा देती हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए यही वो ताकतें हैं जो विवाह में बलात्कार को मान्यता देती हैं, अपना जीवन साथी चुनने या बच्चे हों या न हों इस बात का निर्णय लेने की अनुमति नहीं देतीं, राजनीतिक सहभागिता को दंडित करती हैं, और विरासत और भू–स्वामित्व के अधिकार को अवैध बनाती हैं।

जो व्यक्ति निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्म में हेरफेर करते हैं और अतिवादी लैंगिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, वे प्रायः इनको अधिनियमित करने के लिए रणनीतियों की एक श्रृंखला को तैनात करते हैं: वे झूठ बोलते हैं, भय को भड़काते हैं, परंपरा और संस्कृति के सिद्धांतों में हेरफेर करते हैं, और झूठे इतिहास रचते हैं।

महिलाएं और हाशिये पर स्थित लोगों को इस प्रकार की चालों से विशेष रूप से ख़तरा रहता है और पहला आक्रमण उन्हीं के ऊपर होता है।

राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत के रूप में धार्मिक कट्टरवाद वैश्विक है और, यदि सभी नहीं तो, अधिकतर धर्मों के बीच है। कई समूहों द्वारा धर्म की अतिवादी व्याख्यायों को स्वीकृति मिलती है और उनका प्रयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया जाता है। कुछ बौद्ध, ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग उन प्रवृत्तियों और नीतियों को बढ़ावा देते हैं जिनका महिलाओं और जेंडर जनित हाशिये पर स्थित लोगों के ऊपर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। चाहे वो वेटिकन, रूसी कट्टरपंथी चर्च, दैएश/आईएसआईएल, बोको हरम, ओपुस देई, डोमिनियनिस्ट्स (Daesh/ ISIL, Boko Haram, Opus Dei, the Dominionists) हों या अन्य ईसाई ईवांजेलिकल समूह हों जो यूनाइटेड स्टेट्स या लेटिन अमेरिका में स्थित हैं – उनके द्वारा जो भी रणनीतियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं वो प्रायः महिला–अधिकार हनन और नारी–द्वेषी स्वरूप को बढ़ावा देतीं हैं, जिनको पूरी तरह से नकार कर अन्ततः ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए[5]।

धार्मिक अतिवाद भू–राजनीतिक स्थानों में पनपता है तथा महिला अधिकारों और यौन स्वायत्तता पर किए गए प्रहारों को क्षेत्रीय और वैश्विक मानवाधिकार प्रणाली के अंदर घुसने के प्रयासों के साथ सम्मिश्रित करता है। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए, यौन अभिविन्यास और जेंडर पहचान से सम्बंधित अधिकारों को सीमित करने के प्रयास, राष्ट्र और नागरिक समाज के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी मानवाधिकार प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित करने के प्रयासों में उलझ कर रह जाते हैं। अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए धर्म में हेरफेर करने वालों की एक आम और वर्तमान रणनीति है क्षेत्रीय और वैश्विक शासन प्रणालियों को निर्दन्त, निर्धन और अवैधानिक बनाना। इंटर–अमेरिकन कमीशन (Inter-American Commission), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council) और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court), ये तीन उदाहरण हैं उन प्रणालियों के जो आक्रमण की चपेट में हैं, अनुमान से कुछ हद तक तो अवश्य ही, क्योंकि इन्हें इस तरह से अभिकल्पित किया गया है कि ये सरकारों को सभी मानवाधिकारों – जिनमें जेंडर और महिलाओं के अधिकार भी शामिल हैं – की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी बनाएँ[6]।

> धार्मिक कट्टरवाद उस राजनीतिक शक्ति की तलाश पर आधारित है जो महिला अधिकारों को अस्वीकार करती है, यौन अभिव्यक्ति को सीमित करती है और शरीरों को नियंत्रित करती है

आगे देखते हुए, कट्टरवादी कार्यक्रमों को चुनौती देना एक अंतरानुभागीय विषय–वस्तु है जो सभी क्षेत्रों के मानावाधिकार रक्षकों को

Notes & References

5 See, for instance, Cassandra Balchin, *Towards a Future Without Fundamentalisms: Analysing Religious Fundamentalist Strategies and Feminist Responses* (Toronto, Ontario: Association for Women's Rights in Development, 2011), accessed May 11, 2017, https://www.awid.org/publications/towards-future-without-fundamentalisms.

6 See, for instance, Gillian Kane, "Latin America in the Crosshairs: Alliance Defending Freedom Takes Aim," *The Public Eye*, Summer 2015, 10-21, accessed May 11, 2017, http://www.politicalresearch.org/2015/07/13/latin-america-in-the-crosshairs-alliance-defending-freedom-takes-aim/.

विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से जोड़ती है। वास्तव में यह एक सामूहिक साहसपूर्ण प्रतिरोध और विरोध का समय है, चाहे वो जेंडर और यौनिकता का मामला हो या किसी और अधिकार का मामला। अच्छी ख़बर यह है कि जिस तरह से अधिकारों के प्रति चेतना की कमी नहीं है, उसी प्रकार रचनात्मक परियोजनाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं – जो विरोध करने की हिम्मत रखते हैं – की भी कहीं कोई कमी नहीं है। जनवरी 2017 में वैश्विक महिला मार्च में महिलाओं और सहयोगियों ने 600 से अधिक विरोध प्रदर्शनों का मंचन किया। हालाँकि आरम्भ में इन्हें अमरीकी चुनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप आयोजित किया गया था, ये सभाएं सभी सात महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों में हुईं और इन्होनें सामाजिक न्याय के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ा।

भारत में विद्यार्थियों ने पिंजरा तोड़: 'छात्रावास के ताले तोड़' अभियान का आयोजन किया, जिसकी माँग थी दिल्ली में महिला विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सस्ता और जेंडर–भेदभाव रहित आवास उपलब्ध कराना। 'पिंजरा तोड़' भेदभावपूर्ण / यौनिक / जातीय प्रथाओं को चुनौती देता है जो महिला विद्यार्थियों की नैतिक रक्षा के समकक्ष है[7]।

अप्रैल 2017 में विभिन्न क्षेत्रों के महिला–अधिकार और नारीवादी संगठनों ने सामूहिक रूप से 'जलवायु न्याय के लिए महिलाओं की वैश्विक पुकार' (Women's Global Call for Climate Justice) नामक विश्व स्तरीय अभियान का आयोजन किया जिसमें हज़ारों लोगों ने एकजुट होकर जलवायु न्याय की मांग की। चल रहे अभियानों में फिजी वीमेन डिफेंडिंग द कॉमन्स प्रोजेक्ट भी है जो छोटे द्वीपीय राज्यों द्वारा झेले जा रहे ख़तरों पर केन्द्रित है। महिला संगठन और मानवाधिकार संगठन लगातार साहस से सत्तावादी ईजिप्ट और तुर्की की सरकारों पर दबाव बनाये रख रहे हैं, इसके बावजूद कि उनको और उनके कर्मचारियों को लगातार प्रशासनिक और व्यक्तिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

महिला कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार समूहों द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता पर एक वेधशाला (The Observatory on the Universality of Human Rights) बनायी गयी है, जिसका उद्देश्य है उन उपक्रमों का अनुश्रवण और विश्लेषण करना जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को कम करने के लिए धर्म, संस्कृति और परम्पराओं का दुरुपयोग करते हैं[8]।

वास्तव में यह एक सामूहिक साहसपूर्ण प्रतिरोध और विरोध का समय है, चाहे वो जेंडर और यौनिकता का मामला हो या किसी और अधिकार का मामला। अच्छी ख़बर यह है कि जिस तरह से अधिकारों के प्रति चेतना की कमी नहीं है, उसी प्रकार रचनात्मक परियोजनाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं – जो विरोध करने की हिम्मत रखते हैं – की भी कहीं कोई कमी नहीं है। जनवरी 2017 में वैश्विक महिला मार्च में महिलाओं और सहयोगियों ने 600 से अधिक विरोध प्रदर्शनों का मंचन किया। हालाँकि आरम्भ में इन्हें अमरीकी चुनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप आयोजित किया गया था, ये सभाएं सभी सात महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों में हुईं और इन्होनें सामाजिक न्याय के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ा।

भारत में विद्यार्थियों ने पिंजरा तोड़: 'छात्रावास के ताले तोड़ो' अभियान का आयोजन किया, जिसकी माँग थी दिल्ली में महिला विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सस्ता और जेंडर–भेदभाव रहित आवास उपलब्ध कराना।

Notes & References

7 Pinjra Tod: Break the Hostel Locks, accessed May 11, 2017, https://www.facebook.com/pg/pinjratod/about/?ref=page_internal.

8 Observatory on the Universality of Human Rights, https://www.oursplatform.org/the-project/.

नारीवादी प्रतिरोध की अन्य दिलचस्प परियोजनाओं में सम्मिलित हैं – फ़िलीपींस की 'ओक्युपाई पांडी' (Occupy Pandi) परियोजना जिसमें शहरी ग़रीब महिलाओं ने आवास परियोजनाओं के मकानों पर कब्ज़ा किया; मैक्सिको में महिलाओं और पत्रकारों की हत्याओं के विरोध में चल रहे प्रयास; अफ़्रीकी महिला समलैंगिकों के गठबंधन की स्वायत्तता परियोजना (The Coalition of African Lesbians Autonomy Project) जो शारीरिक स्वायत्तता पर बातचीत को बढ़ावा देती है; निष्कर्षण उद्योगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और विनियोजन के विरोध में महिलाओं द्वारा वैश्विक विरोध; बेरुत–2017 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और 'मे डे' के अंतरानुभागीय जुलूस जिन्होंने प्रवासी घरेलू श्रमिकों के अधिकारों पर भी ध्यान केन्द्रित किया; सऊदी अरब और कुवैत का अभियान 'आई एम माई ओन गार्जियन', जिसकी जड़ें 2014 के 'सऊदी वीमेन ड्राइविंग' अभियान में हैं; ब्रिटेन के धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन; सुरक्षित गर्भपात प्राप्ति और प्रजनन न्याय के लिए 'एबोर्ट द स्टिग्मा' अभियान; लंबे समय से चलने वाला 'मे 28 इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फ़ॉर वीमेन हैल्थ' और महिलाओं के ख़िलाफ़ 'तकनीकी विरोधी हिंसा वापस ले लो' इंटरनेट अभियान।

बेशक ये उन अनेकों उदाहरणों में से कुछ ही उदाहरण हैं जो संसार भर में होने वाले विभिन्न विचारपूर्ण, रणनीतिक और विविध आयोज़नों को प्रत्यक्ष करते हैं। जैसा कि दशकों के अधिकार सक्रियतावाद से हमने सीखा है, हमें हर संभव तरीके से अपना काम करना चाहिए; कोई भी एक तरीका सबसे अच्छा नहीं है। और जब हम इस वर्ष में स्थापित हो जाते हैं, हम निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण, निर्भीक और भरपूर रणनीतियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा है हम लोग 2017 में, तथा आने वाले वर्षों में ज़ोरदार, होशियार और प्रभावशाली बनेंगे।

सिंथिया रोथस्चाइल्ड द्वारा
न्यू यॉर्क में रहने वाली मानवाधिकार, नारीवाद और यौनिक अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका | ईमेलः crothschild@igc.org

धर्म और राजनीति की दोतरफ़ा आग की लपेट में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारः

मॉल्डीव्ज़, मोरक्को और पाकिस्तान के उदाहरण

अतिवाद का उदयः विश्व में लगभग हर धर्म अतिवादी अल्पसंख्यकों की वृद्धि होते हुए देख रहा है जो असहिष्णुता, उत्पीड़न और हिंसा को न्यायसंगत ठहराने के लिए धर्म का शोषण करते हैं। यह प्रवृत्ति एशिया में प्रचलित है और यह किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, जैसे म्यानमर और श्री लंका में बौद्ध धर्म, फ़िलीपींस में कैथोलिक धर्म, भारत में हिन्दुत्व, तथा बांग्लादेश, इन्डोनेशिया, मॉल्डीव्ज़, मोरक्को और पाकिस्तान में इस्लाम के कट्टरपंथ और अतिवाद के उदय में देखा गया।

इस प्रवृत्ति का मूल किसी एक धर्म या संस्थान रूपी धर्म में नहीं है, बल्कि जातीयता और धर्म की व्यापकता और आपसी जुड़ाव के पहचान चिन्ह के रूप में और इन देशों में धर्म के प्रभुत्व के रूप में है। अतिवादी आवाज़ें पूरे विश्व में पायी जाने वाली युक्तियों का प्रयोग करके समाज पर हावी रहती हैं – डर फैलाकर, राजनीतिक हित, आर्थिक नियंत्रण और धार्मिक ग्रंथों की एक विशेष समझ को लागू करा कर। धार्मिक भाषा राजनीतिक भाषा बन जाती है, क्योंकि धार्मिक विषय वस्तु का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वे लोग, जो कट्टरपंथी और अतिवादी स्थितियों की वकालत करते हैं – चाहे वे शासन अथवा शासन विरोधी तत्व हों – वे प्रभावशाली और प्रचलित बने रहते हैं, अपने 'दैवीय–पद' के कारण नहीं बल्कि उस तरीके की वजह से जिसके तहत उन्होंने राज्य शक्ति या राजनीतिक बहुमत की शक्ति का धूर्तता से प्रयोग करते हुए, सामाजिक व्यवस्था के अपने कथित दृग्विषय को आगे बढ़ाने के लिए धर्म को अपना मुख्य हथियार

बनाया[1]। यह लेख मॉल्डीव्ज़, मोरक्को और पाकिस्तान में एशियन पसिफ़िक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फ़ॉर विमेन (Asia-Pacific Resource and Research Centre for Women - ARROW) के सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों, सिफ़ारिशों एवं आगे के तरीकों पर आधारित है[2]। इसका उद्देश्य है कट्टरवाद और अतिवाद के बढ़ते हुए प्रभावों का, और साथ ही साथ इस्लाम के संदर्भ में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर – विशेषकर परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की पहुँच के सन्दर्भ में धर्म की संकीर्ण व्याख्याओं – के प्रभावों का भी खुलासा करना। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की पूर्ति को सभी के लिए प्रभावित एवं बाधित करने हेतु धर्म द्वारा अपनाये गए विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करते हुए, हमने इन तीन देशों में परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच के संदर्भ में एक प्रतिमान/पैटर्न देखा।

पाकिस्तान में हुए एक देशव्यापी अध्ययन[3] ने कट्टरवादी और अतिवादी संभाषणों के परिवार नियोजन पर प्रभाव के बारे में छान–बीन की; जबकि, मॉल्डीव्ज़[4] के अध्ययन का उद्देश्य था देश में परिवार नियोजन में व्याप्त इस्लामिक सिद्धांतों के मत और धारणाओं को दिखाना। दूसरी ओर मोरक्को[5] के अध्ययन ने देश में असुरक्षित गर्भपात की प्रकृति और परिणामों से सम्बंधित प्रमाणों को जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया, यह समझने के लिए कि धार्मिक कट्टरवाद किस तरह से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए यथोचित नीतियों और प्रथाओं को रोकता है।

ये तीन देश इस लेख के लिए इसलिए चुने गए क्योंकि इनमें कुछ समानताएँ हैं – ये वो देश हैं जिनमें सुन्नी[6] मुसलमान बहुसंख्यक है; उनकी कानूनी प्रणाली उनके उपनिवेशवाद इतिहास (पाकिस्तान और मॉल्डीव्ज़ के लिए ब्रिटिश कानून व्यवस्था, और मोरक्को के लिए फ्रेंच कानून) और इस्लामिक कानून (शरिया[7]) की विभिन्न व्याख्याओं से प्रभावित है। पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्र धर्म है और देश के सारे कानून इस्लाम के आदेशों, जैसा कि कुरान या सुन्नाह में निर्धारित हैं, के अनुसार ही होने आवश्यक हैं। संविधान में ऐसे संस्थानों की रचना की व्यवस्था भी है, जैसे इस्लाम की व्याख्या और उसके प्रयोग का माध्यम बनने के लिए शरीयत न्यायालय। मॉल्डीव्ज़ में इस्लाम शासकीय और एकमात्र राष्ट्र धर्म है, और कानूनी व्यवस्था इस्लामिक कानून और सामान्य अँग्रेजी कानून का मिश्रित रूप है। मोरक्को एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक, संसदीय और सामाजिक राजतंत्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मोरक्को का कानून फ्रेंच सिविल लॉ और मुस्लिम और यहूदी परम्पराओं के संयोजन से बनाया गया है। मोरक्को के संविधान ने भी मोरक्को की कानून प्रणाली को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा समान कारक, जो इन देशों के धार्मिक–राजनीतिक परिदृश्य को शासित करता है, वह है कट्टरवाद और अतिवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। मोरक्को की रिपोर्ट में यह देखा गया है कि 2011 का अरब स्प्रिंग (सरकार विरोधी आंदोलन) मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र (MENA) के परिदृश्य को बदलने में सहायक था। लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मांगों के विस्तृत बदलाव और धार्मिक कट्टरवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते, यह बात मोरक्को में भी स्पष्ट थी। हालाँकि विगत वर्षों में मॉल्डीव्ज़ में इस्लाम धर्म का संयम से पालन किया जाता था, लेकिन अब देश के अंदर जिहादी विचारधारा[8] वाली प्रवृत्तियों के साथ कट्टरवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई उपस्थिति दिखाई दे रही है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि संस्कृति का धीरे धीरे अरबीकरण या वहाबीकरण[9] हो रहा है, और सलाफ़ी–जिहादी विचारधारा युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है[10]। पाकिस्तान में, जहां इस्लाम परम्परागत रूप में बहुसंख्यकों की धार्मिक पहचान के रूप में प्रयोग होता है, अब अपना रूप बदल कर राष्ट्र और समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक मापदंड बन गया है। पाकिस्तान का अध्ययन बढ़ते हुए राजनीतिक इस्लाम पर प्रकाश डालता है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों में बहुत से इस्लामिक आंदोलन हुए – उग्रवादी (जिसको जिहादी के नाम से जाना जाता है) से लेकर समाज सुधार वाले (जिनको तबलीग़ी जमात या दवाह के नाम से जाना जाता है)।

धर्म का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के ऊपर प्रभुत्व और इसके जेंडर प्रभाव: सार्वजनिक और राजनीतिक स्थानों में धर्म के प्रभुत्व का पुनरुत्थान पित्रासत्तात्मक रवैये को मज़बूत करता है, जो महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व और नियंत्रण की पुष्टि करता है।

महिलाओं के शरीर, उनकी यौनिकता, प्रजनन प्रणाली और अधिकार, और उनकी पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं का उपयोग इन समूहों द्वारा मंचित धार्मिक–राजनीतिक झगड़ों में एक अवलंब के रूप में किया जाता है। महिला का शरीर वो मौका बन जाता

Notes & References

1 Sanam Naraghi Anderlini and Madeline Koch, Extremism in the Mainstream: Implications for and Actions by Women (International Civil Society Action Network, 2015), accessed May 17, 2017, http://www.icanpeacework.org/dev/wp-content/uploads/2013/03/Extremism-in-the-Mainstream-UNW.pdf.

2 ऐरो ने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार तक सार्वभौमिक पहुँच के अपने आह्वान में धर्म को एक अवरोध के रूप में चिन्हित किया, और धर्म और यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के बीच परस्पर संबंधों की छानबीन करने हेतु एक 10–देशीय परियोजना की अवधारणा निम्न प्रकार से की – प्रमाण और विश्लेषण उत्पन्न करके; अपने भागीदारों और सहयोगियों के बीच सम्भाषण और पक्ष समर्थन के लिए मंच बनाकर; तथा मौजूदा मानवाधिकार तंत्रों के द्वारा जवाबदेही बढ़ाकर। अन्य अध्ययनों ने गर्भपात, बाल विवाह, व्यापक यौन शिक्षा, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, एवं शारीरिक अखंडता जैसे विषयों को सम्मिलित किया। इस लेख में सम्मिलित अध्ययनों को जिन भागीदारों ने संचालित किया वे हैं मोरक्को से मोरक्कन फैमिली प्लैनिंग एसोसिएशन, माल्डीव्ज़ से सोसाइटी फॉर हेल्थ एजुकेशन (SHE), और पाकिस्तान से शिरकत गाह रिसोर्स सेंटर फ़ॉर वीमेन।

3 Nazish Brohi and Sarah Zaman, National Report: Pakistan–Impact of Fundamentalist Discourses on Family Planning Practices in Pakistan (Karachi and Kuala Lumpur: Shirkat Gah–Women's Resource Centre and Asian Pacific Resource and Research Centre for Women, 2016), accessed May 5, 2017, http://arrow.org.my/publication/impact-fundamentalist-discourses-family-planning-practices-pakistan/.

4 Society for Health Education (SHE) and ARROW. National Report: Maldives–Perceptions of Islam and Sexual and Reproductive Health and Rights in the Maldives (2016), accessed May 5, 2017, http://arrow.org.my/publication/interlinkages-religion-srhr-maldives/.

5 Fadoua Bakhadda, National Report: Morocco–Religious Fundamentalism and Access to Safe Abortion Services in Morocco (Rabat and Kuala Lumpur: Moroccan Family Planning Association and ARROW, 2016), accessed May 5, 2017, http://arrow.org.my/publication/interlinkages-religion-srhr-morocco/.

6 सुन्नी मुस्लिम इस्लाम की बड़ी शाखा को सम्मिलित करते हैं (लगभग 80%–90%) और शिया शेष अल्पसंख्यक को बनाते हैं. विश्व के सभी 1.6 अरब मुस्लिम इस बात से सहमत हैं कि अल्लाह ही ईश्वर हैं और मुहम्मद उनके दूत है, और वे इस्लाम के पांच कर्मकांडी स्तम्भों का पालन करते हैं. परन्तु, सुन्नी पैगम्बर के अभ्यास और उनकी शिक्षा पर भारी भरोसा रखते हैं, जबकि शिया अपने धार्मिक नेताओं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिम्ब मानते हैं.

7 शरिया या इस्लामी कानून इस्लामी मजहब के सदस्यों को शासित करने वाला धार्मिक कानून है. यह इस्लाम के धार्मिक उपदेशों से लिया गया है, खासतौर पर कुरान और हदीथ से. शरिया शब्द अरबी भाषा के शब्द शरीयत से लिया गया है, जिसका अर्थ है नैतिक और धार्मिक कानून की एक संस्था जो, मानव कानून के विपरीत, धार्मिक भविष्यवाणी से ली गयी है.

है जिनके ऊपर धर्म शास्त्रों/परम्पराओं/कानूनों के विभिन्न संस्करणों को विस्तारित कर उन पर विवाद किया जाता है। महिलाओं के शरीर को प्रायः समाज और परिवार की संपत्ति माना जाता है और उन्हें संस्कृति और परम्पराओं के वाहक और धारक के रूप में देखा जाता है। इसलिए महिलाओं द्वारा अपने मूल अधिकारों के दावे को, स्वार्थी व्यक्तित्ववाद का मूर्ख प्रदर्शन मान कर निंदित किया जाता है, और जिसको परिवार, समुदाय और (प्रायः) धर्म का परित्याग और विश्वासघात माना जाता है[11]।

विशेषकर, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार कई कारणों से इन दृष्टांतों में एक प्रतियोगित विषय बना रहता है। इसमें

...इसलिए महिलाओं द्वारा अपने मूल अधिकारों के दावे को, स्वार्थी व्यक्तित्ववाद का मूर्ख प्रदर्शन मान कर निंदित किया जाता है, और जिसको परिवार, समुदाय और (प्रायः) धर्म का परित्याग और विश्वासघात माना जाता है

सार्वजनिक और सामाजिक नीति निर्माण में धर्म की उचित भूमिका या प्रभाव, और सामाजिक नीति रचना पर संघर्ष शामिल है, जो परिणामस्वरूप कट्टरवादी विचारों और धर्म के चरमपंथी व्याख्यायों के प्रभाव से और भी बढ़ जाता है[12]।

द इंटरनेशनल कॉफ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन (The International Conference on Population and Development Programme of Action - ICPDPoA)[13] इस बात को मानता है कि प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार को साकार करना प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे जैसे हम सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की जाँच करना प्रासंगिक है कि मॉल्डीव्ज़, मोरक्को और पाकिस्तान जैसे देशों में धर्म की भूमिका और प्रभाव किस प्रकार से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं। यह किस प्रकार से गर्भ निरोधक सेवा प्रावधान और अंतर्ग्रहण, राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीतियाँ, सूचना और शिक्षा, तथा 2030 तक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में समायोजन को प्रभावित करेगा? 18.2 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की प्रजनन दर एशिया की सर्वोच्च दरों में से एक है, और गर्भ निरोधक प्रयोग की दर सबसे कम है, जिसके परिणाम स्वरुप महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य संकेतक बहुत ख़राब हैं और नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक[14]। 1950 से 1980 तक बेहद कम रहने के बाद, 1990 के आरंभिक वर्षों में पाकिस्तान की गर्भनिरोधक प्रचलन दर (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) ने 1–6% प्रति वर्ष की आशाजनक (हालांकि विलम्ब से) वृद्धि दिखाई। परन्तु वृद्धि में यह उछाल अल्पकालिक था और नयी सहस्राब्दि के पहले दशक में CPR में वृद्धि घटकर औसतन 0–7% प्रति वर्ष हो गयी। पाकिस्तान के 2006–07 के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Pakistan Demographic and Health Survey - PDHS) में पाया गया कि CPR वास्तव में गिर गया था और गर्भनिरोधक उपयोग सर्वेक्षणों के बीच बढ़ा नहीं था। नवीनतम PDHS के आँकड़े दिखाते हैं कि 2006–07 से 2012–13 के बीच CPR में केवल मामूली वृद्धि हुई – 2006–07 में 30% से 2012–13 में 35%। यद्यपि पाकिस्तान में परिवार नियोजन के परंपरागत तरीकों का प्रयोग करने वालों की संख्या उसके पड़ोसी देशों के समान ही हैं (7–9%), परन्तु आधुनिक गर्भनिरोधक का प्रचलन और भी कम है (43–53% की तुलना में केवल 26%)[15]। यद्यपि पाकिस्तान में हुए अध्ययन से कट्टरवाद में वृद्धि और परिवार नियोजन अंतर्ग्रहण के बीच सीधा और तत्काल संबंध स्थापित नहीं हो सका, परन्तु मौजूदा साहित्य इस बात का संकेत देता है कि धार्मिक नेताओं द्वारा विरोध और इस ध ारणा ने, कि परिवार नियोजन इस्लाम के विरुद्ध है, निवारक का काम किया है[16]। इस बात के साक्ष्य हैं कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक नेताओं में वैचारिक स्तर पर और सेवा–प्रावधानों में दखल देकर प्रतिरोध उभरा है।

मॉल्डीव्ज़ में 1980 से जब से बच्चों के जन्म में अंतराल कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ तब से पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। परंतु फिर भी गर्भ निरोध की अपूरित आवश्यकताएँ 28% है और विवाहित जोड़ों के बीच 16% गर्भाधान अवांछित और 19.8% गर्भाधान अनियोजित रिपोर्ट किये गए[17]।

मॉल्डीव्ज़ के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में परिवार नियोजन तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के घटते बढ़ते स्वरूप/रवैये होने के कई कारण है: धार्मिक विद्वानों के धार्मिक उपदेश को धूमिल करती उनकी व्यक्तिगत

Notes & References

8 Azara Naseem, "From Paradise Now to Paradise Hereafter: Maldivian Fighters in Syria," The Clear Banner, May, 11, 2015, accessed May 17, 2017, http://jihadology.net/2015/05/11/the-clear-banner-fromparadise-now-to-paradise-hereafter-maldivianfighters-in-syria/.

9 सुन्नी इस्लाम की एक शाखा, जो अति रूढ़िवादी और कट्टरपंथी के रूप में वर्णित है. इसे सलाफी आंदोलन भी कहा जाता है.

10 American Foreign Policy Council, "Maldives" (2013), accessed May 17, 2017, http://almanac.afpc.org/sites/almanac.afpc. org/files/Maldives_3.pdf.

11 Lynn P. Freedman, "The Challenge of Fundamentalisms," Reproductive Health Matters 4, no. 8 (1996): 55-69.

12 Jocelyn De Jong, Rana Jawad, Iman Mortagy, and Bonnie Shepard, "The Sexual and Reproductive Health of Young People in the Arab Countries and Iran," Reproductive Health Matters, 13, no. 25 (2005): 49-59.

13 ICPD मोटे तौर पर प्रजनन स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित करता है: प्रजनन प्रणाली तथा उसके कार्यों और प्रक्रियाओं से सम्बंधित सभी मामलों में सम्पू र्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की अवस्था न कि केवल रोग या दुर्बलता का अभाव. प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को मिल सके एक सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन; प्रजनन करने की क्षमता; यह निर्णय लेने का अधिकार कि कब और कितनी बार बच्चे पैदा करें; कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार; गर्भ निरोध का अधिकार; प्रजनन सम्बन्धी शिक्षा का अधिकार; तथा गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। देखें: Programme of Action of the International Conference on Population and Development, Cairo, Egypt, Sept. 5-13, 1994, para. 7.2, U.N. Doc. A/ CONF.171/13/Rev.1 (1995), accessed on May 20, 2017, http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-anddevelopment-programme-action.

14 Aga Khan University, International Advocacy Seminar on Family Planning and Reproductive Health, February 12- 13, 2013 (Karachi: Department of Community Health Sciences, Aga Khan University, 2013).

15 National Institue of Population Studies and Measure DHS, ICF International, *Pakistan Demographic and Health Survey 2012-13* (Islamabad and Calverton, Maryland, 2013), accessed May 17, 2017, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr290/fr290.pdf.

16 Fariyal Fikree, et al, "What Influences Contraceptive Use Among Young Women in Urban Squatter Settlements in Karachi, Pakistan?" *International Family Planning Perspectives*, 27, no. 3, (2001), accessed May 17, 2017, https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2001/09/what-influences-contraceptive-use-among-young-women-urban-squatter.

17 Ministry of Health and Family, and ICF Macro, *Maldives Demographic and Health Survey 2009*, Caverton, Maryland: 2010), accessed May 17, 2017, http://dhsprogram.com/publications/publication-fr237-dhs-final-reports.cfm.

आस्थाएँ, इस्लामी ग्रन्थों की शब्दशः और अधूरी व्याख्याएँ, और कुछ समूहों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी व्यापक गलत सूचनाएँ जो कदाचित इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं।

मॉल्डीव्ज़ और पाकिस्तान के अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि परिवार नियोजन और गर्भपात के विरोधी अपनी अस्वीकृति का समर्थन कुरान की इस आयत की संकुचित व्याख्याओं के द्वारा करते हैं– "अपने बच्चों को न मारो अपनी ग़रीबी की दलील देकर, हम तुम्हारे लिए और उनके लिए भरण–पोषण प्रदान करते हैं" (Q6:151)। अधिकांश दर्शन अल'अज़्ल या वीर्यपात से पहले प्रत्याहार को एक स्वीकार्य उपाय के रूप में सहमति देते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से सभी समान परिस्थितियों में नहीं[18]। हदीथ[19] में परिभाषित प्रत्याहार विधि महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को अस्वीकार करती है और इसलिए गर्भनिरोध हेतु किसी भी अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अनुमति नहीं देती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माण को इन शब्दशः और कठोर धार्मिक व्याख्याओं से निर्देशित होने के ख़तरे को यहाँ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आयतें दुधारी तलवार की तरह कार्य कर सकती हैं – समर्थक इस आयत को आधार बना कर केवल प्रत्याहार विधि को मान्यता देकर अन्य सभी विधियों को अस्वीकार सकते हैं। परिवार नियोजन और गर्भनिरोध के निम्न अंतर्ग्रहण के लिए एक और आम रुकावट के लिए पैगंबर मुहम्मद की एक दूसरी हदीथ को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जो एक बहुत बड़ी उम्माह[20] देखने की लालसा का वर्णन करती है। वे दावा करते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या धर्म द्वारा आदेशित है और इसके लिए प्रयास करने में विफल होने का अर्थ है सही राह से विचलित होना। यही औचित्य गर्भपात के विरोध में तर्क के आधार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि मोरक्को में देखा गया[21]। ये आयतें वास्तव में इस्लाम पूर्व अरब की उस प्रथा को रोकने के लिए लिखीं गईं थीं जिसमें माता–पिता की ग़रीबी या बेटी न पैदा करने की इच्छा के चलते नवजात शिशु (विशेष रूप से लड़की को) मार डाला जाता था या ज़िंदा दफना दिया जाता था। मोरक्को में गर्भपात काफ़ी हद तक वर्जित है और विवाहित की सहमति से केवल माँ के जीवन को बचाने के लिए ही स्वीकार्य है। विशेषकर जो अविवाहित महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, उनके लिए गर्भपात अप्राप्य है, क्योंकि दंड संहिता के अंतर्गत शादी से पहले यौन सम्बन्ध स्थापित करना ग़ैरकानूनी है। इसलिए, हालांकि हाल के वर्षों में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है, परन्तु यह अभी भी एक चुनौती है – 2015 में यह दर 121 प्रति 100,000 जीवित जन्म थी; असुरक्षित गर्भपात इन मौतों का एक मुख्य कारण है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि देश में गर्भपात का मुख्य कारण अनचाहा गर्भ है (DHS 2011) जो गर्भ निरोधकों की विफलता तथा अविवाहित महिलाओं और युवाओं की गर्भ निरोधक साधनों तक पहुँच की कमी की वजह से है। यह भी माना जाता है कि किशोरियों में गर्भधारण की बढ़ती हुई दरें भी इन गर्भपात दरों को प्रभावित करती हैं।

मोरक्को में मल्लिकियाह[22] सिद्धान्त प्रमुख है और मल्लिकी फ़िक पारिवारिक कानून और स्थानीय न्यायाधिकरण, जो प्रथागत कानून को संचालित करते हैं, पर लागू होता है। नीतिगत निर्णय और क्रियाएं इस्लाम और स्वीकार्यता के धार्मिक विचारों से प्रभावित हैं। गर्भपात के मामले में अधिकतर इस्लामी दृष्टिकोण भ्रूण विकास की प्रक्रिया की समझ पर आधारित है। कुरान की कठोर व्याख्याओं के अनुसार गर्भपात वर्जित है क्योंकि कुरान सभी प्रकार की हत्याओं की निंदा करता है और मानता है कि अल्लाह ने हर जीवन को पवित्र बनाया है।

इन शोधों से एक मुख्य प्रतिमान जो उभर कर आया है वह यह है कि धर्म के प्रति तानाशाही दृष्टिकोण और धर्म की संकीर्ण व्याख्या जो हम देख रहे हैं, जब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करती है और जन नीतियों को प्रभावित करती है – इस मामले में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबन्धित नीतियाँ – तब वह समस्यात्मक हो जाती है। यह उन विशिष्ट और शक्तिशाली समूहों को, जो धर्म के एकमात्र संरक्षक होने का दावा करते हैं, इस बात के लिए सक्षम बनाती हैं कि वे आस्था और परंपरा की प्रचलित विविधता और अभ्यासों की उपेक्षा या निंदा कर सकें। यह उनके एक अखंड, शक्तिशाली, सजातीय समाज की रचना करने और उसे बनाये रखने के प्रयासों को भी सुगम करती है – यह इस्लाम का एक विशेषतः प्रभावकारी नुस्ख़ा है जो विश्व भर के उम्माह के संरक्षण और एकता का आग्रह करता है।

इन तीन देशों के जाँच परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कट्टरवाद, अतिवाद तथा लिंग और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर इस्लाम की संकीर्ण व्याख्याएँ बहुत हद तक इन देशों की राजनीतिक परिस्थियों का फलन हैं – जो धर्म के बारे में कम, और विशिष्ट समूहों द्वारा शक्ति के दावे की आवश्यकता के बारे में ज़्यादा है।

Notes & References

18 Forouzan Alaeinovin, "A Quranic and Traditional Approach to Contraceptive Methods," *World Appl. Programming* 4, no. 9 (2014): 197-205.

19 हदीथ इस्लामी पैगम्बर मुहम्मद के शब्दों, कार्यों और आदतों का वर्णन करने वाली विभिन्न आख्याओं में से एक है. यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है आख्या, विवरण या कथन. कुरान के बाद हदीथ ही इस्लामी न्यायशास्त्र को विकसित करते हैं और कुरान तथा उसपर लिखी गयीं टिप्पणियों (तफसीरों) को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं.

20 उम्माह का आमतौर पर मतलब है इस्लामी लोगों के सामूहिक समुदाय। कुरान में इसे आमतौर पर एक एकल समूह को संकेतित किया जाता है जो समान धार्मिक आस्थाओं को साझा करते हैं, विशेषकर वे जो मोक्ष की एक दिव्य योजना के विषय हैं.

21 संपादक की टिप्पणी: इस अध्ययन के समय, मोरक्कन दण्ड संहिता के अनुच्छेद 453 के अधिदेश के अनुसार गर्भपात की अनुमति तभी है जब माँ का स्वास्थ्य खतरे में हो. परन्तु हाल ही में मोरक्को सरकार ने मोरक्कन दण्ड संहिता में संशोधन करके गर्भपात को अनाचार, बलात्कार और भ्रूण हानि के मामलों में अनुमति दी. कानून का उदारीकरण मोरक्को के राजा मुहम्मद VI के द्वारा इस कानून पर विचार विमर्श आरम्भ किये जाने के बाद हुआ, जब एक अध्ययन से पता चला कि मोरक्को में प्रतिदिन 800 अवैध गर्भपात होते हैं. यूआरएल देखें: Bryn Miller, "Morocco Liberalises Abortion Laws, Amends Penal Code," *Morocco World News*, June 10, 2016, accessed May 17, 2017, https://www.moroccoworldnews.com/2016/06/188740/morocco-liberalizes-abortion-laws-amends-penal-code/.

22 इस्लामी न्यायशास्त्र का दूसरा दर्शन मलीकिय्यह है. मलीकी सिद्धांतों के स्त्रोत हैं कुरान, पैगम्बर की परम्पराएं (हदीथ), आम सहमति (इज्मा) और उपमान (किया). इज्मा की मलीकी अवधारणा हनाफी से इस मामले में भिन्न थी कि मलिकियों ने इसे मदीना के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय की आम सहमति समझा। परन्तु बाद में मलीकिय्यह दर्शन ने इसे कानून के डॉक्टरों (जो उलमा नाम से जाने जाते हैं) की सहमति माना. "4 Sunni Schools of Fiqh: Sahfii, Hanbali, Maliki, and Hanfi," Islamic Laws, accessed May 20, 2017, http://islamic-laws.com/articles/ sunnischools.htm.

एक प्रमुख प्रतिमान जो इन शोधों से उभरा है वह यह है कि धर्म का तानाशाही दृष्टिकोण और धर्म की एक संकीर्ण व्याख्या जो हम देख रहे हैं, समस्यात्मक हो जाती है जब यह सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करती है और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना शुरू करती है – इस मामले में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबंधित नीतियाँ

आगे बढ़ने के रास्ते: यदि सतत विकास लक्ष्य के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो प्रयासों को मानवाधिकार आधारित पद्धति पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो बिना किसी धार्मिक प्रभाव (या न्यूनतम धार्मिक प्रभाव) के महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकार और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर सकेंद्रित हो। हम सब, जो शक्ति, संस्कृति, धर्म और जेंडर असमानता के जटिल मकड़ जाल के बीच रह कर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के समर्थक के रूप में कार्य करते हैं, हमें अधिकारों की सार्वभौमिकता पर दृढ़ रह कर सभी के लिए जेंडर न्याय तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की मांग करनी चाहिए।

हमारी पैरवी इन अधिकारों को प्राप्त करने में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60/251 स्वीकृत प्रस्ताव (UN General Assembly Resolution 60/251) के अनुसार, राज्य की भूमिका पर ज़ोर देने की आवश्यकता है: "यद्यपि राष्ट्रीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए, तथापि सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करने और उनकी रक्षा करने का दायित्व राष्ट्रों का ही है, चाहे उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कुछ भी हों"[23]।

इस बात की आवश्यकता है कि हम उस धार्मिक गतिशीलता – जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार में सम्मिलित बहुत से मुद्दों को मज़बूत करती है – के बारे में अपनी साक्षरता को विकसित करते रहें।

हम धर्म के प्रभाव से इंकार नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसे दृष्टिकोण पर ज़ोर नहीं दे सकते हैं जो इन गतिशीलताओं को ध्यान में न रखे, क्योंकि यह इन अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एक अधिक सूक्ष्म–भेद युक्त दृष्टिकोण को बाधित कर सकता है। ऐसे संवादों और वार्तालापों को भी निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक व्याख्याओं, शिक्षाओं और मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, अधिकार के दृष्टिकोण से पहचानते हों, ताकि इस मिथक (मिथ्या अवधारणा) को दूर किया जा सके कि मानावाधिकार जैसे सिद्धांत पाश्चात्य हैं और धर्म के लिए ख़तरा हैं।

जैसा कि इन देशों के विष्कर्ष परिणाम बताते हैं, वे अवधारणाएं, जो प्रायः नीति निर्माताओं और धार्मिक नेताओं को मार्गदर्शित करती हैं, अनिवार्यतः उनकी धार्मिक शिक्षा से नहीं, वरन् उनके व्यक्तिगत विश्वासों और अविचार मति से सूचित होती हैं। इस मुद्दे पर और अधिक शोध और निरंतर संवाद करने की संभाव्यता और आवश्यकता है, साथ ही इन अवधारणाओं पर धर्म के प्रभाव का निरंतर अनुश्रवण करने की भी आवश्यकता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार से सम्बंधित इस्लामिक दृष्टिकोण पर साक्ष्य आधारित तर्क वितर्क और संवाद होना ही चाहिए, तथा इस बात की भी आवश्यकता है कि इस बहस को और विस्तृत करके इसमें धार्मिक बुद्धिजीवियों और विविध पृष्ठभूमि के हितधारकों को शामिल किया जाये। हमें समान विचारधारा के ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के साथ गठबंधन करने की अति आवश्यकता को स्वीकारना होगा, जो कट्टरवादी और अतिवादी व्याख्यायों के विरोध में कार्य करते हैं, और संचार माध्यमों के द्वारा विकल्पी आख्यान उपलब्ध कराते हैं, प्रगतिशील धार्मिक बुद्धिजीवियों का समर्थन करते हैं, और धार्मिक फ़ैसलों को सहायक प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं।

मंगला नमासिवायम द्वारा
ऐरो प्रोग्राम मैनेजर, सूचना एवं संचार | ईमेलः mangala@arrow.org.my

Notes & References

23 United Nations, "60/251 Human Rights Council: Resolution adopted by the General Assembly" (2006), accessed May 6, 2017, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf.

धार्मिक नियंत्रण और युवा वर्ग:
बांग्लादेश और भारत में व्यापक यौन शिक्षा

परिचय– युवा वर्ग[1] न केवल हमारा भविष्य हैं; वे हमारा वर्तमान भी हैं, और यदि उन्हें इस बात के लिए समर्थ नहीं बनाया जायेगा कि वे अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना जीवन पूर्ण रूप से जीने में सक्षम हों, तो उनकी क्षमता खो जाएगी। इस सामर्थ्य को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को सुनिश्चित करना[2]।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में युवा पीढ़ी – जो 10 से 24 वर्ष के बीच वाली 1–8 अरब वैश्विक युवा आबादी का 60% है – की स्थिति की जांच करने से पता चलता है कि युवा पीढ़ी में व्यापक यौन शिक्षा की आवश्यकता है। जबकि अधिकतर किशोर अविवाहित रहते हैं, 20–24 वर्ष के बीच की कई युवतियों का विवाह हो जाता है। कम उम्र में शादी करने वालों में से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, कम शिक्षित हैं और ग़रीब हैं। एशिया में 20 वर्ष से कम आयु वाली युवतियों में 25% प्रथम गर्भ धारण विवाह से पहले हुए थे। यह सब यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की कम जानकारी[3,4] और, आधुनिक गर्भनिरोधक सहित, सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण है। इसके अलावा गर्भपात पर प्रतिबंध सुरक्षित सेवाओं की प्राप्ति को सीमित करता है, तथा रुग्णता और मृत्यु दर को बढ़ाता है[3]।

सेक्स से संबन्धित कलंक के फलस्वरूप युवा सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास न करके अपने समकक्ष मित्र समूह से प्राप्त गलत सूचनाओं पर विश्वास कर रहे हैं। अनचाहे गर्भ (विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं में) के परिणामों में कलंक, सामाजिक अलगाव, स्कूल से निष्कासन, ज़बरन विवाह, हिंसा और आत्महत्या आदि शामिल हैं। युवा पुरुषों में सामाजिक अनुकूलन, तथा जेंडर और पुरुषत्व के प्रचलित मानदंडों के कारण सुरक्षित और ज़िम्मेदार व्यवहार का अभ्यास नहीं हो रहा है[3]।

जब किशोरियों का विवाह होता है तो विस्तृत परिवार और पति द्वारा प्रजनन क्षमता साबित करने हेतु दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते उनके पास देरी से गर्भधारण करने का विकल्प नहीं होता[3]। वैश्विक स्तर पर, 15 वर्ष से कम या 15–49 वर्ष आयु की लड़कियों में असुरक्षित गर्भपात के ख़तरों के अलावा, मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है गर्भावस्था के दौरान मृत्यु, जो निम्न कारणों से हो सकती है – रक्तस्राव, रक्तविषंणता, प्राक गर्भाक्षेपक / गर्भाक्षेप, अवरुद्ध और समय से पहले प्रसव तथा प्रसव सम्बन्धी जटिलताएँ[5]। गर्भवती होने के मानसिक प्रभाव और गर्भावस्था तथा बच्चों की देखभाल करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार न होना अन्य परिणाम हैं[5]। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बहुत कम किशोरियों को कुशल देखभाल प्राप्त होती है।

धर्म और यौनिकता – व्याख्याओं और विश्वास के द्वारा धर्म[1] युवाओं की यौनिकता को, तथा उनकी शिक्षा, सूचना और सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है। निःसन्देह, लोगों के जीवन में धर्म की भूमिका को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रायः धर्म को जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है, और इसलिए उसे जीवन के सभी पहलुओं पर एक ज्ञान स्रोत माना जाता है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में युवा पीढ़ी – जो 10 से 24 वर्ष के बीच वाली 1-8 अरब वैश्विक युवा आबादी का 60% है – की स्थिति की जांच करने से पता चलता है कि युवा पीढ़ी में व्यापक यौन शिक्षा की आवश्यकता है।

यह न केवल विचारों को आकार देता है, वरन् विकल्पों, प्रथाओं और लोगों के बीच परस्पर बातचीत को भी आदेशित करता है, और इस प्रकार सीधे उनके सुख और कल्याण को प्रभावित करता है।

परन्तु व्यवहार में धर्म का राजनीतिक रूप में प्रयोग किया जाता है। शक्तिसंपन्न लोगों द्वारा अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए धार्मिक ग्रन्थों और विश्वासों में हेरफेर किया जाता है, और उन्हें ज़बर्दस्ती, कानून के ज़रिये, असहिष्णुता और हिंसा के प्रयोग द्व ारा लागू किया जाता है। धर्म का प्रयोग दैवीय को वैध बनाने के लिए किया जाता है, जिसके चलते जो धार्मिक माना जाता है उसकी एकल और प्रायः प्रतिबंधित व्याख्या के

Notes & References

1 संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किशोर 10–19 वर्ष के बीच की आयु के होते हैं और युवक 15–24 वर्ष के बीच की आयु के. इन वर्गों के अनुसार युवाओं की आयु 10–24 वर्ष के बीच की होती हैं. UNDESA, Factsheet: Definition of Youth (undated), accessed October 5, 2016, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf

2 Sivananthi Thanenthiran, Sai Jyothir Mai Racherla, and Suloshini Jahanath, Reclaiming and Redefining Rights: ICPD + 20: Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia Pacific (Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women, 2013), accessed May 5, 2016, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/ICPD-20-Asia-Pacific_Monitoring-Report_2013.pdf.

3 UNFPA, UNESCO, and WHO, Sexual and Reproductive Health of Young People in Asia and the Pacific: A Review of Issues, Policies and Programmes (Bangkok: UNFPA, 2015), accessed September 10, 2016, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243566E.pdf.

4 एचआईवी और एड्स की रोकथाम के लिए कॉन्डोम उपयोग के बारे में ज्ञान कॉन्डोम तक पहुँच की जानकारी से बेहतर है, हालाँकि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को इस बारे में कम जानकारी होती है. युवाओं में अन्य यौन संचारित संक्रमणों की जानकारी कम है.

5 UNICEF, "Early Marriage: Child Spouses," Innocenti Digest, 7 (2001), accessed September 13, 2016, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf.

6 इस रचना में धर्म का सन्दर्भ धार्मिक विचारधाराओं के दुरुपयोग, धर्म की संकीर्ण व्याख्याओं, कट्टरवाद और उग्रवाद से सम्बंधित है.

अंतर्गत उसे अपरिवर्तनीय बना दिया जाता है। संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीयता, जातीयता या संप्रदाय की गैर–तरल परिभाषाओं का परिणाम होता हैं अपवर्जनात्मक, पित्रासत्तात्मक और असहिष्णु समुदाय, और उन दमनकारी और भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को न्यायसंगत ठहराना जो सेवाओं और अधिकारों से वंचित रखती हैं, विशेषकर प्रायः सबसे कमज़ोर और हाशिये पर स्थित व्यक्तियों को[7,8]।

धार्मिक ग्रन्थों की व्याख्याओं के माध्यम से महिलाओं की अपने परिवार और समुदाय में स्थिति परिभाषित की जाती हैं – उसको कथित शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए उसकी लगातार सुरक्षा की आवश्यकता, उसके स्वयं के तथा उसके परिवार के सम्मान को बनाये रखने के लिए उसके कौमार्य को बनाए रखने और रक्षा करने की आवश्यकता, और धार्मिक अनुयायी वर्ग बढ़ाने या पुरुष वंश कायम रखने के लिए उसकी प्रजनन क्षमता को साबित करने की आवश्यकता। एक लड़की को अपने पूरे जीवन काल में परिवार के नियंत्रण में रहते हुए देखा जाता है, जहां उसका स्वामित्व पिता से पति को, और कभी कभी वयस्क बेटे को स्थानांतरित किया जाता है। वह न तो पुरुष के बराबर है, और न ही अपने शरीर और यौनिकता[9,10] से सम्बंधित निर्णय लेने में सक्षम है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पति की सहमति अपेक्षित है, जिसे निर्णय निर्धारण और महिलाओं के शरीरों के स्वामित्व से संबन्धित धार्मिक औचित्तयों से प्राप्त किया गया है[11]।

युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के संबंध में, धर्म की संकीर्ण व्याख्याओं का प्रयोग अधिकार आधारित अनुबंधों को रोकने तथा प्रजनन, यौन और यौनिकता पर नियंत्रण एवं अनुबंधन लागू करने के लिए किया जाता है।

एक अचल आस्था प्रणाली – जिसको एक दैवीय अचूक व्याख्या माना जाता है और जो जवाबी आख्यानों को विकसित होने का स्थान नहीं देती है – की रक्षा करने में बहुत निवेश किया जाता है, और इस प्रकार की आस्थाओं का प्रयोग धार्मिक अनुयायी वर्ग को बढ़ाने और एक विशेष स्वीकार्य सामाजिक व्यवस्था बनाने में किया जाता है। जैसा कि ऐरो (ARROW) और राष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा बांग्लादेश और भारत में किए गए राष्ट्रीय अध्ययन[12] दिखाएँगे, धर्म गैर जांच, समीक्षा की कमी, गोपनीयता, निषेध, और पाप से निर्लिप्त है, जब तक वह आम रूप से स्वीकार्य मानकों से संलग्न न हो। जिन लोगों को डिगते हुए या अवज्ञा करते हुए पाया जाता है उनका त्याग कर दिया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है।

व्यापक यौन शिक्षा के लिए धर्म अवरोध है[13]। भारत (तमिलनाडु राज्य के कुछ चयनित क्षेत्रों में)[14] तथा बांग्लादेश[15] में हुए राष्ट्रीय शोध के विष्कर्ष परिणाम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धर्म का प्रभाव किस प्रकार से युवाओं के लिए व्यापक यौन शिक्षा को सीमित करता है।

व्यापक यौन शिक्षा **(Comprehensive Sexuality Education):**
मानवाधिकारों और जेंडर–संवेदनशील दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए, युवाओं के लिए आयु–उचित, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, और चिकित्सकीय/वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी को सुनिश्चित करती है, जो स्कूलों में, और स्कूलों के बाहर लागू की जाती है। यह शिक्षा उनको ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति और उन मूल्यों से लैस करती है, जो उनके भावनात्मक और सामाजिक विकास के संदर्भ में उनकी यौनिकता का एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं[16]। व्यापक यौन शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों के द्वारा उनकी सोच पर डाले गए नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने में उनकी सहायता करती है, और माता–पिता, शिक्षकों और समुदाय के साथ संबंधों के प्रबंधन में भी मदद करती है[17,18,19,20]

इसके बावजूद कि **भारत** एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र है और समानता इसके संविधान में निहित है, हिंदू कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव रहा है, और राष्ट्र, केंद्र/संघीय स्तर पर मुख्य धारा की राजनीति से भी जुड़ा है[21]। हिन्दू कट्टरवाद का उदय हिन्दुत्व या हिन्दू सत्ता से हुआ, और सक्रिय रूप से दक्षिणपंथी समूहों द्वारा राष्ट्रीय पहचान और एकता के प्रतीक के रूप में इसको बढ़ाया गया – दूसरों पर हिन्दुओं की नैतिक श्रेष्ठता का दावा करते हुए[22]। यह आधुनिकता के कुछ पहलुओं का विरोध करता है और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा देता है।

भारत की बढ़ती हुई युवा आबादी की

Notes & References

7 Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim Fundamentalism (NY: W.W. Norton and Co., 2013).

8 ICAN and AWID, Extremism as Mainstream: Implications for Women, Development & Security in the MENA/Asia Region, accessed October 6, 2016, http://www.icanpeacework.org/dev/wp-content/uploads/2014/04/Extremism-as-Mainstream.pdf.

9 Centre for Reproductive Rights, Child Marriage in South Asia: International and Constitutional Legal Standards and Jurisprudence for Promoting Accountability and Change (2013), accessed October 6, 2016, http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/ChildMarriage_BriefingPaper_Web.pdf.

10 Shah Iqbal, "Growing Fundamentalisms: A Grave Apprehension for Women's Rights in Pakistan," ARROWs for Change, 14, nos. 1 & 2 (2008): 8-9, accessed October 6, 2016, http://arrow.org.my/publication/keeping-the-faith-overcoming-religious-fundamentalisms/.

11 UNESCO, Young People and the Law in Asia and the Pacific: A Review of Laws and Policies Affecting Young People's Access to Sexual and Reproductive Health and HIV Services (Bangkok: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2013), accessed May 5, 2016, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224782E.pdf.

12 यह शोध एक पहल है उस क्षेत्रीय साझेदारी की जो प्रमाण प्रस्तुत करके और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पक्ष समर्थन से सम्बद्ध होकर धर्म (कट्टरवाद तथा उग्रवाद) और यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के बीच परस्पर संबंधों को स्थापित करने पर काम करती है. ये दस सहभागी हैं इख्तियार (ईजिप्ट), लिखान सेंटर फॉर विमेंस हेल्थ निगमित (फिलीपींस), मोरक्कन फैमिली प्लैनिंग एसोसिएशन (मोरक्को), नारीपोक्खो (बांग्लादेश), रूरल विमेंस सोशल एजुकेशन सेंटर (इंडिया), सोसाइटी फॉर हेल्थ एजुकेशन (मॉल्डीव्ज़), शिरकत गाह (पाकिस्तान), सिस्टर्स इन इस्लाम (मलेशिया), वीमेन एंड मीडिया कलेक्टिव (श्री लंका) और यायसन केसेहतन पेरेम्पुआन/विमेंस हेल्थ फाउंडेशन (इंडोनेशिया)

13 यह अनुभाग बांग्लादेश और भारत में हुए शोध के चयनित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है

14 P. Balasubramanian, Rajalakshmi Ram Prakash, and N. Srilakshmi, National Report: India–Religious Fundamentalism and Comprehensive Sexuality Education in South India (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, 2016), accessed December 6, 2016, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2017/03/5.-India.pdf

आवश्यकताओं को संबोधित करने में इन शक्तियों से कोई सहायता नहीं मिलती है। भारत में युवाओं से यौनिकता और प्रजनन सम्बन्धी मामलों पर बातचीत, जनसँख्या नियंत्रण और एच.आई.वी. के फैलने से सम्बंधित चिंताओं को लेकर ही शुरू हुई[23]। अनेकों युवा केन्द्रित नीतियाँ[24] होने के बावजूद भी भारत युवाओं की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाया है और इसके कार्यान्वयन में व्यापक कमियाँ हैं[25]। अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय युवा वर्ग यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तरदायी निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त रूप से सूचित हैं, क्योंकि यौन, गर्भावस्था, गर्भनिरोध तथा यौन संचारित रोगों के बारे में उनकी समझ सीमित है[26]। यौन और यौनिकता से संबन्धित विषय निषिद्ध हैं, विशेष रूप से युवाओं के लिए, तथा यौन शिक्षा स्वैच्छिक है[27]। 2006 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने युवाओं की क्षमता बढ़ाने हेतु अपने सभी स्कूलों में किशोर–किशोरियों के लिए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme - AEP) की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम का इस आधार पर भारी विरोध किया कि यह युवा मस्तिष्कों को दूषित करता है और यौन प्रयोग को बढ़ावा देता है[28]। हिन्दू रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दलों ने भी इसके विषय–वस्तु का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय इस पर राज्य प्रतिबंध लग गये।

बांग्लादेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नामांकन दरों में सीमित लाभ को उपलब्ध व्यापक यौन शिक्षा के स्वरुप से और भी चुनौती मिलती है। शिक्षा की ख़राब गुणवत्ता, शिक्षा तक समान पहुँच की कमी, और स्कूल छोड़ने की उच्च दरें बहुतों के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, स्कूल तक की पहुँच को कम कर रही हैं, बावजूद इसके कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है[30]। शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर प्राथमिक (कक्षा 1–5)[31], माध्यमिक (कक्षा 6–10)[32], और तृतीयक शिक्षा में विभाजित किया गया है। यद्यपि प्राथमिक अध्ययन स्तर पर अधिकांश बच्चे सरकारी और पंजीकृत ग़ैर–सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, परंतु ग़ैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्कूल और धार्मिक स्कूल (मदरसे), जिनमें से कुछ अपंजीकृत हैं, भी चल रहे हैं। मदरसे तकरीबन पूरी तरह से ग़ैर–राज्य क्षेत्र में हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर[33] काम कर रहे हैं तथा औपचारिक क्षेत्र के बाहर हैं[34]। अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करने के बावजूद, बांग्लादेश का संविधान इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित करता है[35,36]। धार्मिक अतिवाद और संबन्धित विचारधाराओं में वृद्धि की जड़ें, सऊदी अरब की वहाबी विचारधाराओं और कट्टरपंथी समूहों द्वारा सख़्त व्याख्याओं के अनुसरण से इस्लाम की रक्षा के लिए राष्ट्रवाद की पुकार के प्रभाव में हैं। इसका परिणाम था अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रणालीगत दुरुपयोग, धर्म–निरपेक्ष मुसलमानों और महिलाओं के अधिकारों को सीमित करना, और हाल ही में हुई नास्तिकों और यौन अधिकार के सक्रीय कार्यकर्ताओं की हत्याएं[37]। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर नीति तंत्र कमज़ोर है[38]। युवा वर्ग नकारात्मक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों से पीड़ित हैं[39], माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा को मज़बूत करने के प्रयास सीमित हैं, और उनकी विषय वस्तु जीव–विज्ञान और व्यवहार नियंत्रण पर अधिक केंद्रित है[40]। युवावर्ग यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबन्धित देखभाल और सूचनाएँ प्राप्त करने में असमर्थ हैं और उन्हें इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए माता–पिता की अनुमति लेनी पड़ती है जो उनके लिए और भी बाधाएँ उत्पन्न करती है[41]।

युवाओं के लिए निर्णय कौन लेता है?

यद्यपि युवाओं को निर्णय लेने में समर्थ बनाना व्यापक यौन शिक्षा का अभिन्न अंग है, लेकिन व्यवहार में सदा ऐसा नहीं होता है। स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा के घटकों पर विचार करते समय निर्णयकर्ताओं और समुदाय हितधारकों के विषय–वस्तु और कार्य रचना के बारे में अलग अलग विचार होते हैं जो साक्ष्य–आधारित होने के बजाय धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाओं और एकल शिक्षण द्वारा सूचित होते हैं। यह सब प्रकट होता है सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार की धारणाओं से, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण की आवश्यकता से, व्यवहार नियंत्रण से, और शिक्षकों की प्रचलित संकीर्ण मनःस्थिति से, जो संकुचित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को सुरक्षित रखने के उनके प्रयासों से स्पष्ट होती है।

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में माता–पिताओं के मन में विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों – विशेषकर युवतियों के सन्दर्भ में – के ख़िलाफ़ एक नैतिक आक्रोश बना रहता है। एक 'आदर्श' और 'स्वीकार्य' साथी से विवाह को उच्च मान्यता देने के साथ साथ यह अधिकार आधारित ढाँचे की कमी को दर्शाता है[42]।

Notes & References

15 Nazme Sabina, National Report: Bangladesh–Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and Higher Secondary Education in Bangladesh (Naripokkho and ARROW: 2016), accessed December 6, 2016, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2017/03/National-Report-Final-with-cover.pdf.

16 साथ ही सेवा प्रावधान का केंद्र बिंदु अधिकार आधारित होना चाहिए, जो युवा व्यक्तियों को अपनी लैंगिकता समझने में सहायक हो और उन्हें अनचाहे गर्भ तथा यौन संचारित संक्रमणों से बचने के लिए भेदभाव रहित, गैर आलोचनात्मक सेवाएं प्रदान कर सके.

17 SIECUS, "What the Research Says... Comprehensive Sex Education," Sexuality Information and Education Council of the United States (2009), accessed December 6, 2016, http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1193.

18 UNESCO, International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach for Schools, Teachers and Health Educators, Volume 1: The Rationale for Sexuality Education(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009), accessed December 6, 2016, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf.

19 UNFPA, UNFPA Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education: A Focus on Human Rights and Gender. United Nations Population Fund (2014), accessed December 6, 2016, http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_OperationalGuidance_WEB3.pdf.

20 UNFPA, Programme of Action adopted at the International Conference on Population and Development Cairo, 5–13 September 1994: 20th Anniversary Edition (United Nations Population Fund (UNFPA), 2014), accessed December 6, 2016, http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action.

21 Chayanika Shah, "Hindu Fundamentalisms in India: Examining Impact and Responses by the Women's Movement." ARROWs for Change 14, nos. 1 & 2 (2008): 1-3, accessed October 13, 2016, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.14-No.1-2008_Religious-Fundamentalism.pdf.

22 Marilen Danguilan, "Keeping the Faith: Overcoming Religious Fundamentalisms," ARROWs for Change14, nos. 1 & 2 (2008): 1-3, accessed May 13, 2016, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/AFC-Vol.14-No.1-2008_Religious-Fundamentalism.pdf

किशोरियों से आशा की जाती है कि वे यौन सम्बन्धों के बारे में अनुभवहीन हों और विवाहपूर्व यौन संबंध लांछित होते हैं, जिसके चलते सूचना और सेवाओं तक पहुँच बाधित हो जाती है[3]।

बांग्लादेश में, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश, और साथ ही साथ इसकी विषय–सामग्री, नीति निर्धारकों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक स्वीकार्यता की धारणाओं के आधार पर नियंत्रित की जाती है। अभिभावकीय आंदोलन के कारण जेंडर आधारित भेदभाव, तरुण अवस्था के जैविक पहलू और प्रजनन के विषयों को माध्यमिक पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, जबकि 'उचित' व्यवहार, कौमार्य, और स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी को रहने दिया गया[15]।

इसके अलावा, बांग्लादेश में शिक्षकों के पास

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में माता–पिताओं के मन में विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों – विशेषकर युवतियों के सन्दर्भ में – के खिलाफ़ एक नैतिक आक्रोश बना रहता है। एक 'आदर्श' और 'स्वीकार्य' साथी से विवाह को उच्च मान्यता देने के साथ साथ यह अधिकार आधारित ढाँचे की कमी को दर्शाता है।

व्यापक यौन शिक्षा को पढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है। उनकी धारणायें, जो उनकी धार्मिक आस्थाओं से भी प्रभावित होती हैं, उनकी अध्यापन शैली और विषय चयन को प्रभावित करती हैं। शिक्षकों को, विद्यार्थियों के मन में अन्य व्यक्तियों, जैसे परिवार के सदस्य, द्वारा बैठाई गयी अन्तर्निहित समझ और परम्पराओं से भी जूझना पड़ता है। वे ऐसे वातारण का निर्माण नहीं करते हैं जहां विद्यार्थी खुलकर अपनी बात कह सकें; वे वास्तविक विषय–वस्तु को छिपाते हैं – विद्यार्थियों से यह कहकर कि वे इन विषयों को उच्च कक्षाओं में विस्तार से सीखेंगे। एक धारणा यह भी है कि विद्यार्थियों को इन जानकारियों से सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, जो कदाचित शिक्षकों द्वारा अपनी उस शर्मिंदगी – जो उनके अपने स्वयं के संकोचों के कारण होती है – से निपटने का एक रास्ता हो सकता है। पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों को यह अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है[15]।

तमिलनाडु के मामले में माता–पिताओं में लड़के–लड़कियों के बीच मित्रता के प्रति एक आम स्वीकृति दिखाई दी और उन्होंने विपरीत जेंडर के बीच यौन आकर्षण को स्वाभाविक माना; परन्तु समान–जेंडर सम्बन्धों के बारे में सोचा तक नहीं गया। इसके अलावा, युवाओं के कार्य–कलापों को नियंत्रित करने योग्य माना जाता है, जैसा धार्मिक व्याख्याओं द्वारा यथास्थिति को बनाए रखने के लिए आदेशित है। बांग्लादेश में माता–पिता और युवाओं के बीच यौनिकता पर बातचीत कम होती है। इसे, माता–पिता दोनों की ज़िम्मेदारी के बजाय, केवल माँ की ज़िम्मेदारी के रूप में भी देखा जाता है[14]।

व्यापक यौन शिक्षा में क्या–क्या शामिल है ? भारतीय अध्ययन में यह पाया गया कि, यद्यपि माता–पिता में व्यापक यौन शिक्षा के बारे में जानकारी कम है, परन्तु उनमें से कई लोग उस शिक्षा – जिसमें जेंडर, जेंडर आधारित हिंसा और यौन संचारित संक्रमण शामिल हैं – के पक्ष में प्रतीत होते हुए दिखे। परंतु वे यौनिकता और यौन सम्बन्धों जैसे विषयों – जिनको अविवाहितों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है – के पक्ष में नहीं जान पड़ते हैं। माता–पिताओं ने युवाओं के लिए गर्भनिरोधक और गर्भपात सेवाओं के प्रति अपने संदेह व्यक्त किये[14]।

जब मत अनुकूल थे तो उन्हें लगा कि यह शिक्षा – जो जेंडर आधारित मानदंडों, जेंडर–विशिष्ट भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को उजागर करती है – लड़कियों के लिए अधिक उपयोगी है। यौनिक संबंधों के अंतर्गत 'केवल–संयम–ही' शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह प्रयोगों और विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों को हतोत्साहित करती है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक यौन सकारात्मक दृष्टिकोण – जो बिना किसी भय, शर्म और प्रतिबंध की धारणाओं को बढ़ाए यौनिकता को मान्यता देता है – कदाचित सहर्ष स्वीकार न हो[14]।

बांग्लादेश में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा पर उन सम्भाषणों का वर्चस्व है जो स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े हैं, तथा यौन क्रिया से जुड़े जीव–विज्ञान और कलंक को प्रमुखता देते हैं (जैसे किशोरावस्था में गर्भधारण, संक्रमण, दुरुपयोग या हिंसा)। बांग्लादेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा वितरित पाठ्य पुस्तकों ने युवा पुरुष और महिलाओं के चित्रों को हिजाब पहने हुए लड़कियों[43] और प्रार्थना टोपी पहने हुए लड़कों[44] की तस्वीरों से बदल दिया – जो युवाओं के आदर्श चित्रण को दर्शाती हैं। माध्यमिक और मदरसा वर्ग (2014 और 2015) स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल हैं किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक

Notes & References

23 Ketaki Chowkani, "Sexuality Education: Why We Need It," Teacher Plus(2013), accessed May 13, 2016, http://www.teacherplus.org/cover-story/sexuality-education-why-we-need-it.

24 उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 तथा राष्ट्रीय किशोर प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014, जिन दोनों का ही लक्ष्य है युवाओं को अपनी क्षमता तक पहुँचाने में सहायता करना, और साथ ही सूचित विकल्प चुनना तथा उनके समग्र विकास का महत्त्व. In Balasubramanian, et al, 2016.

25 Palanisamy Balasubramanian, Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights: India (Tamil Nadu and Kuala Lumpur: Rural Women's Social Education Centre and ARROW, 2015), accessed June 19, 2016, http://arrow.org.my/publication/country-profile-on-universal-access-to-sexual-and-reproductive-rights-india/.

26 National Family Health Survey (NFHS) 2005–2006 and International Institute of Population Sciences 2006–2007, In Balasubramanian, et al, 2016.

27 Gupta, et al, 2012. In Balasubramainan, et al, 2016.

28 Rajalakshmi, 2007. In Balasubramainan, et al, 2016.

29 Dasgupta, 2008 and TARSHI, 2008. In Balasubramainan, et al, 2016.

30 UNICEF 2009. In Sabina, 2016.

31 प्राथमिक एवं जन शिक्षा मंत्रालय के दायरे में

32 शिक्षा मंत्रालय के दायरे में

33 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृतः आलिया मदरसे और कौमी मदरसे। आलिया मदरसे, सरकारी नियमों का पालन करते हैं जिसे मदरसा शिक्षा बोर्ड निर्धारित करता है और जो प्राथमिक से परास्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम को मंजूरी देता है, और विद्यार्थियों को धार्मिक और सामान्य दोनों ही शिक्षा दी जाती है. दख़ीली आलिया शिक्षा का माध्यमिक स्तर है (कक्षा 6 से 10 तक) जिसके अंत में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा होती है जो माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र (SSC) के समकक्ष है. कौमी मदरसे राज्य के क्षेत्र के बाहर काम करते हैं, जो एक हदीथ प्रमाणपत्र के साथ समाप्त होते हैं.

34 मक़तब (या नूरानी मदरसा) तथा फ़ुरकानिया /हफ़ीजिया मदरसा

परिवर्तन, यौन उत्पीड़न, तरुण अवस्था और नशीली दवाओं के दुरुपयोग। पाठ्य सामग्री लड़कियों को सलाह देती है कि उन्हें प्रथम बार मासिक धर्म होने पर अपनी माताओं को बताना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, तथा मुलायम और कीटाणु रहित कपड़े या सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना चाहिए।

लड़कों को प्रथम बार वीर्यपात होने पर स्वच्छता की जानकारी हेतु अपने पिता या पुरुष अभिभावकों से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। अतः सन्दर्भ है यौन सम्बन्धों की मनाही (जिसे इस्लाम में हराम बताया गया है), और स्वच्छता तथा शुद्धता की धारणाएं, जिन सब के धार्मिक संकेतार्थ हैं (जैसे प्रार्थना, व्रत या अन्य धार्मिक कार्यों में शामिल होने की असमर्थता)। यौन उत्पीड़न पर जानकारी, लड़कियों की रक्षा की आवश्यकता, उनकी सहनशीलता को सुनिश्चित करने और उनके विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को प्रतिबंधित करने से संबन्धित धार्मिक व्याख्याओं पर केन्द्रित है। यौन पर परिचर्चाएं, महिलाओं के व्यवहार पर केन्द्रित रहती हैं, तथा संयम, नैतिकता की रक्षा, और धार्मिक दायित्वों को पूरा करने पर जोर देती हैं। एच.आई.वी. और एड्स पर जानकारी पुरानी, भेदभावपूर्ण और अधूरी है, जिसमे समलैंगिक गतिविधियों को इस संक्रमण का कारण बताया जाता है। यहाँ पर भी जानकारियों के प्रस्तुतीकरण में धर्म का प्रभुत्व प्रबल है, तथा उनमें अधिकार आधारित दृष्टिकोणों का अभाव है। पाठ्य पुस्तकें अविश्वसनीयता, नियंत्रण करने में असमर्थता प्रस्तुत करती हैं, और अस्वीकार्य व्यवहार को रोकने के लिए मन में भय पैदा करती हैं[15]।

कौन लोग छूट गए हैं? बांग्लादेश और भारत, दोनों में ही बाल–विवाह और कम आयु में विवाह के उच्च प्रचलन तथा स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की प्रवृत्ति के चलते[45], इनसे प्रभावित व्यक्तियों पर व्यापक यौन शिक्षा की कमी से पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ उठाया गया है। अंतरिम में, छोटी कक्षाओं में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश इन प्रचलनों के उन्मूलन के लिए कुछ हद तक इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। जब यौन शिक्षा मौजूद भी होती है, तब भी वह बांग्लादेश और भारत के उन युवाओं तक नहीं पहुँच पाती जो स्कूली शिक्षा से बाहर हैं क्योंकि सारा ध्यान इस प्रावधान को स्कूल के अंदर ही रखने पर केंद्रित है[46]।

युवाओं के लिए व्यापक यौन शिक्षा सुनिश्चित करना। व्यापक यौन शिक्षा सिर्फ़ यौन के बारे में नहीं है और न ही यह यौन सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए है, वरन् इस बात को समझने के लिए है कि आचरण पर सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिबंधों के बावजूद, युवा वर्ग विकल्पों का चयन कर रहे हैं और यौन रूप से सक्रीय हैं। युवाओं को इस बात के लिए समर्थ बनाना होगा कि बिना किसी भय, कलंक, भेदभाव और बाध्यता के, वे उन विकल्पों को चुन सकें और निर्णय ले सकें जो उनके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं[3]। यौन और यौनिकता से जुड़े अपराधबोध/कलंक को अधिकारों की रूपरेखा, युवा अनुभवों और समावेशिता के सिद्धांतों का प्रयोग करके संबोधित किया जाना चाहिए।

अधिकार–आधारित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी और सेवाओं की प्राप्ति को रोकने वाली बाधाओं को संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें नीति निर्माण और निर्णय लेने पर धर्म के प्रभाव को संबोधित करना भी शामिल है। युवाओं के लिए धार्मिक वातावरण के अंदर अनिर्णायक और भेदभाव रहित सुरक्षित स्थानों का निर्माण करना, ताकि वे बिना किसी विचारफल और दबाव के विचार–विमर्श, पूछताछ करने और सीखने में सक्षम हों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रन्थों की विविध व्याख्याओं के लिए स्थान बनाना सुनिश्चित करना होगा, ताकि विश्लेषण और संवाद को प्रोत्साहन मिले, मानवाधिकार सुनिश्चित हों, और युवाओं की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हों।

ऐसे श्रेष्ठ शिक्षा पाठ्यक्रम, जिनकी विस्तृत विषय–वस्तु, साक्ष्य तथा अध्ययन आधारित हो, अत्यावश्यक हैं। सभी हितधारकों को सूचना हस्तांतरण और सेवाओं तक पहुँच संभव करने में सक्षम बनना होगा। इसमें शामिल है शिक्षकों में कौशल निर्माण करना तथा उनके नज़रिये को बदलना, साथ ही साथ माता–पिता, देखरेख करने वालों, और अन्य समुदाय – हितधारकों, जिनमें धार्मिक नेता भी शामिल हैं, को शिक्षित करना ताकि वे अपनी धारणायें बदल सकें और अधिकार आधारित अंतर–पीढ़ी बातचीत को प्रोत्साहित कर सकें। परस्पर सम्मान, विश्वास, और सुविज्ञ निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना भी महत्वपूर्ण घटक हैं।

अज़रा अब्दुल क़ादिर द्वारा
प्रोग्राम मैनेजर, मॉनिटरिंग एंड एविडेंस जेनेरेशन फ़ॉर चेंज, ऐरो | ईमेल: azra@arrow.org.my | ट्विटर : @azra_tweets

Notes & References

35 See "Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2011," accessed May 17, 2016, https://www.constituteproject.org/constitution/Bangladesh_2011.pdf.

36 यह धर्मनिर्पेक्षता को राज्य नीति के चार मौलिक सिद्धांतों में से एक मानता है (भाग 2.8). यह कहता है कि इसको सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता, राजनीति में धर्म के प्रति पक्षपात, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग एवं धार्मिक प्रथा के परिणाम स्वरुप उत्पन्न भेदभाव का उन्मूलन करके साकार किया जायेगा (प्रस्तावना और भाग 2.12). अन्य धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है. सबीना में, 2016.

37 Lintner. In Sabina, 2016.

38 यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल तत्वों को राष्ट्रीय जनसँख्या नीति (2010), स्वास्थ्य नीति (2011), मातृत्व स्वास्थ्य रणनीति 2011–2016, और एचआईवी/एड्स तथा एसटीआई सम्बन्धी विषय और किशोर प्रजनन स्वास्थ्य नीति 2006 पर एकीकृत राष्ट्रीय नीति में अधिकृत किया गया है. सबीना में, 2016.

39 Bangladesh Demographic and Health Survey 2014. In Sabina, 2016.

40 Bhuiyan, 2014. In Sabina, 2016.

41 Naripokkho, undated. In Sabina, 2016.

42 उस अनुसन्धान नमूने पर आधारित जिसमें कांचीपुरम जिले के तिरपुर ब्लॉक में माता पिता के बीच हुए एक नमूना सर्वेक्षण सहित मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों को प्रयुक्त किया गया In Balasubramanian, et al, 2016.

43 सिर और छाती को ढँकता हुआ नकाब जिसे मुस्लिम महिलाएं वय/संधि के बाद वयस्क पुरुष रिश्तेदारों एवं अन्य के समक्ष पहनती हैं.

44 एक छोटी और गोल टोपी जिसे धार्मिक प्रयोजनों के लिए पहना जाता है.

45 Rachel Vogelstein, Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives(Council on Foreign Relations, 2013), accessed September 13, 2016, i.cfr.org/content/publications/attachments/Ending_Child_Marriage_report.pdf.

46 UNICEF, South Asia Regional Study: Bangladesh, India, Pakistan, and Sri Lanka (UNICEF Regional Office for South Asia, 2014), accessed September 13, 2016, https://www.unicef.org/education/files/SouthAsia_OOSCI_Study__Executive_Summary_26Jan_14Final.pdf

महिला–मानवाधिकारों के लिए संस्कृति और धर्म का पुनःसमनरूपनः

फ़रीदा शहीद के साथ वार्तालाप

इस साक्षात्कार में ऐरो (ARROW) ने लंबे समय तक नारीवादी और सक्रियतावादी रह चुकी फ़रीदा शहीद से बात की है, जो नवंबर 2009 से अक्टूबर 2015 तक, सांस्कृतिक अधिकार के क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्र विशेषज्ञ और विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur - SR) थीं। यह साक्षात्कार उनके विचारों पर केन्द्रित है – किस प्रकार से महिलाओं के मानवाधिकार, जिसमें उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार भी शामिल हैं, सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति और धर्म को पुनःसमनुरूप करना सुनिश्चित हो सके, और किस प्रकार से विशेष प्रक्रिया आदेशों का प्रयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सके। ऐरो कार्यक्रम की अधिकारी अज़रा अब्दुल कादिर और मारिया मेलिंडा एंडो ने साक्षात्कार का संचालन किया।

कृपया हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिये

मैं पाकिस्तान स्थित, महिलाओं के अधिकारों पर कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था शिरक़त गाह की महानिदेशक हूँ। मैं एक राष्ट्रीय लॉबी – वीमेन्स एक्शन फ़ोरम – की संस्थापक सदस्या भी हूँ, जिसको 1981 में महिला–अधिकारों के प्रणालीगत निरस्तीकरण के विरोध में बनाया गया था; और एक अंतरराष्ट्रीय संस्था 'वीमेन लिविंग अंडर मुस्लिम लॉस' की संस्थापक/कोर ग्रुप सदस्या भी हूँ (जिसके लिए मैंने शिरक़त गाह के अंतर्गत एशिया क्षेत्र समन्वय कार्यालय का गठन किया और कई दशकों तक उसे चलाया भी)।

मैंने 25 वर्षों से अधिक समय तक महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है: उन कर्ताओं तथा कारकों का – जो महिलाओं को स्थानीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक शक्तिहीन बनाते हैं – विश्लेषण करने और उनको सम्बोधित करने की क्षमता तथा उनके बारे में ज्ञान विकसित करके; महिलाओं को उन पर लागू किये गए प्रथागत रिवाज़ों और उनके कानूनी अधिकारों के बीच के अंतर को समझने में सहायता करी है; कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और नीतियों तक उनकी पहुँच को सुगम बनाने में मदद करी; और व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन कार्यक्रमों की अगुआई के लिए सहायता स्रोतों का संयोजन करने में मदद करी। सक्रियतावाद मेरे शैक्षिक कार्य के लिए मुझे सूचित करता है; वैचारिक विश्लेषण और समझ मेरे व्यावहारिक ज़मीनी स्तर के कार्यों, ज्ञान हस्तांतरण और कौशल निर्माण का आधार हैं। मैंने महिलाओं, धर्म, पहचान तथा राष्ट्र नागरिकता के समन्वय, और यह किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करता है, इस पर बहुत कुछ प्रकाशित किया है। मैंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं, और पाकिस्तानी महिलाओं की आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जाने, तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता से परिचित कराने के प्रयासों का नेतृत्व भी किया है।

एक विशेष प्रतिवेदक के तौर पर मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर, जिसमें महिलाओं के अधिकार तथा यौन एवं प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य भी शामिल हैं, आपका अधिदेश क्या था? कृपया विशिष्ट मामलों को भी साझा करिये, यदि कोई हों तो।

मैंने एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है – संस्कृति को महिला अधिकारों के लिए बाधा के रूप में देखने के बजाय महिलाओं के लिए सांस्कृतिक अधिकारों की मांग पुरुषों से समानता के आधार पर करना। CEDAW कमेटी के साथ चर्चा और बातचीत के बाद मैंने अपनी 2012 की रिपोर्ट 'महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक अधिकारों का पुरुषों के समकक्ष बराबरी का उपभोग' (The Enjoyment of Cultural Rights by Women on an Equal Basis with Men)[1] लिखना निश्चित किया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत किया गया।

यह रिपोर्ट विशेष रूप से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के मुद्दे को नहीं उठाती है, परन्तु "सांस्कृतिक मानदंडों" के अनुमानों को चुनौती देने और महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने के मामले में हाशिये से केंद्र की ओर आना

Notes & References

1 Farida Shaheed, "A/67/287 Cultural Rights," accessed May 17, 2017, https://www.oursplatform.org/wp-content/uploads/UN-SR-on-cultural-rights-Thematic-Report-Cultural-Rights-of-Women-2012.pdf

सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर अवश्य ज़ोर देती है। इसके अलावा यह निर्धारित करना कि सांस्कृतिक विरासत क्या है, उसकी व्याख्या और यह निर्णय करना कि इसमें से क्या रखना है, किसमें परिवर्तन करना है या पूरी तरह से ख़ारिज कर देना है, यह सब भी इसमें शामिल है। मैंने यह भी कहा है कि कोई भी सांस्कृतिक प्रथाएं मानवाधिकार मापदण्डों और मानकों के अनुरूप नहीं हैं; सभी संस्कृतियों को मानवाधिकारों की ओर अग्रसर होना होगा। यह बात जानते हुए कि "संस्कृति" प्रायः महिलाओं पर ज़बरन शिकंजा कसती है, मैंने अपने पहले ही कथन में कहा था कि सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने के अधिकार में किसी ऐसे अनुष्ठान या अभ्यास में हिस्सा न लेने का अधिकार भी शामिल है जो मानवीय गरिमा को कम करता हो। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की सबसे विशिष्ट प्रकृति जिसको मैंने उठाया है वह LGBTIQ (लेस्बियन, गे, बाई–सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, कुईर) समूहों के सांस्कृतिक अधिकारों से संबन्धित संचार और देशीय रिपोर्टों में है।

क्या आप सोचती हैं कि धर्म, धार्मिक कट्टरवाद और अतिवाद, और महिलाओं के अधिकार (जिनमें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार शामिल हैं) आपस में संबन्धित हैं? कैसे? इन पहलुओं के संबंध में कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है?

जैसा कि मैंने महिलाओं पर अपनी रिपोर्ट में कहा है, मुझे लगता है कि हमें सवाल को अलग तरीके से पूछने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने मानवाधिकारों और अपने धर्म या सांस्कृतिक जुड़ाव में से किसी एक का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसा क्या करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं संस्कृति और धर्म को इस प्रकार फिर से समनुरूप करने के लिए सशक्त हों जिससे उनके समस्त मानवाधिकार सुनिश्चित हो सकें, और ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्र सभी जेंडर – महिलाओं, पुरुषों व अन्य – के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं ताकि सभी की आवाज़ सुनी जा सके।

हर प्रकार के कट्टरवाद का एक ख़तरा है झूठ–फ़रेब से पेश किये गए द्विचर विकल्पः उदाहरण के लिए, आप या तो किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक समूह के सदस्य हो सकते हैं, उस स्थिति में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, वरना आप उस समूह से पूर्ण रूप से बहिष्कृत हो जाएँगे। वास्तव में, संस्कृति विवादों का स्थान है, जहाँ अर्थों पर विवाद होता है, और यह निरंतर बदलती रहती है, कभी अचल नहीं रहती। हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों में संस्कृति की पुनरुत्पत्ति होती है या परिवर्तन होता है। किसी भी समुदाय या समाज की केवल एक संस्कृति नहीं है; हमेशा एक प्रधान संस्कृति होती है (जो उन व्यक्तियों के द्वारा थोपी जाती है जो सक्षम हैं तयशुदा नियमों के तहत उसका अनुपालन करवाने में) और अधीनस्थ संस्कृतियाँ, जिनमें शामिल हैं – मानवाधिकार की संस्कृति, परन्तु महिलाओं और हाशिये पर स्थित लोगों की संस्कृति इसमें शामिल नहीं है। किसी एक समुदाय से संबन्धित होना समानता नहीं प्रदान करता है। संस्कृति मुख्य रूप से शक्ति और शक्तिहीनता के मुद्दों से संबन्धित है।

दंडात्मक कार्यवाई और/या समाज से बहिष्कृत किये जाने का भय, एक मुख्य बाधा हैं उन महिलाओं के लिए जो यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रही हैं। धर्म संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन उसके समकक्ष नहीं है। मनुष्य का जीवन सामाजिक–सांस्कृतिक मानदण्डों और निर्देशों के जटिल जाल द्वारा शासित है। उन समाजों में, जहां धर्म एक प्रमुख शक्ति है, ये मानदण्ड सांस्कृतिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। धर्म के बारे में अज्ञानता के चलते, लोग, विशेष रूप से महिलाएं, प्रभावशाली पित्रसत्तात्मक ताकतों द्वारा की गयीं धर्म और संस्कृति की आत्म–सेवारत व्याख्याओं का शिकार बन जाते हैं। धार्मिक कर्ताओं की वैधता निर्धारित करने में राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कट्टरवादी आंदोलनों की प्रवृत्ति है समाज पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए परिवार और पारिवारिक मानदंडों पर ध्यान केन्द्रित करना, विशेष रूप से यौनिकता और प्रजनन पर। पुरुष और महिलाएं जो कट्टरवाद के इन मानदंडों को मानते हैं, इन ताकतों द्वारा

"महिलाओं को अपने मानवाधिकारों और अपने धर्म या सांस्कृतिक जुड़ाव में से किसी एक का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसा क्या करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं संस्कृति और धर्म को इस प्रकार फिर से समनुरूप करने के लिए सशक्त हो जिससे उनके समस्त मानवाधिकार सुनिश्चित हो सकें, और ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्र सभी जेंडर के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं..."

विनियोजित क्षेत्रों के चिन्ह बन जाते हैं।

मुझे दु:ख है कि हमने यह पाकिस्तान में देखा है, यहाँ तक कि अतिशय रूप में भी।

पहले से मौजूद पित्रासत्तात्मक मानदंडों और ताकतों से कट्टरवादी संभाषणों को प्रतिश्रुति

"मैं यह भी महसूस करती हूँ कि राष्ट्र और दूसरे कर्ताओं की भूमिका की छान बीन करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, दाता संस्थाएं दशकों से स्वच्छता और जीवन के दूसरे पहलुओं पर इमाम की भूमिका को बढ़ावा देती रही हैं, जहां इस समूह का इससे पहले कोई प्रभाव नहीं था।"

और संबल मिलता है। यौन आचार–विचार पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और यह कुछ नियत नियमों (और उनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही) के साथ आता है, जो महिलाओं को कुछ ख़ास दिशाओं में मोड़ते हुए और भी नियंत्रित और सीमित कर देता है (जैसे नौकरी न करना, अच्छी गृहणी/माँ बनना, दूसरों की आवश्यकता को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा प्राथमिकता देना, सिर्फ़ कुछ विशेष तरीकों से ही कपड़े पहनना और व्यवहार करना, इत्यादि)।

पाकिस्तान में गर्भनिरोधकों के प्रयोग और इस वार्तालाप के बीच सीधे संबंध का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और न ही मेरी जानकारी में कोई ऐसे अध्ययन हैं जो ऐसे प्रत्यक्ष संबंध के संकेत दें, उदाहरण के लिए, संभोग के संदर्भ में परिवर्तित यौन व्यवहार।

मैं यह भी महसूस करती हूँ कि इस बारे में राष्ट्र और दूसरे सक्रियकों (जैसे दाता संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं और मनोरंजन मीडिया) की भूमिका की छान बीन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए दाता संस्थाएं दशकों से स्वच्छता और जीवन के दूसरे पहलुओं पर इमाम (मस्जिद का प्रार्थना अगुआ) की भूमिका को बढ़ावा दे रही हैं, जहाँ इस समूह का इससे पहले कोई प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, आम तौर पर धार्मिक कट्टरवाद को समझने के लिए धर्म से धार्मिक रस्मों और रीति–रिवाज़ों तक की अविच्छिन्नकता समझनी जरुरी है, जो सामान्य से ले कर अपने चरम तक, असंबद्ध रूप से जुड़ी है।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धार्मिक लॉबी (दबाव डालने वाले दलगोष्ठ) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार तंत्र पर अपना कब्ज़ा कर लिया है? किन तरीकों से और क्यों? क्या यही हाल संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रिया (*UN Special Procedures*) के मामले में भी है? कृपया विस्तार से बताएं। क्या आप धार्मिक लॉबी द्वारा दबाव डालने वाली चालों, इन दलगोष्ठों में महिलाओं की सहभागिता, और उनके द्वारा बनाये गये गठबंधनों पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं?

मैं यह नहीं मानती कि धार्मिक दलगोष्ठों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए पुख़्ता प्रयास जारी रखे हैं। जनसंख्या और विकास प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Population and Development process) – जिसने विविध संप्रदायों और धर्मों से आए कर्ताओं को मतैक्य बनाने की छूट दी, जो बीजिंग सम्मेलन में और उसके बाद भी बनी रही – में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था।

यदि इस तरह के दलगोष्ठों ने संयुक्त राष्ट्र तंत्र में ताकत प्राप्त कर ली है तो यह उन सरकारों की प्रकृति की वजह से है जो संयुक्त राष्ट्र की निर्वाचित सदस्य हैं। धार्मिक दलगोष्ठ/कर्ता सोवियत संघ और समाजवादी देशों के टूटने के बाद बहुत मज़बूत बन गए हैं। उदाहरण के लिए पोलैंड के एक चर्च ने पिछले सर्वसत्तावादी शासनों में मतभेद के लिए स्थान प्रदान करने वाले मुख्य प्रदाता के रूप में वैधता प्राप्त की, और यह गैर–धार्मिक नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है – जब यह उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त लगता है। चर्च की मज़बूत उपस्थिति रूस में भी सुस्पष्ट है।

इसके अलावा:
1. तेल सम्पन्न मध्य–पूर्वी राष्ट्रों का गरीब मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर मज़बूत प्रभाव और धर्म, दोनों एक साथ मिलकर गैर–लोकतांत्रिक देशों में विरोधी शक्ति बन रहे हैं।
2. मुझे लगता है कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में वर्तमान में सरकारों के साथ साथ चर्च और धार्मिक–आश्रम भी वैकल्पिक व्यवस्था और वैधता के केंद्र बनते जा रहे हैं, जबकि पहले सरकार के पास ही पूर्ण नियंत्रण रहता था।
3. अफ़्रीका और दक्षिण अमेरिका में एवैन्जेलिस्ट प्रचारकों और मिशनरियों के प्रभाव बढ़ते रहे हैं और मज़बूत हो रहे हैं।

नागरिक समाज और प्रगतिशील समर्थक किस प्रकार से इस तरह के प्रयासों का विरोध कर सकते हैं, जिससे कि

"विभिन्न देशों में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है इसके बारे में और अधिक संदर्भ–विशिष्ट साक्ष्य आधारित विश्लेषण की आवश्यकता है। इसको वैश्विक भू–राजनीति के विश्लेषण से जोड़े जाने की आवश्यकता है।"

मानवाधिकार, जिनमें महिलाओं के अधिकार तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार शामिल हैं, को प्राप्त किया जा सके?

पहला कदम तो यह है कि हमें इस मुद्दे की बारीकियों को समझना होगा – अधिकार क्षेत्र और आर्थिक व्यवस्था एवं विश्व में अन्य इसी प्रकार के मुद्दों से जुड़ाव के सन्दर्भ में।

विभिन्न देशों में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है इसके बारे में और अधिक संदर्भ–विशिष्ट साक्ष्य आधारित विश्लेषण की आवश्यकता है। इसको वैश्विक भू–राजनीति के विश्लेषण से जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, कई दशकों तक, पश्चिम ने तालिबान अग्रदूतों को अफ़गानिस्तान में स्वतन्त्रता सेनानियों के रूप में खूब बढ़ावा दिया (संयुक्त राष्ट्र बनाम सोवियत संघ), जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। परंतु अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद अमेरिका की दिलचस्पी ख़त्म हो गयी, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों ने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए तालिबान का उपयोग और सृजन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बहुत से ऐसे विभिन्न कारक हैं जो इन मुद्दों को और भी जटिल बना देते हैं, और मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि हर जगह यही हाल है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील देश – जहाँ ईसाइयों का बहुमत है – एवैन्जेलिस्ट द्वारा स्थानीय मूल निवासियों के धर्मों और अभिव्यक्तियों पर किए जा रहे आक्रमणों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है?

नागरिक समाज और विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अधिक अच्छे तरीके से बेहतर प्रगतिशील परिणामों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं?

मैं ऐरो (ARROW) को इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगी कि वह नयी विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) करीमा बेनोन से बात करे, जो कट्टरवादी ताकतों के मुद्दों पर बहुत मज़बूत हैं।

आमतौर पर मैं नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और व्यक्तिगत समर्थकों से यह आग्रह करूँगी कि वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेष प्रक्रियाओं (UN Human Rights Special Procedures) का और बेहतर उपयोग करें; इन तक पहुँच सरल है और वे अधिकाँशतः अनुक्रियाशील हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विशेष प्रक्रिया अधिदेश–धारकों (mandate holders) को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परिभाषित अधिदेश के अंदर रहना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे कई लोग इसको विस्तारित करने के तरीके ढूंढते हैं, ताकि इनमें नए मुद्दों को शामिल किया जा सके। इसलिए नागरिक समाज संगठनों को किसी भी मुद्दे के सभी संभव कोणों पर विचार करना चाहिए और अधिकतम अधिदेश धारकों तक पहुँचना चाहिए। उदाहरण के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार और अतिवाद के मुद्दे पर आप विशेष प्रतिवेदक के साथ स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं, तथा संस्कृति और महिलाओं पर कार्य करने वाले कार्य दल के साथ भी। लेकिन जब कट्टरवादी मानवाधिकार–रक्षकों पर आक्रमण करते हैं तो बहुत सारे नागरिक और राजनीतिक अधिदेश भी उस के लिए अनुकूल बैठते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, जानकारी तक पहुँच, इत्यादि।

राष्ट्रीय पार्टियों को किस प्रकार से और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें?

राष्ट्रों का उत्तरदायित्व काफ़ी हद तक वहाँ की स्थानीय संस्थाओं और समर्थकों की ताकत पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय तंत्र, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सभी के लिए मापदण्डों, मानदंडों और मानकों को केवल स्थापित करने में सहायता कर सकता है; परन्तु ज़मीनी परिवर्तन के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले समूहों की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नागरिक समाज संगठन (CSOs) एजेंडा तय करने वाली प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनमें भाग लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार विचार विमर्श में शामिल हों, और धार्मिक

"...यह आवश्यक है कि नागरिक समाज संगठन (CSOs) एजेंडा तय करने वाली प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनमें भाग लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार विचार विमर्श में शामिल हों, और धार्मिक रूढ़िवादियों और कट्टरपंथी ताकतों के सातत्य का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करें"

रूढ़िवादियों और कट्टरपंथी ताकतों के सातत्य का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर करें। लेकिन इसके लिए प्रभावी विश्वसनीय प्रलेखन की आवश्यकता है जो कि प्रायः या तो मौजूद ही नहीं है अथवा अपर्याप्त है।

विशेष प्रलेखित मामलों को, जहाँ पर अधिकारों को नकारा या धमकाया जा रहा है, विशेष प्रक्रियाओं (Special Procedures - SP) के संज्ञान में लाना चाहिए; समझौतों/संधियों के लिए वैकल्पिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने चाहिए जिसमें कि देश एक स्टेट पार्टी हो – संयुक्त राष्ट्र और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के संदर्भ में – और प्रतिवेदन, उस देश की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review - UPR) प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

मानवाधिकार परिषद के सत्रों के दौरान की जाने वाली UPR, अथवा न्यूयॉर्क में महासभा (General Assembly) के दौरान तीसरी समिति के सत्रों (Third Committee sessions) के साथ साथ अन्य कार्यक्रम तथा मण्डल भी आयोजित किए जा सकते हैं। विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) के अधिदेश धारक प्रायः इस तरह के मंडलों का हिस्सा होते हैं। परंतु साइड पैनलों और अभियानों के उद्देश्य को लेकर पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आप क्या पाने की आशा करते हैं? क्या यह भाषा में परिवर्तन के बारे में है? या एक नए प्रस्ताव के अभिग्रहण के बारे में? इसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होती है। या क्या यह मौजूदा प्रस्तावों में संशोधन के बारे में है? यह यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिदेश धारकों के नवीनीकरण के बारे में भी हो सकता है जो वार्षिक होता है। इसलिए नए प्रस्ताव में भाषा/मुद्दे के मसले को सुलझाने की कोशिश करें। अंततः मैं सोचती हूँ कि नागरिक समाज संगठनों (CSOs) को यह समझने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली बहुत विशिष्ट है और धार्मिक कट्टरवाद पर कोई भी नयी भाषा स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह बहुत ही अस्पष्ट और/या भिन्न तरीके से परिभाषित विषय है।

अतः अतिवाद की शब्दावली पर प्रतिपादित मुद्दों पर अनुक्रिया की संभावना अधिक है। परंतु आप मेरी महिलाओं पर लिखी गई रिपोर्ट को संदर्भित कर सकते हैं जो मेरे विचार से भविष्य के कार्यकलापों की ओर संकेत करती है और SR की तुलना में धार्मिक सहनशीलता के ऊपर ज़्यादा विशिष्ट है।

"मानवाधिकार प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है, और सतत विकास लक्ष्यों को मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उनका विश्लेषण एवं समीक्षा की जानी चाहिए।"

बढ़ते हुए धार्मिक कट्टरवाद और अतिवाद के परिपेक्ष में इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्तरदायी तंत्र को किस प्रकार सुदृण किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि इनको अन्य प्रक्रियाओं से मिलाना आवश्यक है, विशेष रूप से न्यू यॉर्क द्वारा संचालित प्रक्रियाएं, जैसे कि सतत विकास का 2030 का एजेंडा? आपके विचार से यह कैसे किया जा सकता है?

मैं तुरंत तो यह नहीं बता पाऊँगी कि उत्तरदायी तंत्रों को कैसे मज़बूत किया जाये। विशेष प्रक्रियाओं (Special Procedures) के दृष्टिकोण से हमने यह माँगा था कि सभी देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में अधिदेश धारकों को निकट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उसमें समस्या यह है कि राष्ट्रों के पास संस्तुतियों को स्वीकार और अस्वीकार करने का विकल्प है। परंतु स्वीकृत संस्तुतियां आगे की कार्यवाही को आसान बना देती हैं।

विशेष प्रक्रिया (Special Procedures) अधिदेश धारकों ने इस बात का भी तर्क दिया है (कम से कम 2010 में शुरू मेरे कार्यकाल से) कि मानवाधिकारों को सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और उपक्रमों से एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है। हमने कहा था कि हम भी खुशी से इस संबंध में प्रशिक्षण/अनुस्थापन देने में सहायता करने के इच्छुक हैं। परंतु हम देखते हैं कि राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को एकीकृत किया जाना या न किया जाना इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि प्रभारी कौन है। इसके अलावा बजट को लेकर भी बहुत उलझाव हैं, क्योंकि मानवाधिकार को, जो संयुक्त राष्ट्र का तीसरा स्तम्भ है, बहुत कम पूँजी/धन मिलता है[2]।

फ़रीदा शहीद का सम्पर्क सूत्रः
farida@sgah.org.pk

Notes & References

2 2014–15 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 3% से कुछ ही अधिक भाग मानवाधिकार के लिए आवंटित था. जबकि मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के तीन स्तम्भों में से एक है (अन्य दो हैं विकास और शांति एवं सुरक्षा). यह धनराशि जेनरल असेंबली तथा मानवाधिकार समिति के मानवाधिकार अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए अपर्याप्त है. See OHCHR, "Funding and Budget," accessed 9 March 2016, http://www.ohchr. org/EN/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx.

जेंडर न्याय की खोज में धर्म के बारे में पूछताछः

फुलाटा मोयो के साथ बातचीत

ऐरो (ARROW) की मारिया मिलिंडा ऐंडो ने फुलाटा मोयो से एक नारीवादी विद्वान सक्रीय कार्यकर्ता के रूप में उनकी जीवन यात्रा के बारे में और जेंडर न्याय हेतु धार्मिक कट्टरवाद को चुनौती देने के उनके कार्य के बारे में उनसे बातचीत की।

कृपया अपना परिचय दीजिए.

अपना परिचय देने से पहले मैं यह घोषणा करना चाहती हूँ कि इस साक्षात्कार में मैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस (World Council of Churches - WCC) की ओर से बात नहीं कर रही हूँ। मैं फुलाटा मोयो हूँ; फुलाटा का मतलब है कि मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे पैर पहले बाहर आए थे और सिर बाद में। मैं एक आस्था नारीवादी विद्वान–कार्यकर्ता हूँ और जेंडर न्याय की तलाश में धार्मिक स्त्रोतों की छान बीन करती हूँ। मैं WCC की कार्यक्रम अधिकारी हूँ जहाँ मैं जेंडर न्याय के लिए महिलाओं के धार्मिक आंदोलन और परिवर्तनकारी पुरुषत्व स्थापित करने के लिए कार्य करती हूँ, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ व उनके ज़रिए जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को नीति–निर्माण की प्रक्रियाओं से जोड़ने का कार्य करती हूँ।

मैं हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल, कैम्ब्रिज, मेसाच्युसेट्स, यूएसए में एक अतिथि विद्वान थी; और अगस्त 2017 से जून 2018 तक मैं इसके 'Women Studies in Religion Programme, 2017-18' का हिस्सा रहूँगी। मैं स्कॉलर्स इन एक्शन कार्टर सेन्टर/फ़ेथ ट्रस्ट के कार्यकारी दल की सदस्य हूँ; फेमिनिस्ट स्टडी ऑफ़ रिलिजन फ़ोरम की संस्थापक सदस्य हूँ, लाइफ़ एंड पीस इंस्टीट्यूट, स्वीडन की बोर्ड मेम्बर हूँ, और सर्किल ऑफ कंसर्नड अफ्रीकन वीमेन थिओलाजिअन्स की सदस्या हूँ। मेरी अनुसंधान और सक्रियतावादी अभिरुचियाँ इस बात पर केन्द्रित हैं कि किस प्रकार अफ्रीकी महिलाओं की कथाकारिता और धर्मशास्त्र धार्मिक कट्टरवाद – विशेषकर जेंडर आधारित हिंसा में इसका प्रकटीकरण – को चुनौती देने की इच्छा को अनुप्राणित करते हैं।

क्या आप जेंडर न्याय की तलाश में धार्मिक संसाधनों से जानकारी प्राप्त करने के बारे में कुछ और बता सकती हैं?

मेरा जन्म मलावी में हुआ और जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा यौन शोषण किया गया था। उस अनुभव के कारण मैं बचपन में बहुत एकाकी थी, और मुझे अस्वीकृति को एक शक्ति के रूप में गले लगाना सीखना पड़ा और अपने अंदर ही शक्ति खोजनी पड़ी। मुझे अपनी समझ से ही यह जानना पड़ा कि मेरे लिए भगवान कौन है, और यह वो भगवान था जो मेरे रोने को सुन सकता था, जो महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और जो, मैं जैसी भी थी उसी हालत में मेरी कद्र करता था। यह उस पित्रासत्तात्मक[1] संदर्भ के बावजूद था जहाँ मैं पली बढ़ी थी, जहाँ लड़कियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए जो कुछ भी मैंने धर्मशास्त्रों से सीखा है – परमेश्वर को एक पिता, एक सख़्त पुरुष आकृति के रूप में देखना – वह मुझे कभी समझ नहीं आया। बाद में, मैं सर्किल ऑफ कंसर्नड अफ्रीकन वीमेन थिओलाजिअन्स के साथ जुड़ गयी, जो कि 1989 से (जब से इसकी स्थापना हुई), धर्म और संस्कृति को महिलाओं के दृष्टिकोण से समझने और इसके बारे में अनुसंधान करने के कार्य में लगा हुआ है और इससे मुझे काफ़ी मदद मिली।

इसलिए, जब मैं जेंडर न्याय के लिए धार्मिक संसाधनों की जांच–पड़ताल के बारे में बात करती हूँ, तो मेरा तात्पर्य यह होता है कि मैं धर्म को सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में अंगीकार नहीं करती हूँ, बल्कि सदैव उस समझ को, जो धर्म के अंतर्गत महिलाओं के प्रति भेदभाव करती है, चुनौती देती हूँ और उसके प्रति संशय व्यक्त करती हूँ।

धर्म की पित्रसत्तात्मक प्रकृति पर सवाल उठाने वाले आपके मत की क्या कभी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है?

हाँ, बहुत सी प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए, मुझे याद है कि कभी मैंने विधिवत पादरी बनने के लिए आवेदन दिया था, और मुझे अनौपचारिक तरीके से यह बताया गया था कि हालाँकि जिस चर्च में मैंने आवेदन दिया था उसमें महिलाओं

Notes & References

1 पैट्रि–किरिआर्केल, पैट्रिआर्केल (पितृसत्तात्मक) तथा कायेराकेल का संयोग है. जहाँ नारी सम्बन्धी संवादों में पैट्रिआर्की वह सामाजिक व्यवस्था है जो पुरुषों को महिलाओं का नियंत्रित करने अथवा उत्पीड़ित करने का विशेषाधिकार देती है, वहीं कायेराकी की परिभाषा ग्रीक भाषा में 'लार्ड' अथवा 'मास्टर' शब्द से व्युत्पन्न है. इस शब्द को गढ़ा है एलिज़ाबेथ स्कूस्लेर फलोरेंज़ा ने, जो इस वास्तविकता के भीतर पैट्रिआर्की (पितृसत्ता) की सैद्धांतिक अपर्याप्ता को स्वीकार करता है कि उत्पीड़न किस प्रकार अन्तरानुभागी है – सभी पुरुष सभी महिलाओं को नियंत्रित या उत्पीड़ित नहीं कर सकते; जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता सहित ऐसे कई कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन पुरुष किस महिला को नियंत्रित/उत्पीड़ित कर सकता है. उदाहरण के लिए काले पुरुष श्वेत महिलाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. अतः मैं पैट्रि–कायेराकी शब्द का प्रयोग अपने बचपन के सन्दर्भ में उस सामाजिक (सांस्कृतिक) व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए करती हूँ जहाँ पुरुष महिलाओं को नियंत्रित/उत्पीड़ित करते थे, परन्तु यह आयु और वर्ग से तय होता था कि कौन पुरुष किन महिलाओं को नियंत्रित/उत्पीड़ित करते थे. अधिक आयु की महिलाएं प्रायः कुल माता होती थीं जो युवा पुरुषों को नियंत्रित/उत्पीड़ित कर सकती थीं. पैट्रिआर्की (पितृसत्ता) पर विचार विमर्श के लिए देखें: Elisabeth Schussler Fiorenza, Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation(New York: Orbis Books, 2001), "Glossary, 211."

को पादरी नियुक्त किया जाता था परंतु मेरे जैसी महिला को नहीं। तो मेरे लिए यह एक मज़ाक बन गया है – आख़िर मैं किस तरह की महिला हूँ कि ये लोग महिलाओं को तो पादरी नियुक्त करते हैं लेकिन मेरे जैसी को नहीं?

हो सकता है कि जो लोग दूसरों के अनुरूप हैं और जो सवाल नहीं उठाते हैं उनको पादरी बनाया जा सकता है। क्या आपके अनुसार, धर्म, धार्मिक कट्टरवाद और अतिवाद, और महिलाओं के अधिकार (जिनमें उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार भी शामिल हैं), के मुद्दे आपस में संबन्धित हैं?

हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि, इस तरह के अधिकारों के हनन, धर्म के कट्टरवादी/अतिवादी व्याख्यानों द्वारा न्यायसंगत ठहराए जाते हैं। नहीं इसलिए कि, यदि धर्म एक कारण, सिद्धांत, या मत–प्रणाली है – जीवन के अर्थ के बारे में, सृष्टिकर्ता और मनुष्य (जो उसकी रचना है) के बीच जीवन दायक और गरिमामय संबंध के बारे में – तब कट्टरवाद और अतिवाद उसका हिस्सा नहीं हो सकते। वास्तविकता तो यह है कि महिला–अधिकारों (जिसमें उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार शामिल हैं) की रक्षा, स्वभावतः धर्म के नैतिक निहितार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है।

धर्म जीवन देने और जीवन की गरिमा बढ़ाने के बारे में है, क्योंकि वास्तव में यह ईश्वर और उसकी सृष्टि के बीच सम्बन्ध की प्रकृति को समझने के बारे में है। जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तब समझ आता है कि इसी अर्थ की तलाश लोगों को धार्मिक बनाती है। अतः, क्योंकि मानव जाति की रचना इसके जेंडर के विविध रूपों में हुई थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कुशल–मंगल और गरिमा–वर्धन भी सब जेंडर पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, महिलाओं और पुरुषों के गरिमा–वर्धन का मूलभूत आधार हैं। इसलिए, मेरे अनुसार धर्म को, अपनी मूल प्रकृति के कारण, इसकी रक्षा करनी होगी।

आपने सभी जेंडरों को शामिल करने का उल्लेख किया है – क्या आपके विचार में महिला और पुरुष के अलावा अन्य जेंडरों को भी शामिल किया है?

हाँ, WCC में, हमारे समुदायों की संवेदनशील वास्तविकता के कारण, हम अभी भी महिला एवं पुरुष के दोहरे सन्दर्भ में काम करते हैं, परन्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं जानती हूँ कि जेंडर पहचान महिलाओं और पुरुषों के अलावा भी हैं।

"...क्योंकि मानव जाति की रचना इसके जेंडर के विविध रूपों में हुई थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, तो इसका अर्थ है कि कुशल–मंगल और गरिमा–वर्धन भी सब जेंडर पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, महिलाओं और पुरुषों के गरिमा–वर्धन का मूलभूत आधार हैं। इसलिए, मेरे अनुसार धर्म को, अपनी मूल प्रकृति के कारण, इसकी रक्षा करनी होगी।"

LGBTIQ अधिकारों पर WCC का अभी तक कोई आधिकारिक दृष्टिकोण नहीं है?

अभी तक तो नहीं है। WCC में एक मानव यौनिकता संदर्भ समूह (human sexuality reference group) है जो इस विषय पर काम करता है और एक नैतिक विवेक प्रक्रिया भी है जो इस बात पर विचार करती है कि चर्च किस प्रकार उन मुद्दों पर संवाद बनाए रख सकते हैं जो अभी भी संवेदनशील हैं। हालांकि, चूंकि WCC में 348 सदस्य चर्च हैं, इसलिए नीति निर्धारण पर अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी है। जब चर्च की एकता की बात आती है तो LGBTIQ अधिकार, सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक बन चुकें है, अतः किसी भी विस्तृत समुदाय/दल के उत्तरदायी सदस्यों की तरह, वे समझदारी, संवेदनशीलता और सावधानी से कदम रख रहे हैं। परन्तु एक समर्थित बुनियादी नैतिक सिद्धांत यह है कि: प्रत्येक व्यक्ति और सृष्टि की गरिमा की सुरक्षा करना प्रत्येक धर्म का मूल सिद्धांत है। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, जहाँ LGBTIQ अधिकारों पर किसी नीति को विकसित करने अथवा उसका समर्थन करने के लिए, अभी भी बहुत बात–चीत की आवश्यकता है। कुछ सदस्य चर्चों की नीतियाँ स्पष्ट हैं और कुछ की नहीं।

आपके विचार में प्रगतिवादी विश्वास–आधारित संगठन किस प्रकार LGBTIQ जैसे मुद्दों को सम्मिलित करके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं? किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है?

कई बातों की आवश्यकता है। प्रथम है इस

मुद्दे को एक मानवीय पहचान देने की – केवल आंकड़ों पर ही नहीं वरन् व्यक्ति पर भी ध्यान देना। एक आधारभूत कदम है एक ऐसा मंच अथवा स्थान बनाना जहां उनकी आवाज़ें सुनी जा सकें।

"हम जानते हैं कि इनमें से कुछ प्रतिरोध केवल ज्ञान और समझ की कमी पर आधारित हैं; एक ऐसा स्थान होना आवश्यक है जहाँ एक कम ख़तरनाक माहौल में ज्ञान साझा किया जा सके, जिसमें लोगों को प्रश्न करने, स्वीकार करने, समझने और परिवर्तन लाने की स्वयं की प्रक्रिया से गुज़रने की अनुमति हो।"

दूसरी आवश्यकता है ऐसे निरंतर संवाद की जिसमें ऐसे व्यक्तियों को साथ लाया जा सके जिन्हें, बेहतर शब्दावली के अभाव में, "प्रगतिशील" और "रूढ़िवादी" कहा जा सकता है। इसका अर्थ है संवाद के लिए एक सुरक्षित स्थान की रचना करना, जहाँ मूल्यांकित हुए बग़ैर वे लोग भी अपने विचार और भय साझा कर सकते हों, जो इन मुद्दों पर बात करने में डरते हैं, या जिनका इसके पक्ष या विपक्ष में एक निश्चित दृष्टिकोण है। हम जानते हैं कि इनमें से कुछ प्रतिरोध केवल ज्ञान और समझ की कमी पर आधारित हैं; एक ऐसा स्थान होना आवश्यक है जहाँ एक कम ख़तरनाक माहौल में ज्ञान साझा किया जा सके, जिसमें लोगों को स्वयं प्रश्न करने, स्वीकार करने, समझने और परिवर्तन लाने की स्वयं की प्रक्रिया से गुज़रने की अनुमति हो।

मेरे लिए तीसरा बिन्दु इस मुद्दे के नाम को लेकर है। LGBTIQ अधिकारों के नामकरण में एक अजनबी और विदेशी भाषा सन्निहित है, जो कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए स्वीकार करना बहुत आसान नहीं है, जो विशेष सन्दर्भों से सम्बंधित हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में अक्सर लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि यह (धारणा) तो पश्चिम से आया है। परन्तु सांस्कृतिक समझ और अनुभव से देखने पर आप पाएंगे कि ये तजुर्बे अफ्रीका में बहुत लंबे समय से थे, हालाँकि उनका नाम LGBTIQ नहीं दिया गया था। इसलिए नामकरण के बारे में जांच–पड़ताल करनी चाहिए; हमें हमेशा किसी एक विशेष नाम देने पर ज़ोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह ज़िद इस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करने से विमुख कर देती है।

धर्म तथा धार्मिक अतिवाद व धार्मिक कट्टरवाद के दुरुपयोग का महिलाओं और युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है? कृपया जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्य, और समुदायों के साथ हुए अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताएं?

इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
• महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा की धार्मिक तर्कसंगतता; आज्ञाकारिता और अधीनता स्वीकारने के नैतिक सिद्धांतों को पवित्र करार कर देने की पितृसत्तात्मक चालबाज़ी (उदाहरण के लिए पीड़ित महिलाओं को सलाह देना कि वो अपने अत्याचारी पति के पास ही रहें);
• धर्म को हानिकारक धार्मिक–सांस्कृतिक अभ्यासों, जैसे कि स्त्री जननांग विकृति, का मिथ्या आधार बनाना;
• धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों के आधार पर LGBTIQ समुदाय का अपराधीकरण;
• धार्मिक कानूनों की "कट्टरवादी व्याख्याओं" का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र महासभा और कमीशन ऑन द स्टैट्स ऑफ़ वीमेन (Commission on the Status of Women - CSW) द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निष्कर्षों और संकल्पों का प्रतिरोध और उनके लिए चुनौती;
• यौनिक तथा जेंडर–आधारित हिंसा को बाल–विवाह के ज़रिए धर्मानुसार 'पवित्र' बनाना;
• धर्म–सम्बंधित महिलावादियों और जेंडर कार्यकर्ताओं का निरंतर भेदभाव/बहिष्कार और उन्हें राक्षसी प्रवृति का मानना, ताकि धार्मिक समुदायों में मतभेद न हो और पितृसत्तात्मक सत्ता से लाभान्वित धार्मिक नेता रुष्ट न हों।

क्या आप अपने अनुभव–आधारित कुछ विशेष उदाहरण दे सकती हैं कि किस प्रकार से धार्मिक कट्टरवादी धार्मिक कानून की कट्टरवादी व्याख्याओं का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीकृत निष्कर्षों और संकल्पों को चुनौती देते हैं?

मैं न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन द स्टैट्स ऑफ़ वीमेन (Commission on the Status of Women - CSW) की बैठकों और यहाँ जिनेवा में कुछ मानवाधिकार सत्रों में भाग लेती आ रही हूँ। एक साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परिवार सम्बन्धी संकल्प को विकसित करने का प्रश्न था। वहाँ पर, चर्च समूहों के समेत, ऐसे अनेक समूह थे जो परिवार को उस तरीके से परिभाषित कर रहे थे जैसे सदियों पहले परिभाषित किया जाता था।

मुझे यह पाखंडपूर्ण लगता है, क्योंकि

वास्तविकता में ये वही चर्च हैं जहां शादी करने वाले अधिकतर जोड़े शादी से पहले ही सहवास करते हैं। उदाहरण के लिए अपने पीएचडी शोध के दौरान मैंने कैथोलिक एंगेज एन्काउंटर जैसी प्रथाओं के बारे में पढ़ा जो असमलैंगिक जोड़ों की शादी हेतु एक आवश्यकता है। मैं एक ऐसे ही समागम में शामिल हुई जिसमें कुल 16 जोड़े थे जिनमें से 12 तो पहले से ही सहवास कर रहे थे; परंतु फिर भी पादरी और दो विवाहित जोड़े जो इस समागम का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और वे विवाह पूर्व सहवास न करने का पाठ पढ़ाते रहे। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भ्रामक लगा, और एक ऐसे सुअवसर की बर्बादी भी जहाँ उन जोड़ों के अनुभवों से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों को संबोधित किया जा सकता था। कट्टरवाद उन आदर्शों का आह्वान करने का ढोंग करता है जो अब प्रासंगिक ही नहीं हैं।

हममें से जो वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं को समझते हुए कार्य कर रहे हैं, उनको पवित्र ग्रन्थों और धर्म की ऐसी व्याख्या करने के तरीके खोजने होंगे जो आजादी और संपूर्णता ला सके। उदाहरण के लिए, मैंने प्रासंगिक बाइबिल अध्ययन कार्यप्रणाली को एक धार्मिक संसाधन के रूप में पक्ष समर्थन (पैरवी) के लिए बहुत ही मददगार पाया है। हमें CEDAW जैसे मौजूदा अभिसमयों/संधियों (सभाओं) को धार्मिक समुदायों से साझा करने की रणनीति बनानी होगी – ऐसी शब्दावली और भाषा में जो उनकी समझ में आये। कभी कभी किसी विशेष भाषा पर ज़ोर देना बाधक होता है क्योंकि वह लोगों को अरुचिकर लग सकती है। इसलिए हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं।

मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु, जिनमें महिलाओं के अधिकार तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार भी शामिल हैं, धार्मिक कट्टरवाद का प्रतिकार करने के लिए प्रगतिवादी विश्वास–आधारित संगठन क्या भूमिका निभाते हैं? इसका प्रतिकार करने के लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

वैश्विक स्तर पर रणनीतियों और अभियानों के कई अच्छे उदाहरण हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• बलात्कार और हिंसा मुक्त संसार हेतु, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ चर्चेस (World Council of Churches - WCC), द लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन (Lutheran World Federation - LWF), क्रिश्चियन एड्स ब्यूरो फ़ॉर साउथ अफ़्रीका (Christian AIDS Bureau for South Africa - CABSA), यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन्स (Young Women's Christian Association - YWCA), आदि द्वारा संचालित थर्सडे इन ब्लैक (Thursdays in Black - TiB) अभियान। यह अभियान मूल रूप से 'वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस' के 'डिकेड्स ऑफ चर्चेस इन सॉलिडैरिटी विथ विमेन 1988–1998' से बद्ध है जो संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं के दशक (1975-1985) (UN Decade of Women 1975-1985) पर चर्चों की अनुक्रिया थी। इस दशक के दौरान WCC ने गिरजाघरों के सार्वभौम संगठनों, जैसे LWF, YWCA, के साथ मिलकर महिलाओं और पुरुषों के एकजुट दलों को संगठित किया – WCC के प्रत्येक सदस्य से मिलने के लिए और यह जानने के लिए कि चर्च के बारे में महिलाओं के क्या अनुभव हैं। इन कहानियों से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तविकता तो यह है कि चर्चों के अंदर भी महिला हिंसा होती है, और इससे इस बात की भी अभिस्वीकृति हुई कि हिंसा का विरोध करने और उस पर काबू पाने के लिए महिलाओं की स्वयं की एजेंसी, रणनीतियां और लचीलाता है। इस प्रकार TiB महिलाओं के अनेकों विरोध आंदोलनों से प्रेरित था जिसमें शामिल था मदर्स ऑफ द डिसएप्पियर्ड (Mothers of the Disappeared) आंदोलन जिसमें महिलाएं हर बृहस्पतिवार को प्लाजा डी मेयो, बुएनोस एयर्स, अर्जेन्टीना में एक हिंसक तानाशाही के तहत अपने बच्चों के लापता हो जाने के विरोध में प्रदर्शन करती थीं; इजराइल का विमेन इन ब्लैक जिसमें महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर युद्ध और हिंसा का विरोध किया; दक्षिण अफ़्रीका का ब्लैक सैश आंदोलन जो रंगभेद के खिलाफ़ प्रदर्शन करता था; और बोस्निया तथा रवांडा के महिला–आंदोलन जो बलात्कार को युद्ध के एक हथियार के रूप में प्रयोग पर विरोध–प्रदर्शन कर रहे थे। TiB, काले रंग को विरोध के रंग की तरह प्रयोग करता है।

• उन जेंडर न्याय नीतियों का विकास, जो जेंडर जागरूकता और प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। ऊपर उल्लिखित दशक में इस बात की भी अभिस्वीकृति मिलती है – निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाज़ों और दृष्टिकोणों के भेदभाव की वास्तविकता। अतः यह आवश्यक हो गया कि जहाँ एक ओर अभियानों और प्रशिक्षणों द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ाकर उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर उन नीतियों से भी जुड़ने की आवश्यकता है जो संस्थाओं और समुदायों को जेंडर न्याय प्रतिबद्धताओं के प्रति उत्तरदायी बना सकें। इस सबके द्वारा ही WCC के जेंडर सलाहकार समूह की कार्यविधि

Notes & References

2 नारीवाद के समान औरतवाद लिंगभेद को अंत करने वाले उपायों और युक्तियों में ध्यानमग्न है. नारीवाद के विपरीत, औरतवाद अफ्रीकी वंश की महिलाओं में चलाया गया kyriarchy के विरुद्ध एक मुक्ति आंदोलन है, जो लिंगभेद के अलावा अपनी जाति के आधार पर भी उत्पीड़ित हैं. अतः औरतवाद इस बात को स्वीकारता है कि उत्पीड़न की अंतरानुभागिता में शामिल हैं जाति, वर्ण, लैंगिकता आदि. औरतवाद शब्द को गढ़ने का श्रेय ऐलिस वॉकर को जाता है. See Alice Walker, *In Search of Our Mothers' Garden: Womanist Prose*, (New York: Harcourt Inc., 1983).

को लिंग न्याय नीति की दिशा में ले जाना संभव हो पाया है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय तंत्रों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, CEDAW, UPR तथा UNSCR1325, का प्रयोग करते हुए वार्षिक जेंडर पैरवी प्रशिक्षण में सहभागिता। इसमें शामिल है सतत विकास लक्ष्य 5, जो इस बात को तर्क देता है कि केवल समानता के मुकाबले जेंडर समानता और न्याय कहीं अधिक पूर्णतावादी लक्ष्य हैं, के साथ, एक महत्वपूर्ण सम्बद्धता बनाना जो नैतिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखें।

• WCC, LWF, इस्लामिक रिलीफ़, एक्ट एलायंस, एंग्लिकन कम्यूनियन और चर्च ऑफ़ स्वीडन द्वारा 16 दिनों का सक्रीयतावाद (16 Days of Activism) अभियान के लिए धार्मिक संसाधन जुटाना। यह धार्मिक संसाधनों को विकसित करने की एक प्रक्रिया रही है, निम्न साधनों का उपयोग करके – प्रासंगिक शैक्षणिक तरीकों का प्रयोग करते हुए आज़ादी प्राप्ति हेतु पवित्र ग्रन्थों को पढ़ाना; और जेंडर अन्याय तथा यौन और जेंडर आधारित हिंसा का प्रतिवाद करने हेतु, आख्यानों और पद्धितियों के माध्यम से धार्मिक समुदायों को संगठित करना।

आपके विचार से, धर्म के दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभावों को हटाने और सरकारों को अपने वायदों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, '2030 एजेंडा' जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों, तथा मानवाधिकार तंत्रों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है?

WCC, LWF, इस्लामिक रिलीफ़, YWCA, द एंग्लिकन कम्यूनियन तथा अन्य, जेंडर न्याय समर्थकों और महिला–समूहों को, CEDAW संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1325 (UN Security Council 1325), यूनिवर्सल पीरिओडिक रिव्यु (Universal Periodic Review) तथा सतत विकास लक्ष्य–5 के बारे में एक धार्मिक नैतिक परिप्रेक्ष्य की क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है जेंडर न्याय के सक्रीय प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे शोध करके वैकल्पिक आख्यायें लिखने में सक्षम हो सकें, जिनका प्रयोग CEDAW समिति द्वारा उस समय लिखी गयी सरकारी आख्याओं की जांच करने में किया जाता है और जो सरकारों और संस्थानों को उत्तरदायी ठहराने में सहायता करती हैं। हम तीन वर्षों से यह कार्य प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में करते आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई में ही CEDAW का सत्र भी चलता है, और इस बहाने प्रतिभागियों को एक वास्तविक CEDAW सत्र की रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त होता है, तथा वे CEDAW समिति के सदस्यों से भी बातचीत कर सकते हैं जिससे कि वे अपने देश से आये सदस्यों से नेटवर्क कर सकें। हम इसको विकसित करने की आशा करते हैं। हम इस प्रशिक्षण को CSW के दौरान न्यू यॉर्क में भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके।

नारीवादी और विश्वास आधारित समूह, प्रगतिशील परिणामों की प्राप्ति के लिए, किस प्रकार बेहतर तरीके से मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं?

मुझे नहीं लगता है कि नारीवादियों/स्त्रीवादियों और विश्वास–आधारित समूहों के बीच द्विभाजन होना चाहिए। मैं एक नारीवादी/स्त्रीवादी और धार्मिक व्यक्ति हूँ और दोनों पक्ष अनन्य नहीं हैं, वरन् परस्पर समावेशी हैं। मैं जानती हूँ कि नारीवाद/स्त्रीवाद[2] के कुछ सबसे समृद्ध विकास जनता और अकादमी के धार्मिक हलकों के भीतर हुए हैं – जाति, वर्ग, यौनिकता, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आदि के बंधनों को काटते हुए। पितृसत्ता में जेंडर–आधारित दोहरी व्यवस्था लाभार्थियों के व्यक्तिगत लोभ को सशक्त करती है और उनके आधिपत्य को बनाये रखने में सहायक होती है। परन्तु हममें से जो इस शोषण व्यवस्था से लड़ रहे हैं उनको और अधिक एकीकृत उपागम अपनाने होंगें जो पारस्परिक रूप से समावेशी हों (जिनमें सबकी भागीदारी हो)। हमारी एकजुटता और लिंग न्याय की एक ही नदी में बहती हुई विविधताओं से समृद्ध हमारी बहनापे की तीर्थयात्रा से हमें इस उत्पीड़न पर विजय पाने के लिए शक्ति मिलती है।

फुलाटा मोयो का सम्पर्क सूत्र:
fulatamoyoO@gmail.com.

एक कदम आगे, 10 कदम पीछेः
CEDAW और टोंगा

2015 में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने के कगार पर थी। कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वीमेन (Commission on the Status of Women - CSW) के न्यू यॉर्क में चल रहे उनसठवें सत्र में, टोंगा की सरकार ने कहा कि वह महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने की संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)[1] को पारित करने की प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए प्रस्तुत है। परंतु यह प्रक्रिया फ़िलहाल रोक दी गयी है।

महिला नेत्रियों और ग़ैर सरकारी संगठनों के 20 वर्षों से अधिक की पक्ष–जुटाव और पैरवी के बाद टोंगा की सरकार द्वारा CEDAW को पारित करने का पूर्वानुमान, टोंगा में महिला–अधिकार आंदोलन का आगे बढ़ने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। वास्तव में यह प्रशांत क्षेत्र के वृहत महिला–अधिकार आंदोलनों के लिए आगे बढ़ने का कदम है। प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में टोंगा और पलाऊ – केवल दो ऐसे देश बचे हैं जिन्होनें संयुक्त राष्ट्र संधि को अभी तक पारित नहीं किया है। 2015 में बीजिंग प्लैटफार्म फ़ॉर एक्शन (Beijing Platform for Action) – जिसको वैश्विक स्तर पर महिला–अधिकारों का एजेंडा तय करने एक ऐतिहासिक दिशा–निर्देश माना जाता है – की बीसवीं वर्षगांठ थी। बीजिंग प्लैटफार्म फ़ॉर एक्शन पर, टोंगा समेत 189 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

टोंगा में महिला–अधिकारों को लेकर पिछले दो दशकों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक है नैशनेलिटी एक्ट (2007) का संशोधन, जिसके तहत टोंगा की महिला नागरिकों के बच्चों को टोंगा की राष्ट्रीयता मिलती है, भले ही बच्चे का पिता विदेशी[2] क्यों न हो। एक और उपलब्धि थी फ़ैमिली प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का लागू किया जाना, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से और अधिक सुरक्षा प्रदान करना था। अधिनियम में, महिलाओं के अधिकारों को सक्षम और संरक्षित करने हेतु तीन मुख्य उपाय शामिल किए गए थेः (1) पुलिस को घटनास्थल पर ही तुरंत अधिकतम सात दिनों के लिए सुरक्षा आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकार देना; (2) पीड़िता/उत्तरजीवी को उनके अधिकारों और सम्बद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी देने की कानूनी आवश्यकता; और (3) इस विधेयक के उत्तम अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु विचार विनिमय करने के लिए मुख्य समुदाय–हितधारकों की समिति का गठन करना।

महिला नेत्रियों और ग़ैर सरकारी संगठनों के 20 वर्षों से अधिक की पक्ष जुटाव और पैरवी के बाद टोंगा की सरकार द्वारा CEDAW को पारित करने का पूर्वानुमान, टोंगा में महिला–अधिकार आंदोलन का आगे बढ़ने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। वास्तव में यह प्रशांत क्षेत्र के वृहत महिला–अधिकार आंदोलनों के लिए आगे बढ़ने का कदम है।

परंतु अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं अभी भी अपनी बात कहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनमें से एक है देश का भूमि–कानून जहाँ महिलाएं अभी भी न तो ज़मीन को अपने नाम से पंजीकृत करा सकती हैं और न ही उसकी मालकिन हो सकती हैं। भूमि पर महिलाओं की पहुँच और अधिकार को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करने की सिफ़ारिश के प्रयासों के बावजूद यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं आर्थिक रूप से वंचित और अधिकारहीन हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पत्नी को अभी भी स्थायी गर्भ निरोध हेतु नसबंदी कराने के लिए अनिवार्य रूप से अपने पति की स्वीकृति, एक फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर के माध्यम से, लेनी होती है। दूसरी ओर जब पति नसबंदी करवाना चाहता हैं तो पत्नी की आज्ञा नहीं ली जाती है।

अपने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने के महिलाओं के अधिकार को ग़ैर–ईसाई और ग़ैर–टोंगन कह कर निंदित किया गया। एक टोंगन पादरी ने कहा, "महिलाओं को बाइबिल

Notes & References

1 Ministry of Information and Communications, "Tonga Announces the Ratification of CEDAW at CSW 59th Sessions," March 12, 2015, accessed May 19, 2017, http:// mic.gov.to/index.php?option=com_content&view=article&id=5260&lang=en.

2 पहले, केवल टोंगन पुरुष नागरिक ही अपने बच्चों का पंजीकरण करा सकते थे, चाहे माँ की नागरिकता कुछ भी हो

Notes & References

में अपना दर्जा जानने की आवश्यकता है, और जब वे इसको जान लेंगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेने हैं, बल्कि अपने पति की अनुमति से निर्णय लेने हैं..."। टोंगा मुख्यतः ईसाई देश है, इसकी 95% आबादी ईसाई है।

कुछ चर्चों का धार्मिक नेतृत्व, महिलाओं को केवल मुख्य एक्युमेनिकल (गिरजाघर के सदस्यों का सम्मलेन) पदों और नेतृत्व भूमिकाओं पर पदोन्नत होने की अनुमति देता है, और इनमें टोंगा के चर्च तथा पाश्चात्य धर्मों के चर्च, दोनों ही शामिल हैं।

इन अंतरों के बावजूद टोंगा की सरकार ने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review) प्रक्रिया में प्रतिवेदन करना शुरू कर दिया है और अपने पिछले दो प्रतिवेदनों के बाद से यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे वायदे किए हैं कि वह CEDAW तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधों और संधियों[3] को पारित करने के लिए कदम उठाएगा। अपने आप में, इसके द्वारा उनसठवें CSW में दिए गए वक्तव्य का बहुत स्वागत किया गया – बीजिंग कार्यक्रम के बाद, महिला–अधिकारों को साकार करने और प्राथमिकता देने की उसकी प्रतिबद्धता के परिप्रेक्ष्य में। इसने ज़मीनी स्तर पर चल रहे महिला–अधिकार आंदोलनों को एक ज़ोरदार और स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार उन बाधाओं और चुनौतियों को गंभीरता पूर्वक लेने के लिए तैयार है जिनकी वजह से महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में विलम्ब होता है। क्षितिज पर बहुत सी प्रत्याशाएं थीं।

परन्तु जो अप्रत्याशित था वह था धार्मिक कट्टरवादियों और अतिवादियों का प्रतिघात, जिन्होंने सोशल मीडिया (समाज द्वारा अकेन्द्रित ढंग से संचालित माध्यम), मास मीडिया (जनसंचार माध्यम) और स्थानीय ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के माध्यम से तीव्रता से समर्थन समूह बना लिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अनुसमर्थन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के सरकारी प्रयत्नों का शीघ्रता से अंत कर देना। उन्होंने दो सबसे विवादास्पद मुद्दों – गर्भपात और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का प्रयोग करके आम जनता में आतंक फैला कर देश में विषम स्थिति पैदा कर दी। टोंगन सरकार द्वारा CSW में दिये गए वक्तव्य के एक दिन से भी कम समय के बाद समूचे टोंगन क्षेत्र – ऑस्ट्रेलिया, न्यू ज़ीलैंड और अमरीका में रहने वाले प्रवासी टोंगनों में CEDAW विरोधी प्रक्षोभ की लहर सी दौड़ गयी, और टोंगन मीडिया भी उनकी माँगों से आप्लावित हो गया – मांग यह थी कि चर्च के लीडर अविलम्ब इस विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दें तथा टोंगन सरकार को इस संधि को पारित न करने की सलाह दें।

हालाँकि CEDAW में अनुसमर्थन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ प्रतिबन्ध हैं जिससे कि स्थानीय संवेदनाएं (देश की स्वायत्ता और आर्थिक/सामाजिक/सांस्कृतिक रक्षा परिप्रेक्ष्य में) सुरक्षित रह सकें, धार्मिक कट्टरवादियों ने आम जनता के मन में यह भ्रान्ति पैदा कर दी कि वे (कट्टरवादी) संस्कृति और धर्म के नाम पर देश की रक्षा कर रहे थे। एक पादरी, जो CEDAW विरोधी प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में से एक थे, ने कहा कि अगर टोंगा ने यूएन कन्वेन्शन को मंजूरी दे दी तो टोंगा वापस ईसाई–पूर्व युग में पहुँच जायेगा। इस कट्टरवादी समूह द्वारा सड़क पर आयोजित विरोध–जुलूस में प्रदर्शनकारी जो सूचना पत्रक अपने हाथों में पकड़े हुए थे उन पर लिखा था – "CEDAW शैतान का गुप्त एजेंट है"; "CEDAW=666! विपदा" और "CEDAW नर्क में जाओ"। इस CEDAW विरोधी जुलूस में जिन चर्चों के प्रतिनिधि शामिल थे वे थे कैथोलिक, फ्री वेस्लेयन (Free Wesleyan), और तोकाइकोलो (Tokaikolo) चर्च तथा अन्य कई छोटे नव–स्थापित इवाञ्जेलिकल चर्च। एक प्रमुख चर्च नेता ने कहा कि देश का आदर्श वाक्य (motto) – "ईश्वर और टोंगा मेरी विरासत हैं" – यह दर्शाता है कि ईश्वर सबसे प्रमुख है और इसलिए सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार ही होना चाहिए, न कि उस तरह जैसे संयुक्त राष्ट्र चाहता है।

विरोध मार्च ने 15,000 याचिका–कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका, औपचारिक अनुरोध के रूप में, राजा को सौंपी, कि वे अपने हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार की CEDAW को पारित करने की योजना को रोकें। दो चर्च नेताओं ने रेडियो और टीवी के नियमित कार्यक्रमों के ज़रिये सरकार के CEDAW पारित किये जाने के कदम की निंदा करी, और अपनी बात को सही ठहराने के लिए बाइबिल ग्रंथों का प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रसारणों के दौरान CEDAW पक्षी समर्थकों के विरोध में दुस्साहसपूर्ण वक्तव्य भी दिये, तथा जो महिलाएं CEDAW अभियानों का नेतृत्व कर रही थीं उनके, और उनके बच्चों को श्रापित किया, और CEDAW समर्थकों के लिए घ्रणास्पद और गुस्से से भरे भाषण दिये। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सशक्त कार्यकर्ताओं को ईसा–विरोधी प्रतिनिधि ठहराया।

3 United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, Universal Periodic Review–Tonga, accessed May 19, 2017, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TOSession2.aspx

देशीय और क्षेत्रीय गतिविधियों का अनुश्रवण

इस सबका महिला–आंदोलन पर जो प्रभाव पड़ा उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। महिला–अधिकारों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर पड़े इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते करीबी पारिवारिक रिश्ते और मैत्री बंधन टूट गए। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के बच्चों ने भी अपने स्कूली सहपाठियों और अध्यापकों का नकारात्मक रवैय्या झेला और उन्हें इन प्रतिघातों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ा। लगभग एक लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश में अलगाव की प्रबल भावना थी जिसका बहुत बड़ा मूल्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुकाना पड़ा।

फिर भी, सामाजिक कार्य को जारी रखना था, और इस मुद्दे के प्रति समर्थन जारी रखने के लिए अब ध्यान अधिक से अधिक सक्रीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या बढ़ाने पर केन्द्रित है।

इस तरह के प्रतिघातों और धार्मिक ग्रन्थों की सीमित व्याख्याओं से ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित टोंगा अपनी अभी तक हासिल की गयी सभी उपलब्धियों से दस कदम पीछे की ओर जा रहा है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाने के लिए अभी बहुत लम्बे समय तक संघर्ष करना होगा। वर्ष 2015 से परिलक्षित होता है कि टोंगा की आबादी पर धार्मिक कट्टरवादियों, बाइबिल ग्रन्थों की सीमित व्याख्याओं और आदेशित प्रतिफलों की अभी भी काफ़ी अधिक पकड़ है। अभी भी बहुत काम करना बाकी है।

ओफ़ा गुटेनबेल लिकिलिकि द्वारा
निदेशक, वीमेन एंड चिल्ड्रेन काइसिस सेन्टर (Women and Children Crisis Centre - WCCC), टोंगा | ईमेल: ofa.guttenbeil@gmail.com

लेटिन अमेरिका और कॅरीबीयन में धार्मिक कट्टरवाद

पिछले कुछ सालों में कट्टरवादी समूहों द्वारा मानवाधिकारों पर हमला करने और आतंकित करने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पश्तून मूल की एक युवा पाकिस्तानी नारीवादी और महिला–अधिकारों के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता, फ़रीदा अफ़रीदी को गोली से मार दिया गया जब वह जुलाई 2012 में काम पर गयी थी[1]। इसी बीच जैनिफ़र मारकोव्स्की, गैरेट स्वासी, और के अरे स्टीवार्ट को एक ईसाई अतिवादी ने कोलोरैडो स्प्रिंग्स यूएसए स्थित एक नियोजित–मातृत्व क्लीनिक (Planned Parenthood clinic) पर मार डाला[2]।

लेटिन अमेरिका और कॅरीबीयन क्षेत्र भी कोई अपवाद नहीं हैं। एल सेल्वाडोर[3] और मेक्सिको[4] में गर्भपात कराने पर महिलाओं को 30 साल तक की जेल की सजा दी जाती है; कुछ स्वतः गर्भपात के मामलों में भी उनको सजा हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार प्राधिकारी वर्ग तथा अन्य व्यक्ति अपनी व्यापक रूप से प्रचारित बयानबाज़ी के ज़रिये यौन और प्रजनन अधिकारों के समर्थकों को कलंकित करते हैं तथा उनकी तुलना अपराधियों से करते हैं[5]।

इन महिलाओं द्वारा सहन की जा रही हिंसा के अलावा एक और समस्या है मानवाधिकार रक्षा के क्षेत्र में कट्टरवादी आंदोलनों की तेजी से बढ़ती हुई उपस्थिति, तथा उनके बढ़ते हुए आर्थिक, मीडिया और राजनीतिक संसाधन, जो की नारीवादी तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलनों के संसाधनों से कहीं अधिक हैं[6]। इसका एक उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र जैसी जगहों पर या धर्म निरपेक्ष राष्ट्रों की सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया के क्षेत्र में इन समूहों की बढ़ती हुई उपस्थिति, जबकि परिभाषा के अनुसार इन्हें किसी भी धर्म के आधीन नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

जैसा कि लेखक और धर्मशास्त्री जों पीएयर बस्तियन ने कहा, "धार्मिक माँग राजनीतिक कार्यवाही बन चुकी है"[7]। मेक्सिको या

Notes & References

1 Editorial, "Farida Afridi," The Express Tribune, July 7, 2012, accessed May 11, 2017, https://tribune.com.pk/story/404673/farida-afridi/.

2 Julie Turkewitz and Ashley Southall, "Colorado Victims Identified as Iraq Veteran and Woman from Hawaii," The New York Times, November 29, 2015, accessed May 11, 2017, https://www.nytimes.com/2015/11/30/us/victims-in-colorado-clinic-shooting-include-iraq-war-veteran.html.

3 Las 17, accessed January 20, 2017, http://las17.org/.

4 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Omisión e Indiferencia Derechos Reproductivos en México(Mexico: GIRE, 2013), accessed May 11, 2017, http://www.sitioswwweb.com/miguel/Gire-Aborto.pdf and http://informe.gire.org.mx/

ब्राज़ील[8] जैसे देशों में इंजीलवादी (ईसाई मत प्रचारक) समूह ऐसी राजनीतिक पार्टियों के रूप में संगठित हो गए हैं जिन्होंने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय रूप से दख़ल दिया है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में यह कहा जा रहा है कि दिलमा रौसेफ़ के ख़िलाफ़ राजनीतिक मुकदमा चलाने में इंजीलवादी विधायकों[9] का बहुत बड़ा हाथ था। एक और राष्ट्र जो खुले आम धर्मनिरपेक्षता का विरोध करता है, वह है होण्डुरास, जहाँ पर कैथोलिक महंतशाही ने खुले आम 2009 के तख्तापलट का समर्थन किया[10], और अभी हाल ही में शासकीय कांग्रेशनल वेबसाइट पर प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में, इंजीलवादियों ने हर प्रकार के गर्भपात के दंडादेश का जश्न मनाया।

इसी कट्टरपंथी दृष्टि में युवाओं को एक ऐसा क्षेत्रक माना जाता है जो ग़ैर–लोकतान्त्रिक राजनीतिक तंत्रों को अस्थिर करने की शक्ति रखता है... । इस दृष्टिकोण के चलते... कट्टरपंथी समूहों को यह लगता है कि उन्हें उन मूल्यों को बढ़ावा देना ज़रूरी है जो युवाओं पर नियंत्रण और दबाव बना सकें, साथ ही युवाओं की यौनिकता को कुंठित कर सकें।

इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि चर्च – या फिर स्वयं धर्म – कोई समस्या नहीं हैं। समस्या है वह कट्टरवाद जिसके अंतर्गत उनके सबसे प्रभावशाली नेता कार्य करते हैं: वे महिलाओं का विरोध करते हैं; वे पित्रासत्तात्मक हैं; वे मानवाधिकार–विरोधी हैं; वे हिंसक हैं; और वे आम तौर पर एक समतावादी समाज के खिलाफ़ हैं।

यह दृष्टिकोण, जो समानता के ख़िलाफ़ है, सामाजिक आंदोलनों के कई दशकों के प्रयासों द्वारा अर्जित प्रगति को क्षीण करता है, जैसे कि महिलाओं, किशोरों और युवाओं की एक अधिकार संपन्न मनुष्य के रूप में अभिस्वीकृति। इस सर्वसत्तावादी, पित्रासत्तात्मक और रूढ़िवादी दृष्टिकोण में महिलाओं का अस्तित्व केवल प्रजनन के लिए है, और उन्हें अपने स्वयं के शरीर के लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि 'वैध और सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच' जैसे मुद्दों पर गम्भीर रुकावटों के रूप में सामने आता है।

इसी कट्टरपंथी दृष्टि में युवाओं को एक ऐसा क्षेत्रक माना जाता है जो ग़ैर–लोकतान्त्रिक राजनीतिक तंत्रों को अस्थिर करने की शक्ति रखता है, जैसा कि अरब स्प्रिंग आंदोलन में हुआ। इस दृष्टिकोण – जिसमें युवा वर्ग समस्यात्मक हैं – के चलते कट्टरपंथी समूहों को यह लगता है कि उन्हें उन मूल्यों को बढ़ावा देना ज़रूरी है जो युवाओं पर नियंत्रण और दबाव बना सकें, साथ ही युवाओं की यौनिकता को कुंठित कर सकें।

परिणामस्वरूप, युवाओं और किशोर/किशोरियों के लिए एक स्वतंत्र और सुखद यौन जीवन जीने के लिए वांछित परिस्थितियां सृजित करने के लिए किया जा रहा संघर्ष और अधिक जटिल होता जा रहा है।

इस घमंडी प्रवृति और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अतिक्रमण का प्रमाण है कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा अविरत संघर्ष जो वे यौनिकता पर विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री, जिससे वे सहमत नहीं हैं, को साधारणतः शिक्षा से हटाने के लिए कर रहे हैं। यह उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्थाओं द्वारा व्यापक यौन शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में नहीं है – जो कि दरअसल उन कार्यों में से एक है जिसको अभी भी पूरा किया जाना बाकी है। मुद्दा यह है कि उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण यह स्थापित करता है कि यौन शिक्षा, वर्तमान में मौजूद परिवारों की विविधता की अनदेखी करते हुए, परिवार के परंपरागत नमूने पर ही केन्द्रित रहनी चाहिए।

हाल में हुई जेंडर विचारधारा[11,12] के ख़िलाफ़ हुई पूछताछ और विशाल लामबंदी इस बात का प्रमाण है कि अब तक हुई प्रगति ख़तरे में हैं। एक बार फिर से कट्टरवादी समूह उन जेंडर भूमिकाओं को सुदृण करना चाह रहे हैं जिनमें महिलाओं को एक निजी परिवेश में परिवार की देखभाल करनी होगी, और समलैंगिकता को एक ऐसी बीमारी समझना होगा जिसका या तो इलाज किया जाये या उसे दण्डित किया जाये।

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रों को सबके लिए धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। इसी आधार को अपना ध्वज बनाकर हम – जो नारीवादी आंदोलन के लिए और जो यौन अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं – कट्टरवादियों का सामना कर रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्ष, ऐहिक (धर्म से सम्बन्ध न रखने वाला), और विविध समाज, साथ ही मानवाधिकारों पर और अधिक प्रगति, मानव विकास के लिए अत्यावश्यक है।

Notes & References

5 Amnistía Internacional, ¡Defensoras Bajo Ataque! Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos en las Américas(London: Amnesty International Publications, 2015), accessed May 11, 2017, https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/2775/2015/es/.

6 मैं नारीवादी आंदोलन को एक ऐसा आंदोलन मानती हूँ जिसमें विभिन्न नारी आंदोलन अभिसरित होते हैं।

7 Jean-Pierre Bastian, "Los Nuevos Partidos Políticos Confesionales Evangélicos y su Relación al Estado en América Latina," Estudios Sociológicos, 17-49 (1999): 153-173, accessed May 11, 2017, https://www.jstor.org/stable/40420556?seq=1#page_scan_tab_contents.

8 Some examples include the Partido Encuentro Social in Mexico (http://encuentro.social/) and the Bancada Evangélica in Brazil. See more: Andrea Dip, "Bancada Evangélica Cresce e Mistura Política e Religião no Congresso," UOL Noticias, October 19, 2015, accessed May 11, 2017, https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/10/19/bancada-evangelica-cresce-e-mistura-politica-e-religiao-no-congresso.htm.

9 सरकारी नाम है फ्रेंट पार्लमेंटर इवेंजेलिका, परन्तु यह बनकड़ा इवेंजेलिका के नाम से भी जाना जाता है. फ्रेंट पार्लमेंटर वैधानिक सत्ता – राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा नगर संसद – के सदस्यों का एक समूह है जिसने अपने आपसी हितों (इस मामले में धर्म) से सम्बंधित कार्यकलापों को एकीकृत किया है, कभी कभी अपनी राजनैतिक पार्टी के परे भी।

10 Congreso Nacional de Honduras, "Confraternidad Evangélica Agradece al CN por no Despenalizar el Aborto," May 4, 2017, accessed May 11, 2017, http://www.congresonacional.hn/index.php/2014-02-10-22-24-42/item/1887-confraternidad-evang%C3%A9lica-agradece-al-cn-por-no-despenalizar-el-aborto.html.

11 CNN Español, "Iglesia Colombiana Convoca a Marcha Contra Ideología de Género que 'Destruye a la Sociedad,'" CNN Español, August 10, 2016, accessed January 24, 2017, http://cnnespanol.cnn.com/2016/08/10/iglesia-colombiana-convoca-a-marcha-contra-ideologia-de-genero-pues-asegura-que-destruye-a-la-sociedad/.

12 Carlos Bedoya, "¿Quiénes son #ConMisHijosNoTeMetas?," América Latina en Movimiento, January 1, 2017, accessed January 24, 2017, http://www.alainet.org/es/articulo/182778.

देशीय और क्षेत्रीय गतिविधियों का अनुश्रवण

लेटिन अमेरिका और कॅरीबीयन क्षेत्र कट्टरवादी आक्रमणों से मुक्त नहीं है, और, जैसा कि बाकी दुनिया में होता है, इसका सबसे भारी बोझ महिलाओं, किशोर/किशोरियों और विविध यौनिकता वाले व्यक्तियों को उठाना पड़ता है। अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए, अपने संघर्ष को दिन प्रतिदिन जारी रखना ही आगे बढ़ने का तरीका है।

...धर्म निरपेक्ष राष्ट्रों को सबके लिए धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। एक धर्मनिरपेक्ष, ऐहिक (धर्म से सम्बन्ध न रखने वाला), और विविध समाज, साथ ही मानवाधिकारों पर और अधिक प्रगति, मानव विकास के लिए अत्यावश्यक है।

Bibliography

Blancarte, Roberto. "Laicidad y Laicismo en América Latina." *Estudios Sociológicos*, XXVI-76 (2008): 139-164. Accessed May 11, 2017. http://www.redalyc.org/pdf/598/59826106.pdf.

Blachin, Casandra. *Hacia un Futuro sin Fundamentalismos: Un Análisis de las Estrategias de los Fundamentalismos Religiosos y de las Respuestas Feministas*. Mexico City and Cape Town: Association of Women's Rights in Development (AWID), 2011. Accessed May 11, 2017. https://www.awid.org/es/publicaciones/hacia-un-futuro-sin-fundamentalismos.

नयेली योवल सेगुरा द्वारा
जेनेरल डायरेक्टर, एलिज रेड डी जोवेनस पोर लोस डेरेचोस सेक्सुएलिस रेपरोडक्टिवोस, ए.सी., रेडलॉक, मेक्सिको | ईमेल:nayeli@eligered.org
| ट्विटर : @nayito59

संसाधन

'ऐरो' यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार ज्ञान प्रसार केंद्र से संसाधन

ऐरो का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार सम्बंधित जानकारी का प्रसार केंद्र महिलाओं और उनके अधिकार, व यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार संबन्धित कई प्रकाशनों का विशेष संग्रह उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य है, इन विषयों पर सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। संसाधन केंद्र से संपर्क करने का ईमेल पता है: km@arrow.org.my

एसोसिएशन फ़ॉर वीमेन इन डेवेलपमेंट (Association for Women in Development – AWID)
अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस फंडामेंटलिस्म फ़ॉर एक्टिविस्ट – ए.डब्लू.आई.डी. 2014 (Understanding Religious Fundamentalisms for Activists - AWID 2014): http://www.awid.org/publications/understanding-religious-fundamentalisms-activists

यह नियम पुस्तिका, महिला अधिकारों पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुभवों के आधार पर धार्मिक कट्टरवाद पर अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। यह उन कारकों पर भी प्रकाश डालती है जिनकी वजह से धार्मिक कट्टरवादी समूहों का विकास हुआ, और मानवाधिकार और महिला अधिकारों पर इन समूहों के प्रभाव को भी दर्शाती है। धार्मिक कट्टरवाद महिला – अधिकार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, और कार्यकर्ता तथा मानवाधिकार प्रतिरक्षक किस प्रकार धार्मिक कट्टरवाद के प्रति अपनी अनुक्रियाओं को मज़बूत कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने वाले सहभागी साधन भी इस पुस्तिका में शामिल हैं।

AWID अग्र पंक्ति में नारीवादी: कट्टरवाद का प्रतिरोध और उसे चुनौती देने सम्बंधित

विषय–अध्ययन. AWID, मार्च 14, 2010- http://www.awid.org/publications/feminists-frontline-case-studies-resisting-and-challenging-fundamentalisms.

यह प्रकाशित पुस्तक विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भ में धार्मिक कट्टरवादियों का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं और नारीवादियों के मामलों के अध्ययन (केस स्टडीज़) के दस्तावेज़ीकरण का प्रयास करती है। उनके विरोध का दस्तावेज़ीकरण करके यह प्रकाशन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के उन व्यक्तियों की भी सराहना करती है जो धर्म के नाम पर अधिरोपित कट्टरवादी और प्रतिगामी मानदंडों और मूल्यों के विरोध में खड़े हुए हैं और उन्होंने "लोक नीतियों में धर्म की विशेषाधिकार स्थिति को भी चुनौती दी है।"

बल्विन कैसांद्रा. एक कट्टरवाद रहित भविष्य की ओर: धार्मिक रणनीतियों और नारीवादी अनुक्रियाओं का विश्लेषण. दीपा शंकरन द्वारा सम्पादित. AWID, फरवरी 17, 2011: https://www.awid.org/publications/towards-future-without-fundamentalisms

यह रिपोर्ट महिला अधिकारों के सक्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई निम्न आवश्यकतों को पूरा करने का प्रयास करती है – धार्मिक कट्टरवाद के रूप पर और अधिक जानकारी, तथा धर्म के बारे में उनकी समझ को और गहरा करना। यह रिपोर्ट धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारकों की; धार्मिक कट्टरवादियों द्वारा अपने आंदोलन को बनाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई रणनीतियों की; उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किये गए सम्भाषणों और तरीकों की समीक्षा प्रदान करती है; तथा धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए प्रयुक्त नारीवादी रणनीतियों का विश्लेषण करती है।

कैथोलिक्स फ़ॉर चॉइस. अंतःकरण http://consciencemag.org

यह पत्रिका समकालीन अंतरानुभागीय मुद्दों – जैसे प्रजनन अधिकार, यौनिकता और जेंडर, नारीवाद, चर्च, धार्मिक अधिकार और राष्ट्रीय मुद्दे, तथा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे – पर विस्तृत और पूर्ण सूचना एवं विश्लेषण प्रदान करती है। यह पत्रिका विचारोत्तेजक समीक्षा, विचारात्मक लेख और नीति विश्लेषण भी देती है।

जेंडर एंड सेक्सुअलिटी रिसोर्स सेंटर. कोह्ल: शरीर और लैंगिकता के शोध पर एक पत्रिका: http://gsrc-mena.org/gsrc/kohl/.

यह मध्य–पूर्व क्षेत्र, दक्षिण–पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में लिंग और यौनिकता पर एक अर्धवार्षिक, बहुभाषीय पत्रिका है। इसका उद्देश्य है स्वतंत्र ज्ञान और युवा तथा स्नातक स्तर के शिक्षाविदों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामान्य (गैर–आकर्षक), गैर अल्पसंख्यक मंच प्रदान करते हुए कार्यकर्ता–मंडली और शैक्षिक समुदाय के बीच फ़ासले को कम करना।

हेली, अनिस्सा. दस्तावेज़ 32–33: मुस्लिम सन्दर्भों में यौनिकता संस्कृति और समाज: मुस्लिम कानूनों के तहत रहने वाली महिलाओं की पत्रिका, जुलाई 17, 2014 http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/WLUML%20Dossier%2032-33%20Sexualities%20Muslim%20Contexts%202014_0.pdf

मुस्लिम कानून के तहत रहने वाली महिलाएं (Women Living Under Muslim Law - WLUML) द्वारा प्रकाशित इस दस्तावेज़ में शामिल हैं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से लेख, रिपोर्ट, और तथ्यात्मक पत्रक। यह इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे महिलाएं तथा पुरुष, विभिन्न मुस्लिम सन्दर्भों में, यौनिकता तथा यौन एवं प्रजनन अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों और सीमाओं के अंदर अपना मार्ग निर्देशित करते हैं। यह दस्तावेज़ उस समय प्रकाशित हुआ है जब विश्व भर में मौजूदा कार्यकर्ता प्रगतिशील नीतियों और कानूनों को पीछे धकेलने के लिए और अधिक दबाव झेल रहे हैं और यह मुस्लिम सन्दर्भ में बढ़ते हुए प्रतिबंधों से निपटने के लिए कानूनी और नीतिगत दृष्टिकोणों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

इमाम, आयेशा. गहरी विवेचना से सही मुद्दे उजागर होते हैं: विकास, महिला–अधिकार, और धार्मिक कट्टरवाद, के अंतरसंबंध. शारीन गकुल और इसाबेल मार्लर द्वारा सम्पादित. AWID, मार्च 22, 2016 . http://www.awid.org/publications/devil-details

यह लेख्य विकास क्षेत्र के अंदर व्याप्त धार्मिक कट्टरवाद के प्रति समझ की कमी को सम्बोधित करता है। यह इस मुद्दे को भी सम्बोधित करने और उसकी समझ के बारे में सुधार लाने की चेष्टा करता है किस प्रकार से धार्मिक कट्टरवाद विकास, और विशेषकर महिला अधिकारों को प्रभावित करता है।

यह उन रणनीतियों को भी सुझाता है जो विकास के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारधारा को चुनौती देने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

मीर–होस्सिनी, ज़िबा और वंजा हम्ज़िक. नियंत्रण एवं यौनिकता: मुस्लिम संदर्भों में ज़िना कानूनों का पुनः प्रचलन. लंदन: मुस्लिम कानूनों के तहत रह रही महिलाए, 2010 http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/CaS%20e-book.pdf

यह पुस्तक उन ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक, सामाजिक–राजनीतिक और कानूनी इरादों और सन्दर्भों की छानबीन करती है जिनके चलते ज़िना कानूनों का पुनःप्रचलन हुआ, और यह भी बताती है कि किस प्रकार ये कानून – जो कभी अप्रचलित थे तथा मुस्लिम सन्दर्भ में शायद ही कभी लागू किये हों – अब फिर से वापस लाए गए हैं ताकि पुरुषों और महिलाओं की यौनिकता पर उनका नियंत्रण दृढ़तापूर्वक बना रहे। यह पुस्तक इन कानूनों के पुनःप्रचलन पर नागरिक समाज के प्रतिरोध का दस्तावेज़ीकरण करती है, क्योंकि ये रणनीतियां और क्रियाएँ उन सभी समाजों के लिए, जो इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक अमूल्य विरासत हैं।

ओथमान, नोरैनी. "मुस्लिम महिलाएं तथा इस्लामिक कट्टरवाद/अतिवाद की चुनौती: दक्षिण–पूर्व एशिया की मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और जेंडर समानता हेतु संघर्ष का सिंहावलोकन." वीमेंस स्टडीज़ इंटरनेशनल फोरम, 2006, 29(4): 339-353 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539506000355.

इस लेख के प्रथम भाग में दक्षिण–पूर्व एशिया के इस्लामी आंदोलनों में बढ़ते हुए धार्मिक अतिवाद से उत्पन्न उन मुद्दों और चुनौतियों को चिन्हित किया गया है जिनका सामना इस क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं को करना पड़ रहा है। लेख के दूसरे भाग में उन रणनीतियों का वर्णन है जो दक्षिण–पूर्व एशिया के महिला समूहों द्वारा प्रयुक्त की जा रहीं हैं – इन आंदोलनों के साथ सम्बद्ध होकर उन चुनौतियों पर विजय पाने की – जो इन आंदोलनों के चलते महिला अधिकारों और महिलाओं की कानूनी न्याय तक पहुँच को बाधित करती हैं, विशेषकर मुस्लिम परिवार–कानून तथा राष्ट्र की धर्म से सम्बंधित प्रशासनिक नीतियां और कार्यक्रम।

सेज़िगन, युक्सेल. "राष्ट्र–कानून और धर्म के त्रिकोण में महिला अधिकार: ईजिप्ट और भारत की तुलना" एमोरी इंटरनेशनल लॉ रिव्यू 25:2 (2011): 1007-1028. http://ssrn.com/abstract=1982266

यह निबंध ईजिप्ट और भारत के महिला–नेतृत्व वाली धर्मशास्त्र समूहों के विषय–अध्ययन (केस स्टडी) प्रस्तुत करता है, यह जानने के लिए कि ये समुदाय और समूह किस प्रकार से अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे वे धार्मिक अधिकार आंदोलनों और पुरुषों द्वारा रचित व्यक्तिगत–विधि के चलते वंचित हैं। यह निबंध दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में ईजिप्ट और भारत के व्यक्तिगत–विधि, तथा वे किस प्रकार से इन दो देशों की मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, के बारे में जानकारी दी गयी है। निबंध का दूसरा भाग महिला–नेतृत्व वाले धर्मशास्त्र समूहों के बारे में पता लगाता है कि किस प्रकार से उन्होंने पुनर्व्याख्या करने वाले आंदोलनों की मदद से अपने अधिकारों को प्राप्त किया है।

ओबेरॉय, दिया और बेअत्रिज़ गल्ली. "लैटिन अमेरिका में अंतःकरण के आधार पर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं से इंकार" सुर: मानवाधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका, 24(2016): 105-115. http://sur.conectas.org/en/refusing-reproductive-health-services-on-grounds-of-conscience-in-latin-america/.

इस लेख में लैटिन अमेरिका की उन नीतियों का संक्षिप्त वर्णन है जो अंतःकरण आधारित आपत्तियों को नियंत्रित करती हैं – महिलाओं को उनके यौन एवं प्रजनन अधिकारों से वंचित रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा बढ़ते हुए अंतःकरण आधारित आपत्ति के उपयोग को विचार में रख कर। यह अंतरराष्ट्रीय तथा उस क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, दोनों पर विचार करता है। यह इस बात का प्रस्ताव रखता है कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मानवाधिकार समितियां अंतःकरण आधारित आपत्ति सम्बन्धी ढाँचे को निरंतर स्पष्ट करते रहें, ताकि अंतःकरण के आधार पर महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों का हनन न हो।

अन्य संसाधन

ऑस्ट्रिया, कैरोलिना एस रुइज. "फ़िलीपींस में धार्मिक कट्टरवाद के सन्दर्भ में चर्च, राष्ट्र, और महिला–अधिकार।" प्रजजन स्वास्थ्य ज़रूरी है, 12 (2004): 96-103. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968808004241520.

बेन्नोउने, करीमा. तुम्हारा फ़तवा यहाँ नहीं चलता है: मुस्लिम कट्टरवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई की अनकही कहानियां। एनवाई: डब्लू डब्लू नोर्टन एंड कंपनी, 2013. https://www.karimabennoune.com/books/your-fatwa-does-not-apply-here/.

कैथोलिक्स फ़ॉर चॉइस. संयुक्त राष्ट्र में कैथोलिक चर्च: चर्च या राष्ट्र? वाशिंगटन, डीसी: कैथोलिक्स फ़ॉर चॉइस, 2013. http://www.catholicsforchoice.org/wp-content/uploads/2013/08/CFC_See_Change_2013.pdf

चैपल, लुइस. महिला अधिकारों के लिए संघर्ष: संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक ताकतों का प्रभाव। आधार पत्र। सम्प्राप्त अप्रैल 22, 2016. http://bit.ly/2DW4qkV

डेरिक्स, क्लौडिया और एंड्रिया फ्लेसचेनबेर्ग. धार्मिक कट्टरवादिताएं और एशिया में उनके जेंडर प्रभाव। बर्लिन: फ्राइडरिच–एबर्ट–स्टीफतुंग, 2010- http://library.fes.de/pdf-files/iez/07061.pdf

होम, जेसिका. "अफ़्रीका के सन्दर्भ में ईसाई कट्टरवाद और महिला अधिकार: क्षेत्र का प्रतिचित्रण।" अग्र पंक्ति में नारीवादी: कट्टरवाद का विरोध और उसको चुनौती के विषय–अध्ययन। AWID, मार्च 14, 2010. सम्प्राप्त अप्रैल 20, 2017- http://bit.ly/2DVlx6A

ICAN और AWID. अतिवाद मुख्य धारा के रूप में: मीना/एशिया क्षेत्र में महिलाओं, विकास और सुरक्षा के लिए अभिप्राय. 2014. http://www.icanpeacework.org/dev/wp-content/uploads/2014/04/Extremism-as-Mainstream.pdf

मैंटेल, जोएन ई, जैकुलिन कोरीयल, जेसिका एड्म्स–स्किनर और जेना ए स्टीन. "सब सहारन अफ़्रीका में रूढ़िवादी ईसाई संस्थाओं और धर्मनिरपेक्ष समूहों में संघर्ष: यौनिकताओं, प्रजनन और एचआईवी/एड्स पर वैचारिक संवाद।" ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, 2001: 6 (स्पल.2) 192-209: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178341/

मेहरा, मधु. एशिया पैसिफ़िक में कट्टरवाद: महिला अधिकारों पर दृढ़ता से डटे रहने के रुझान, प्रभाव, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ. एशिया पैसिफ़िक फ़ोरम ऑन वीमेन लॉ एंड डेवलपमेंट (APWLD), 2008. http://bit.ly/2DvRoiX

ओ'ब्रायन, जॉन "क्या विश्वास और स्वतंत्रता एक साथ रह सकते हैं? जब आस्था–आधारित स्वास्थ्य प्रदाता और महिला–आवश्यकता के बीच टकराव होता है।" जेंडर एंड डेवलपमेंट, 2017: 25, दव. 1 (2017): 37–51, DOI: 10-1080@13552074-2017-1286808- सम्प्राप्त मई 4, 2017- http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1286808

रामकृष्ण, कुमार. "धार्मिक कट्टरवाद और सामाजिक अलगाव: चिंता का कारण?" राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ (RSIS) टिप्पणी, 2016: 023- https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/02/CO16023.pdf

सैम्युल, रेजी. महिलाओं और बच्चों पर धार्मिक कट्टरवाद का प्रभाव। सम्प्राप्त, अप्रैल 28, 2017- https://www.academia.edu/8246269/impact_of_Religious_Fundamentalism_on_Women_and_Children\auto=download

स्वीटमैन, कैरोलाइन. "प्रस्तावना: यौनिकता, विकास तथा कट्टरवाद।" यौनिकता और विकास, 2017: 25, दव- 1: 1-14, DOI: 10-1080@13552074-2017-1304063- सम्प्राप्त मई 4, 2017.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2017.1304063

टैड्रोस, मारीज़. "धर्म, अधिकार, और यौनिकता – दोराहे पर।" IDS बुलेटिन, 2011: 42, दव- 1 (2011)- सम्प्राप्त मई 4 2017- http://bit.ly/2G23H2t

तमाले, सिल्विया. "यूगांडा में महिलाओं की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करना: धर्म, कानून, और औषधि के परिप्रेक्ष्य।" सुर: इंटरनेशनल जरनल ऑन ह्यूमन राइट्स, 24(2016): 117–128, http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/02/11-sur-24-ing-sylvia-tamale.pdf

टोमालिन, एमा, एड. जेंडर, विश्वास और विकास, ऑक्सफ़ैम जीबी (Oxfam GB), 2011: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/gender-faith-and-development-144042

मारिया मेलिंडा ऐन्डो, समरीन शहबाज़, और सीऊ किन टॉन्ग द्वारा संकलित
ऐरो (ARROW) | ईमेल: malyn.ando@arrow.org.my | ईमेल: samreen@arrow.org.my | ईमेल: kin@arrow.org.my

चयनित 'ऐरो' संसाधन

ARROW for Change (बदलाव के लिए 'ऐरो'), जो अंग्रेज़ी में प्रकाशित होता है और अनेकों एशिया–पैसिफ़िक तथा वैश्विक भाषाओं में युक्तिपूर्वक अनूदित होता है, के अलावा, ऐरो अन्य आधुनिक प्रकाशन भी करता है। पिछले पांच वर्षों के मुख्य प्रकाशन निम्नलिखित हैं। 1993 से अभी तक के सभी संसाधन *http://arrow.org.my/publications-overview/*.

धार्मिक कट्टरवाद पर ऐरो और सहभागी संस्थाओं के संसाधन

अब्दुल कादर, अज़रा. सम्मिलित परिवार: जेंडर समानता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, तथा मानव–अधिकार प्राप्त करना। 2017. http://bit.ly/InclusiveFamilies.

ऐरो (ARROW). सरफ़ेसिंग: धार्मिक कट्टरवाद और महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर उसके प्रभाव पर कुछ चयनित शोध पत्र। 2008. http://bit.ly/SurfacingImpactofRF.

ऐरो (ARROW). बदलाव के लिए ऐरो, Vol. 14, nos: 1–2: विश्वास बनाये रखना: धार्मिक कट्टरवाद पर विजय पाना. 2008. http://bit.ly/AFCvol14nos1and2.

बख़ाद्दा, फ़दौआ. मोरोक्को में धार्मिक कट्टरवाद और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच। मोरक्कन फॅमिली प्लानिंग एसोसिएशन एवं ऐरो (ARROW): 2016. http://bit.ly/RF-Morocco-Abortion.

बालासुब्रमनियन, पी., राजलक्ष्मी राम प्रकाश, और एन श्रीलक्ष्मी. दक्षिण भारत में धार्मिक कट्टरवाद और व्यापक यौन शिक्षा। ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक शिक्षा केंद्र और ऐरो 2016. http://bit.ly/RF-India-CSE.

ब्रोही, नाज़िश, और सारा ज़मान. पाकिस्तान में कट्टरपंथी व्याख्यानों का परिवार नियोजन अभ्यासों पर प्रभाव। शिरक़त ग़ाह – महिलाओं का संसाधन केंद्र एवं ऐरो 2016. http://bit.ly/RF-Pakistan-FP.

डेनियल, स्मृति, ज़ैनब इब्राहिम, दर्शी थोरादेनिया, एड्ना मल्कंथी, और इवैंजेलिन डी सिल्वा. श्री लंका में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारः सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और नीति की समीक्षा। महिलाएं एवं मीडिया समूह और ऐरो. 2016. http://bit.ly/RF-SriLanka-SRHR.

मेलगर, जुनिस, और जोसलिन करैरा–पसेते. फ़िलीपींस में कैथोलिक कट्टरवाद को समझनाः प्रजनन स्वास्थ्य कानून तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य नीतियों को बाधित करने के लिए महिलाओं, परिवार और गर्भनिरोध पर रूढ़िवादी धार्मिक शिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। लिखान और ऐरो. 2016. http://bit.ly/RF-Philippines-RH.

ओस्मान, रत्ना. "विषय आधारित लेख्य 5: धार्मिक अतिवाद और इसका एशिया–प्रशांत क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर प्रभाव"। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के लिए कार्यवाही में: ICPD और MDG के अतिरिक्त एशिया–पैसिफ़िक के लिए रणनीतियाँ। वैचारिक पेपर ICPD और MDG के अतिरिक्त, ऐरो। 107-120. 2012. http://bit.ly/Action4SRHR-ThematicPapers.

सबीना, नज़्मे. बांग्लादेश की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में धार्मिक अतिवाद तथा व्यापक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार। नारीपोक्खो और ऐरो. 2016. http://bit.ly/RF-Bangladesh-CSE.

सोसाइटी फ़ॉर हेल्थ एजुकेशन (Society for Health Education-SHE). मॉल्डीव्ज़ में इस्लाम तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की अवधारणायें। शी और ऐरो (SHE और ARROW). 2016. http://bit.ly/RF-Maldives-SRHR.

अन्य ऐरो संसाधन

2014-2017

अनेक लेखक. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार को पोस्ट–2015 एजेंडा में समाहित करने हेतु कार्यवाही करने का आह्वान। अफ़्रीका, बांग्लादेश, कम्बोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर (अंग्रेज़ी और लाओ भाषा में), पाकिस्तान, तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (अंग्रेज़ी और स्पैनिश भाषा) में उपलब्ध।

अनेक लेखक. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुँच पर देश–परिच्छेदिका श्रृंखला। बांग्लादेश, कम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर (लाओ भाषा में भी उपलब्ध), मलेशिया, मॉल्डीव्ज़, नेपाल, पाकिस्तान, फ़िलीपींस, श्री लंका, थाईलैंड और वियेतनाम के लिए उपलब्ध।

2017

दास, अर्पिता. यौनिकता अधिकारः शिक्षा, रोज़गार, कानून और नागरिकता के परस्परच्छेद।

2016

ऐरो (ARROW). म्यानमर/बर्मा देशीय अध्ययनः अवरोधों को तोड़नाः यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की पैरवी करना (बर्मी भाषा में भी उपलब्ध)

ऐरो (ARROW) बदलाव की कहानियाँः महिला–स्वास्थ्य एवं अधिकार की पैरवी भागीदारी की सफल गाथाओं का सहभाजन – दक्षिण एशिया

दास, अर्पिता यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की सार्वभौमिक संप्राप्ति – क्षेत्रीय खाकाः एशिया

नदिम्पल्ली, सरोजिनी, स्नेहा बनर्जी, और दीपा वेंकटचलम. व्यवसायिक सरोगेसीः अधिकार और न्याय के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के इलाके

रविन्द्रन, टी के सुंदरी. समर्थकों के लिए एक गाइडः गर्भनिरोधक के लिए सर्वभौमिक संप्राप्ति में मानव अधिकारों को एकीकृत करना

रेयस, एमिलिया. 2030 एजेंडा में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारः पीछे देखना,

आगे बढ़ना

अनेक लेखक. क्लाइमेट चेंज और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर एडवोकेसी सारांश. संप्राप्ति– बांग्लादेश, इंडोनेशिया (अँग्रेज़ी और बहासा इंडोनेशिया भाषा में), लाओ पीडीआर, मलेशिया, मॉल्डीव्ज़, नेपाल, पाकिस्तान और फ़िलीपींस

अनेक लेखक. जलवायु परिवर्तन और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर व्यापक अध्ययन. संप्राप्तिः बांग्लादेश, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान और फ़िलीपींस

2015

वर्मा, अम्बिका और कुमार दास. यौनिकताः गरीबी और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण

2014

ऐरो (ARROW). 2015 के बाद के एजेंडे में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारः उनका उचित स्थान लेना (बंगाली, हिंदी और तमिल भाषा में उपलब्ध)

ऐरो (ARROW). यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार 2014 से परेः अवसर और चुनौतियां

ऐरो (ARROW). किशोरों और युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंडा की स्थापना ICPD+20 से आगे.

ऐरो (ARROW). ICPD+20 ,शिया युवा तथ्य पत्रक

ऐरो (ARROW). गुणवत्ता देखभाल जारी रखने के लिए महिलाओं के अधिकार को पूरा करना

ऐरो (ARROW). नेतृत्व और प्रबंधन पर ऐरो संसाधन किट

एआरडब्लूसी और ऐरो. हमारी कहानियाँ, एक यात्राः यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर ट्रैवलिंग जरनल

अविन, नरिमाह. एक विस्तृत दृश्यः खाद्य और पोषण सुरक्षा और गरीबी के संदर्भ में मातृ स्वास्थ्य को संबोधित करना

रचेर्ला, साईं ज्योतिर्मई और नुरुगुल द्ज़्हनेवा. यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की स्थिति पर देश दृश्यः किरगिज़ रिपब्लिक (रसियन भाषा में भी उपलब्ध)

रविन्द्रन, टी के सुंदरी. इसके लिए क्या करना पड़ता हैः गरीबी को संबोधित करना और खाद्य संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा, और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक संप्राप्ति

वुड्स, ज़ोनिबेल. बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फ़िलीपींस में क्लाइमेट चेंज और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर प्रक्रिया के लिए सुअवसर पहचानना

2013

ऐरो (ARROW). (दूसरा संस्करण). जेंडर और अधिकारः दक्षिण पूर्व एशिया में युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की स्थिति

रविन्द्रन, टी के सुंदरी. एन एडवोकेट्स गाइडः यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के लिए सार्वभौमिक संप्राप्ति हेतु सामरिक संकेत

थानेंथिरान शिवानंथी, साईं ज्योतिर्मल रचेर्ला, और सुलोशिनी जहानाथ. पुनर्घोषित और पुनर्परिभाषित अधिकारः एशिया पेसिफ़िक में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार का ICPD+20 स्टेटस

अनेक लेखक. पुनर्घोषित और पुनर्परिभाषित अधिकार – किशोरों और युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंडा की ICPD+20 से परे स्थापना

परिभाषाएं

Notes & References

1 इस बुलेटिन में शिवानंथी थानेंथिरान के सम्पादकीय को देखें

2 Ayesha Imam and Nira Yuval-Davis, "Introduction," ix-xviii, in Warning Signs of Fundamentalisms (Nottingham, UK: Women Living Under Muslim Laws, 2004), cited in ARROW, "An Advocacy Brief: Post 2015 Development Agenda—Influences of Religious Fundamentalism on Sexual and Reproductive Health and Rights of Women," accessed May 20, 2017, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Religious-Fundamentalism-and-Post-2015_Policy-Brief_2014.pdf.

3 Gita Sanghal, "Two Cheers for Multiculturalism," in Warning Signs of Fundamentalisms (Nottingham, UK: Women Living Under Muslim Laws, 2004), accessed May 20, 2017, http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/wsf/06.pdf.

4 ICAN and AWID, Extremism as Mainstream: Implications for Women, Development & Security in the MENA/Asia Region, 2, accessed May 20, 2017, http://www.icanpeacework.org/dev/wp-content/uploads/2014/04/Extremism-as-Mainstream.pdf.

5 Ayesha Imam, The Devil is in the Details: At the Nexus of Development, Women's Rights, and Religious Fundamentalisms (Toronto and Mexico City: Association for Women's Rights in Development, 2016), 5-6, accessed May 20, 2017, https://www.awid.org/publications/devil-details.

जातीय–धार्मिक राष्ट्रवाद: वह विचारधारा जो जातीय और धार्मिक दोनों ही पहचानों से सूचित है और जो इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य की राजनीतिक वैधता मुख्यतः धार्मिक सिद्धान्तों के पालन से व्युत्पन्न है। जातिय–धार्मिक राष्ट्रवाद राज्य, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को एक–दूसरे में मिलाने की कोशिश करता है और उन्हें महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता के ज़रिये परिभाषित कर उन पर ज़बर्दस्ती थोपता है[1]

कट्टरपंथी आंदोलन[2]: धार्मिक, जातीय, और/या राष्ट्रीय अनिवार्यता से युक्त राजनीतिक आंदोलन। ये सामूहिक पहचान का एकल संस्करण बनाते हैं और केवल उसी को सच, प्रामाणिक और वैध मानते हैं, तथा उसका प्रयोग अपनी शक्ति और प्रभुत्व को अपने निर्वाचन क्षेत्र/मतदाता वर्ग (जो एक विशेष समुदाय से, सभी, नहीं तो अधिकांश, मानवता तक बदलता रहता है) पर थोपने के लिए करते हैं। वे स्वयं को प्रामाणिक परंपरा का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, और वे आधुनिकता तथा पश्चिम (जिसे गैर पश्चिमी देश के लोग एक जैसा ही मानते हैं) के दूषित प्रभाव के विरुद्ध बोलते हैं। परन्तु कट्टरपंथी पूर्व–आधुनिक नहीं हैं। अपनी योजना को बढ़ावा देने के लिए वे मीडिया से लेकर हथियारों तक, सभी आधुनिक प्रौद्योगिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, जो परिकल्पना वे प्रकट करते हैं वह एक निर्मित और चयनात्मक परिकल्पना है, न कि भूतकाल की किसी वस्तु का पुनःप्रवर्तन।

इस समान आधार के परे, जो उन्हें वस्तुतः सदैव राजनीतिक विस्तार के चरम दक्षिण पर स्थित पाता है, कट्टरवादी योजनाएं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो सकती हैं। वे पवित्र ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकती हैं और विशिष्ट करिश्माई नेतृत्व से जुड़ सकती हैं; वे पारम्परिक रूढ़िवादिता के रूप में प्रस्तुत हो सकती हैं, अथवा पारम्परिक भ्रष्ट नेतृत्व के ख़िलाफ़ लड़ने वाले एक पुनुरुत्थानवादी अतिवादी दृग्विषय के रूप में।

बहुसंस्कृतिवाद[3]: बहुधा दो या तीन भिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है जो सम्मिश्रित होते हैं। इसे इस्तेमाल करने के एक तरीके में इसका प्रयोग उस समाज को वर्णित करना है जहाँ अनेक विभिन्न मूलों के व्यक्ति रहते हैं – इसको तथ्यात्मक या मानक, दोनों ही प्रकार के विवरणों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक विशेष प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श का वर्णन करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग उस सामाजिक नीति को वर्णित करने में भी किया जाता है जो सांस्कृतिक भिन्नता का आदर करती है...

धार्मिक अतिवाद[4]: धर्म की कठोर व्याख्याएं, जो सामाजिक अथवा आर्थिक दबाव, कानून, असहिष्णुता या हिंसा का प्रयोग करके दूसरों पर थोपी जाती हैं। इसका साथ देती हैं संस्कृति, धर्म, राष्ट्रवाद, जातीयता या सम्प्रदाय की ग़ैर तरल परिभाषाएं, जो नागरिकों को अपवर्जनात्मक, पितृसत्तात्मक और असहिष्णु समुदायों में ले जाती हैं। धार्मिक अनुदारपंथियों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत इस अर्थ में अतिवादी है.... धार्मिक अतिवाद विश्व के अनेक विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुआ है और कई धर्मों से सम्बद्ध रहा है। धार्मिक अभिप्राय के लिए हिंसा के प्रयोग को न्यायोचित ठहराना, सभी नहीं, मगर कुछ अतिवादी आंदोलनों की विशेषता है।

अतिवादी आंदोलन सूक्ष्म और प्रकट – दोनों ही तरीकों से – महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से और जान–बूझकर निशाना बनाते हैं। अतिवादी ताकतें महिलाओं के कानूनी अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए और महिलाओं की राजनीतिक और नागरिक क्षेत्र में सहभागिता को सीमित करने के लिए मज़बूत दबाव डालती हैं। सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं ने प्रत्यक्ष शारीरिक असुरक्षा, यौन उत्पीड़न और आक्रमण को भी अधिक झेला है।

धार्मिक कट्टरवादिता[5]: हालाँकि यह परिभाषा विवादित है, फिर भी इसका प्रयोग प्रायः किया जाता है क्योंकि यह अभी भी कार्यकर्ताओं द्वारा साधारणतः समझ में आता है तथा शैक्षिक साहित्य में इस्तेमाल किया जाता है, और विविध प्रसंगों में आसानी से प्रयुक्त किया जा सकता है। यह उन

विचारधाराओं को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं।

- राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिए धर्म का प्रयोग, प्रायः अन्य पहचान चिह्नकों के साथ
- पूर्वकथित का प्रयोग करके भेदभाव, असहिष्णुता और हनन को न्यायसंगत ठहराना
- महिलाओं के शरीर और यौनिकता पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्त्वपूर्ण मार्ग मानना
- पुरुषों के प्रभुत्व और कठोर, असमलैंगिक एवं पितृसत्तात्मक जेंडर संबंधों का सुदृणीकरण
- धर्म की एक विशिष्ट व्याख्या और अनुशीलन को संदर्भित करते हुए केवल उसी को एकमात्र सत्य तथा अपने अस्तित्व का एकमात्र वैध तरीका मानना
- इस विचारधारा को थोपने के लिए ज़ोर–ज़बरदस्ती और हिंसा का प्रयोग
- 'हमारी' बनाम 'बाकी सब' की सांप्रदायिक पहचान

धार्मिक कट्टरवादी ईसाई धर्म (कैथोलिक, एंग्लिकन, ऑर्थोडॉक्स, इवैंजेलिकल, आदि), इस्लाम (शिया एवं सुन्नी दोनों), हिन्दू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म सहित हर धर्म में विद्यमान हैं।

धर्मनिरपेक्षवाद: इसमें दो सिद्धांत निहित हैं: राष्ट्र का धार्मिक संस्थाओं से विशुद्ध पृथक्करण एवं किसी भी राष्ट्र के अंदर, विभिन्न धर्मों और मतों के व्यक्ति, कानून के समक्ष समान हैं। धर्म का राष्ट्र से पृथक्करण धर्मनिरपेक्षवाद का आधार है। यह इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है कि धार्मिक गुट/समूह राष्ट्र के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राष्ट्र भी धर्म के काम में दख़ल नहीं देंगें... धर्मनिरपेक्षवाद किसी विशेष धर्म या मत के सिद्धांतों को चुनौती देने की कोशिश नहीं करता है, न ही वह नास्तिकता को किसी पर थोपने का प्रयत्न करता है[6]।

Notes & References

6 National Secular Society, "What is Secularism?," accessed May 20, 2017, http://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html.

संकलनः मारिया मेलिन्डा एंडो
सीनियर प्रोग्राम ऑफ़िसर, ऐरो | ईमेल: malyn.ando@arrow.org.my | ट्विटर: @MalynAndo

तथ्य सूची

धर्म का (दु)रुपयोगः

बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, म्यानमर तथा फ़िलीपींस के मामले

वैश्विक दक्षिण के देशों में धर्म, कट्टरवाद, एवं अतिवाद की चरम व्याख्यायों की बढ़ती प्रमुखता और व्यापकता महिलाओं के यौन एवं प्रजनन अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं। यद्यपि ये महिलाओं के जीवन में अनेक प्रकार से व्यक्त होती हैं, परन्तु प्रतिगामी कानून और नीतियां तथा पारम्परिक प्रथाएं – जो धर्म की संकीर्ण व्याख्यायों को मानवाधिकारों और भेदभाव के दमन का औचित्य मानती हैं – इन्हें सुगम बनाने और लागू करने में सहायता करती हैं।

कई मामलों में राष्ट्र अधिकार धारकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है। साथ ही, देश मानवाधिकार उत्तरदायित्व तंत्रों से बंधे हैं, जैसे महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने की संधि (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW), जो मूल समानता – अर्थात अवसर और परिणामों की समानता तथा कई मोर्चों पर भेदभाव का अंत – की ज़िम्मेदारी लेता है[1]।

यह लेख यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से एशिया के उन चुनिंदा देशों के पास, जो CEDAW से बंधे हैं, तिस पर भी उनके पास ऐसे कानून, नीतियां और प्रथाएं हैं जो धार्मिक व्याख्या से प्रभावित हैं, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव मुख्य धारा से जुड़ गया है तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार प्रतिबंधित हो गए हैं।

Notes & References

1 IWRAW Asia Pacific, Building Capacity for Change: Training Manual on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 2001, accessed May 20, 2017, http://www.law.hku.hk/hrportal/wp-content/uploads/file/Session5.pdf.

तालिका 1: CEDAW पर हस्ताक्षर करने वाले पांच एशियाई देशों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर अतिवाद का प्रभाव

भारत / हिन्दुत्व[2]

CEDAW	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर चरमपंथ का प्रभाव
1980 में घोषणा पत्र और मतभेदों के साथ हस्ताक्षरित (A.16 विवाह और परिवार, A.5—a भेदभाव खत्म करने लिए हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाओं को सम्बोधित करना, और समुदाय के व्यक्तिगत मामलों में राष्ट्र का हस्तक्षेप न होना[3])। 1993 में पारित[4]	भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, और इसका संविधान सभी को समानता प्रदान करता है। फिर भी जनसांख्यिकी और धर्म बहुसंख्यक आबादी की पहचान एक ऐसी राष्ट्रवादी पहचान के रूप में करते हैं[3] जो हिंदुत्व – हिन्दुओं का आधिपत्य और हिन्दू जीवन शैली – को स्थापित करने का प्रयास करती है। इसने मुख्यधारा की राजनीति में शामिल राजनीतिक दलों समेत हिंदू कट्टरपंथी समूहों के बढ़ते प्रभाव का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग प्रदान किया है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती हुई लोकप्रियता से स्पष्ट होता है[5]। हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा अपनी ताक़त और जनाधार को बढ़ाने के प्रयास समनुरूप रहे हैं – औपनिवेशिक काल में और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान भी[6] – हालांकि हाल के वर्षों में इन प्रयासों ने और भी तेज़ गति पकड़ी है। वर्षों से इन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सुनियोजित रूप से तनाव बनाये रखने के लिए, और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने और उचित ठहराने के लिए, धर्म और जाति–आधारित मतभेदों का फ़ायदा उठाया है। मुसलमान, और कुछ हद तक ईसाई भी, हिन्दू प्रभुत्व के लिए ख़तरा माने जाते हैं, अतः उनको लगातार नियंत्रण में रखने के प्रयास किये जाते हैं[5]। इसके कारण बढ़ती हुई रूढ़िवादिता के चलते यौनिकता पर नियंत्रण बढ़ा है, जो अधिकांशतः महिलाओं को, विशेषकर उन महिलाओं को जो हाशिये पर हैं, को प्रभावित करता है। इन नियंत्रणों के कई रूप हैं जिनमें राज्य–प्रायोजित नैतिक नियंत्रण और जानकारी और सेवाओं तक युवाओं की पहुँच पर नियंत्रण। महिलाओं का शरीर और उसका सम्मान हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है, क्योंकि यह संगठित हिंसा और नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण केन्द्र–बिंदु है[5]। कट्टरपंथी विचारधारा के चलते वैवाहिक बलात्कार पर स्पष्ट कानून नहीं हैं जिन्हें पुरुषों की असुरक्षा बढ़ाने वाला माना जाता है। दहेज प्रथा और पैतृक विरासत कानूनों के खिलाफ़ भी इसी प्रकार के तर्कों का इस्तेमाल किया गया है[7]। महिलाओं के पास विवाह के अलावा विकल्पों की कमी, और वैवाहिक संपत्ति पर उनके नियंत्रण पर सीमित कानून उन कारकों को और भी प्रोत्साहित करते हैं जो भेदभाव को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करते हैं[8]। समलैंगिकता का अपराधीकरण, जिसका प्रयोग इन समूहों के विरुद्ध हिंसा फैलाने तथा उन्हें सेवाओं से वंचित रखने के लिए होता रहा है, औपनिवेशिक शासन काल से है ही (भारतीय दंड संहिता की धारा 377)। कानून को बदलने के लिए कुछ प्रयास तो किए गए हैं, पर वे असफल रहे[3]। 2014 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़ों (ट्रांसजेन्डर) को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इन लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, सकारात्मक कार्यवाही और सेवाओं समेत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि यह तबका आज भी सामाजिक–आर्थिक तौर पर लांछित और पिछड़ा हुआ है[9]।

Notes & References

2 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 80% हिन्दू, 14% मुस्लिम 2% ईसाई और 2% सिख हैं, जबकि बौद्ध और जैन अन्य में सम्मिलित हैं. S. Rukmini and Vijaita Singh, "Muslim Population Growth Slows," The Hindu, August 25, 2015, updated February 13, 2017, accessed May 20, 2017, http://www. thehindu.com/news/national/census-2011- data-on-population-by-religious-communities/ article7579161.ece.

3 Sivananthi Thanenthiran, Sai Jyothir Mai Racherla, and Suloshini Jahanath, Reclaiming and Redefining Rights: ICPD + 20: Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia Pacific, ARROW, 2013, accessed May 20, 2017, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/ICPD-20-Asia-Pacific_Monitoring-Report_2013.pdf.

4 UN Databases, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en.

5 Chayanika Shah, "Hindu Fundamentalism in India: Examining Impact and Responses by Women's Movements," ARROWs for Change 14, nos. 1 & 2 (2008): 4-5, http://arrow.org.my/publication/keeping-the-faith-overcoming-religious-fundamentalisms/.

6 Vir Sanghvi, "Why the World Needs to Sit up and Take notice of India's War on Meat," South China Morning Post, April 23, 2017, accessed May 20, 2017, http://www.scmp. com/week-asia/politics/article/2088866/ why-world-needs-sit-and-take-notice-indias- war-meat.

7 Matt Payton, "Indian Government to Criminalise Marital Rape with 'Comprehensive Law,'" Independent, December 6, 2015, accessed May 20, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/asia/indian-government-to-criminalise-marital-rape-with-comprehensive-law-a6762331.html.

8 KumKum Dasgupta, "Why is India Dragging Its Heels Over the Criminalisation of Marital Rape? The Guardian, August 17, 2015, accessed May 20, 2017, http://www.theguardian.com/global-development/2015/aug/17/india-martial-rape-law-criminalisation-dragging-heels

9 BBC, "India Court Recognises Transgender People as Third Gender," BBC News, April 15, 2014, accessed May 20, 2017, http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180

बांग्लादेश / इस्लाम[10]

CEDAW अतिवाद का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर प्रभाव

अभिगमन और मतभेदों के साथ 1984 में पारित [धार्मिक आधार पर – शरिया कानून, नीति उपाय पर A.2, और विवाह और परिवार पर A.16-1(c) के साथ[4,11]]

बांग्लादेश अपने संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इस्लाम इसका राष्ट्र धर्म है। इस्लामी शरिया कानून का भी पालन होता है[3]।

धार्मिक कारणों से बाल–विवाह को मान्यता है। जिन लड़कियों का विवाह कम आयु में हो जाता है वे हिंसा, यौन संचारित संक्रमणों और गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का सामना करती हैं[11]। इस तरह के प्रतिबंधित संदर्भ में, जहाँ जेंडर रूढ़िवादिता प्रबल है, बाल–विवाह निषेध अधिनियम 1929 का लागू किया जाना समस्यात्मक है[12]। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, जबकि बाल–विवाह कराने में मदद करने वालों को जेल और जुर्माने की मामूली सी सजा का नियम है[13]। 2017 में एक नया अधिनियम पारित हुआ, जो "विशेष परिस्थितियों" में, माता–पिता या अभिवावक की अनुमति और अदालत के अनुमोदन से अवयस्क लड़कियों के बाल–विवाह की अनुमति देता है। राष्ट्र की यह विचार पद्धति इस गलत धारणा पर भी आधारित थी कि लड़कियों के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न की स्थिति में यदि वे दोषी व्यक्ति से शादी कर लेती हैं तो उनका कलंक कम हो जायेगा।[12,14]

फ़तवे, जो स्थानीय बुज़ुर्गों – जैसे मुस्लिम मौलवी – के द्वारा शालिश (एक ग्रामीण विवाद समाधान तंत्र) के माध्यम से पारित किये जाते हैं, महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा को प्रभावित करते हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। ये फ़तवे आमतौर पर महिलाओं को उनके कथित समाज विरोधी या अनैतिक कार्यकलापों – जैसे व्यभिचार, विवाहपूर्व गर्भावस्था, अनैतिक चरित्र, विवाह पूर्व संबंध, आदि – को दंडित (पत्थर मारकर या कोड़े लगाकर) करने के लिए जारी किए जाते हैं। इन 'अपराधों' को बांग्लादेशी कानून के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता है। फ़तवे संविधान द्वारा दिये गए अधिकारों का हनन करते हैं[15]। ये न्याय प्रणाली की उपेक्षा करते हैं और 1990 के दशक से इनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

Notes & References

10 बांग्लादेश की 2011 की जनगणना दिखाती है कि आबादी का 90% सुन्नी मुस्लिम हैं तथा 9.5% हिन्दू हैं, तथा अन्य मुख्यतः ईसाई (अधिकतर रोमन कैथोलिक) और थेरवाडा–हिनायान बौद्ध हैं. United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Bangladesh 2012 International Religious Freedom Report, accessed May 20, 2017, https://www.state.gov/documents/organization/208636.pdf.

11 Naripokkho, Country Profile: Bangladesh, 2016, accessed May 20, 2017, http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/01/Country-Profile-SRH-Bangladesh.pdf.

12 Human Rights Watch (HRW), "Bangladesh: Don't Lower Marriage Age: Ending Child Marriage Should Include Support for Victims, At-Risk Girls," October 12, 2014, accessed May 20, 2017, https://www.hrw.org/news/2014/10/12/bangladesh-dont-lower-marriage-age.

13 The Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929), accessed May 20, 2017, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=149.

14 Rohini Alamgir and Afrose Jahan Chaity, "Child Marriage Restraint Act 2017 to Practice No Restrain," February 28, 2017, accessed May 20, 2017, http://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2017/02/28/child-marriage-restraint-act/.

15 Meher Nigar, "Fatwa Violence Against Women: A Bangladeshi Perspective," 2012 (unpublished), accessed May 20, 2017, http://works.bepress.com/meher_nigar/1/

...CEDAW द्वारा बाध्य होने के बावजूद, एशिया के कुछ चुनिंदा देशों में ऐसे कानून, नीतियाँ और कार्यप्रणाली हैं जो धार्मिक व्याख्याओं द्वारा प्रभावित हैं, जिसका परिणाम है भेदभाव का मुख्यधारा में सम्मिलित होना तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का सीमित होना।

म्यानमर (बर्मा) / बौद्ध धर्म[16,17]

CEDAW	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर चरमपंथ का प्रभाव
अभिगमन और मतभेदों के साथ 1997 में पारित (A.29 विवाद सुलझाने के लिए)[4]	म्यानमर में जनसांख्यिकी और धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय धार्मिक पहचान के साथ तादात्म्य स्थापित करने में किया जाता है[3]। हाल के वर्षों में सरकार ने पश्चिमी म्यानमर के राखिन राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग रोहिंगिया मुसलमानों के अधिकारों को सीमित करने के लिए कई कानून और नीतियाँ लागू करी हैं। 1982 के नागरिकता कानून के तहत रोहिंगियों को म्यानमर की नागरिकता से वंचित रखा जाता है और उनके आवागमन पर भी नियंत्रण लगाया जाता है। रोहिंगिया पुरुषों और महिलाओं को विवाह करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और ऐसा न करने पर उन्हें जेल हो सकती है। वे दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है। कई रोहिंगिया महिलाएं या तो विस्थापन का सामना करती हैं या असुरक्षित गर्भपात झेलती हैं। इस दो बच्चों वाली सीमा से अधिक पैदा हुए बच्चे पंजीकृत नहीं होते हैं। 2015 में पारित बौद्ध महिलाओं के विशेष विवाह विधेयक (Buddhist Women's Special Marriage Bill) के अनुसार जो बौद्ध महिलायें (बौद्ध पुरुष नहीं) और दूसरे धर्म के पुरुष विवाह करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें अपने उद्देश्य को सार्वजनिक रूप से पंजीकृत करना होता है। मौजूदा यूनियनों को भी पंजीकृत होना होगा। धर्म परिवर्तन विधेयक (Religious Conversion Bill) के अंतर्गत जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे आवेदन देना होगा और अनुमति लेनी होगी। एक–पत्नीक विधेयक (Monogamy Bill) अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है जो यौनिक दृष्टि से विसामान्य माने जाते हैं[18]।

मलेशिया / इस्लाम[19]

CEDAW	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर चरमपंथ का प्रभाव
1995 में मतभेदों के साथ पारित [A9 (2) बच्चों की राष्ट्रीयता सम्बन्धी; 16(1) (a) विवाह और परिवार सम्बन्धी सभी मामलों में भेदभाव को दूर करना; 116(1) (b) विवाह विच्छेद सम्बन्धी; 116(1) (c) अभिभावकता, संरक्ष्यता, न्यासिता, और बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी; और 16(1) (e) व्यक्तिगत अधिकार सम्बन्धी[4]]	हालाँकि संविधान ही सर्वोच्च कानून है, परन्तु मलेशिया में कानून की एक "दोहरी" प्रणाली है। मुसलमान, नागरिक अदालत (civil court) और इस्लामिक अदालत (Islamic court) यानि शरिया कानून[20], दोनों ही के द्वारा शासित होते हैं। इस्लामी कानून का दायरा व्यक्तिगत विधि – पर्सनल लॉ – (जैसे विवाह, तलाक़, गोद लेना, तथा अन्य) और बहुसंख्यकों से सम्बंधित इस्लाम के मामलों (जैसे इस्लाम के विरोध में मुसलमानों द्वारा अपराधों को उत्पन्न करना और उनकी सज़ा भी निर्धारित करना), तक ही सीमित है। परंतु हाल में मुसलमानों के आचरण को नियंत्रित करने और उनके अधिकारों (विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार) को सीमित करने में शरिया कानून की भूमिका बढ़ रही है। विवाद का एक अन्य क्षेत्र है फ़तवा। दंड संहिता (जो मुस्लिम और ग़ैर–मुस्लिम दोनों पर लागू होती है) यौन सम्बन्धों में बलात्कार और हिंसा को तो संबोधित करती है लेकिन बलात्कार को नहीं। अतः यह अंतरंग जीवनसाथी द्वारा हिंसा को प्रभावी रूप से स्वीकृति देती है।

Notes & References

16 89% जनसँख्या बौद्ध है. बाकी में शामिल हैं ईसाई 4% (बैप्टिस्ट 3% और रोमन कैथोलिक 1%), मुस्लिम 4%, आत्मवादी 1%, एवं अन्य 2%. Burma People, Factrover, accessed May 20, 2017, http://www.factrover.com/people/Burma_people.html.

17 Phyae Thet Phyo, "Census Figures on Religion to be Released by Year End," Myanmar Times, October 26, 2015, accessed May 20, 2017, http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/17191-census-figures-on-religion-to-be-released-by-year-s-end.html.

18 Michael Caster, "The Truth About Myanmar's New Discriminatory Laws," The Diplomat, August 26, 2015, May 20, 2017, http://thediplomat.com/2015/08/the-truth-about-myanmars-new-discriminatory-laws/.

19 मलेशिया की जनसँख्या 61% मुस्लिम, 20% बौद्ध, 10% ईसाई, 6% हिन्दू है तथा 4% अन्य धर्मों से हैं. Department of Statistics Official Portal, "Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated)," July 29, 2011, updated May 7, 2015, accessed May 20, 2017, https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctheme&menu_id=LopheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09.

20 Rosli Dahlan and Fawza Sabila Faudzi. "The Position of the Shariah Court in the Malaysian Legal System," Malay Mail Online, May 15, 2015, accessed May 17, 2017, http://www.themalaymailonline.com/what-you-think/article/the-position-of-the-shariah-court-in-the-malaysian-legal-system-rosli-dahla.

हाल में हुई घटनाओं के चलते यह अनुमोदित हिंसा मुस्लिम महिलाओं के लिए और भी अधिक बदतर हो गयी है, जब एक नारीवादी संगठन के बलात्कार–विरोधी जागरूकता अभियान ("बलात्कार बलात्कार है, कोई बहाना नहीं") को कट्टरपंथी इस्लामी गुटों द्वारा, इस्लाम में वैवाहिक बलात्कार की मौजूदगी को नकारते हुए, गंभीर प्रतिघात का सामना करना पड़ा। तब यह घोषित करते हुए एक फ़तवा[21] जारी किया गया, कि किसी महिला का विवाह हो जाने और दहेज दिए जाने के बाद उसे अपने पति के साथ सहवास मना करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय उस स्थिति में जब उसे माहवारी हो रही हो, या वह बीमार हो या उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो।

सिविल कोर्ट प्रणाली समलैंगिकता को अपराध मानती है। इस्लामिक शरिया कानून भी समलैंगिक गतिविधियों को (चाहे महिला हो या पुरुष) ग़ैरकानूनी मानता है जिसके लिए तीन साल तक की जेल और कोड़े मारने की सजा नियत है। 2008 में लड़कियों और महिलाओं द्वारा "टॉमबॉय" (लड़कों जैसा व्यवहार करने वाली) व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए एक फ़तवा[22] जारी किया गया था। महिलाओं के पहनावे और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रयासों में शामिल हैं रात्रि स्थलों पर छापे और मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र कपड़े पहनने या 'अनैतिक गतिविधियों' वाले स्थानों पर जाने का आरोप लगाना।

कानून सुधार (विवाह और तलाक़) अधिनियम की धारा 10 और 12 के अंतर्गत, गैर मुस्लिम व्यक्ति कानूनी तौर पर विवाह तभी कर सकते हैं जब उनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, और यदि वे 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो माता–पिता की अनुमति लेना भी अनिवार्य होता है। परन्तु 'इस्लामी पारिवारिक कानून' के तहत मुसलमानों के लिए विवाह हेतु न्यूनतम कानूनी आयु पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष है। इसके अलावा, इससे कम उम्र के व्यक्ति भी, शरिया न्यायाधीश से अनुमति लेकर, विवाह कर सकते हैं। स्थानीय इस्लामी पारिवारिक कानून उन कारकों को चिन्हित नहीं करते हैं जिन पर शरिया अदालतों को अवयस्क विवाहों को स्वीकृति देने, या अपवाद के रूप में विवाह हेतु युवा मुसलमानों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने से पहले विचार करना चाहिए[23]।

इस बात के प्रमाण हैं कि देश में बाल विवाह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2005 से शरिया न्यायपालिका मलेशिया विभाग द्वारा 2005–2010 के बीच मुस्लिम बाल विवाह के लिए दर्ज किये गए आवेदन–पत्रों का वार्षिक औसत 849 था, जो 2011–2015 में बढ़कर 1,029 हो गया[24]। हाल ही में मलेशिया की संसद ने अप्रैल 2017 में बच्चों के खिलाफ़ यौन अपराध विधेयक (Sexual Offence against Children Bill[25]) पारित किया जो 18 वर्ष से काम आयु के सभी व्यक्तियों की यौन शोषण से रक्षा तो करता है लेकिन बाल–विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने में असफल है। कार्यकर्ता इस बात से असंतुष्ट हैं कि जो कानून बच्चों की रक्षा के लिए बना है वह एक नाबालिग़ बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने को, भले ही वह विवाह द्वारा अनुमोदित हो, अपराध मानने में असफल रहा है[26]।

Notes & References

21 Michael Stone, "Islamic Cleric Rules Marital Rape Is No Crime," Progressive Secular Humanist, May 5, 201, accessed May 20, 2017, http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2015/05/islamic-cleric-rules-marital-rape-is-no-crime/#sthash.JCz2D2UU.dpuf.

22 Claudia Derichs and Andrea Fleschenberg, Religious Fundamentalisms and Their Gendered Impacts in Asia(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010), accessed May 20, 2017, http://library.fes.de/pdf-files/iez/07061.pdf.

23 Ida Lim, "Three Things About Child Marriages in Malaysia," April 14, 2017, accessed May 20, 2017, http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/three-things-about-child-marriages-in-malaysia.

24 JKSM and NRD figures from Deputy Women Minister Datuk Azizah Mohn Dun's parliamentary reply, 19 May 2016 (Hansard).

25 "Dewan Rakyat Passes Sexual Offences Against Children Bill 2017," The Star Online, April 4, 2017, accessed May 20, 2017, http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/04/04/dewan-rakyat-passes-sexual-offences-against-children-bill-2017/.

26 Mariam Mokhtar, "Expert: 'The Sexual Offences Against Children Bill 2017; What Next?,'" Rebuilding Malaysia, April 18, 2017, accessed May 20, 2017, https://www.mariammokhtar.com/expert-the-sexual-offences-against-children-bill-2017-what-next/.

फ़िलीपींस / ईसाई धर्म (रोमन कैथोलिकिस्म)[27]

CEDAW	अतिवाद का यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार पर प्रभाव
1980 में हस्ताक्षरित और 1981 में बिना किसी आपत्ति के पारित[4]।	कैथोलिक चर्च और उससे सम्बंधित संस्थाओं के फ़िलीपींस में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हैं। संविधान द्वारा फ़िलीपींस को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताये जाने के बावजूद व्यवहार में यह एक ईसाई राष्ट्र जैसा प्रतीत होता है। उत्तरदायी अभिभावक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिनियम 2012 (Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 and Republic Act No.10354, also known as RH Law)[28] इसका एक ताज़ा उदाहरण है। 13 वर्षों से भी अधिक समय की कठिन लड़ाई के बाद यह विधेयक एक कानून बना जिसने प्रजनन स्वास्थ्य सूचनाओं और सेवाओं की उपलब्धता को अनिवार्य बना दिया। गरीब और हाशिये पर स्थित महिलाओं के लिए इसको सबसे अधिक आवश्यक माना गया। परंतु लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। इस कानून की संवैधानिकता पर गर्भपात–विरोधी समूहों द्वारा जिरह किये जाने के प्रतिक्रियास्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम में जो संशोधन किए उन्होंने गर्भनिरोधकों की आपूर्ति और सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित किया। इसके अलावा, कानूनी और सुरक्षित गर्भपात तथा तलाक़ के ख़िलाफ़ लगातार जारी निषेध, धर्म के प्रभाव द्वारा भड़काए गए विवादित मुद्दे बन गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, शासनात्मक आदेश के तहत मनीला[29,30] में, और अभी हाल ही में सोर्सोगोन (Sorsogon) शहर में, गर्भनिरोधकों की उपलब्धता और वित्तपूर्ति को प्रतिबंधित करने के कई विवरण सामने आये हैं। फ़िलीपींस में ऐसा कोई कानून नहीं है जो समलैंगिकता को अपराध माने; परन्तु साथ ही वहां पर LGBTIQ अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी कोई कानून नहीं है। राज्यसभा विधेयक 1271 (The Senate Bill 1271) या भेदभाव विरोधी विधेयक (Anti-Discrimination Bill) पर 17 साल से विचार–विमर्श चल रहा है और उन्हें अभी तक पारित नहीं किया गया है। यदि यह विधेयक एक कानून के रूप में पारित हो जाता है तो इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि कलंक और घृणा LGBTIQ व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और अन्य मूल अधिकारों को प्राप्त करने से रोक नहीं पाएँगें। परन्तु कैथोलिक चर्च, और साथ ही साथ अनेक विधिकर्ता, इस विधेयक के ख़िलाफ़ हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इसमें "समलैंगिक विवाह घटक"[31] छिपा हुआ है।

Notes & References

27 फ़िलीपींस की 83% जनसँख्या कैथोलिक है (रोमन कैथोलिक 81%, अगलीपयन 2%), 5% मुस्लिम, इंजीलवादी 3%, इग्लेसिआ नि क्रिस्तो 2%, अन्य ईसाई 4%, अन्य धर्म 2%, अनिर्दिष्ट 0.6%, एवं कुछ भी नहीं 0.1% (2000 जनगणना). Indexmundi, "Philippines Demographic Profile 2014," 2015, accessed May 20, 2017, http://www.indexmundi.com/philippines/demographics_profile.html

28 Junice L.D. Melgar and Joy Carrera-Pacete, Understanding Catholic Fundamentalism in the Philippines: How Conservative Religious Teachings on Women, Family and Contraception Are Wielded to Impede the Reproductive Health Laws and Policies (Quezon City and Kuala Lumpur: Likhaan and ARROW, 2017), accessed May 20, 2017, http://arrow.org.my/publication/understanding-catholic-fundamentalism-philippines-conservative-religious-teachings-women-family-contraception-wielded-impede-reproductive-health-law-reproducti/.

29 Center for Reproductive Rights, "Manila City's Contraception Ban," October 29, 2009, accessed May 20, 2017, http://www.reproductiverights.org/press-room/manila-citys-contraception-ban/.

30 "Rappler Talk: PH Liable for Manila's Contraception Ban—UN," Rappler, June 26, 2016, updated July 3, 2015, accessed May 20, 2017, http://www.rappler.com/video/shows/97537-rappler-talk-reproductive-health-payal-shah.

31 Vivean Pallera, "17 Years of Debates on the Anti-Discrimination Bill," April 4, 2017, accessed May 20, 2017, https://thelasallian.com/2017/04/04/17-years-of-debates-on-the-anti-discrimination-bill/

यह समीक्षा, इन देशीय अवलोकनों के माध्यम से यह उजागर करती है कि धर्म का प्रभाव – अपनी संकीर्ण व्याख्यायों और अतिवाद सहित – बहुत व्यापक है और निजी एवं सार्वजनिक जीवन में व्याप्त है। इसके प्रभाव महिलाओं और अधिकारहीनों के पूरे जीवन चक्र पर पड़ते हैं, यह प्रणालीगत है और गहन रूप से संस्थागत है। राष्ट्र और धर्म में कोई वास्तविक विभाजन नहीं है – उन देशों में भी नहीं जो धर्म–निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त, धर्म के कारण कुछ समूहों का दूसरों के ऊपर प्रभुत्व और अधिक ठोस हो जाता है, जो समुदाय के पारस्परिक व्यवहार और जन धारणाओं को भी प्रभावित करता है, समुदाय के भीतर और बाहर के अलगाव को परिभाषित करता है, तथा कुछ लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार के लिए औचित्य प्रदान करता है। धर्म, राष्ट्रीय पार्टियों को एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराता है – कतिपय नागरिकों के प्रति सिलसिलेवार भेदभाव को और उत्तरदायित्व के अभाव को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए। अधिकार धारकों की तुलना में धर्म को अधिक ऊँचा दर्जा दिया जाता है, धर्म को जीवन के ऐसे रूप में देखा जाता है जो अभ्रांत और अपरिवर्तनीय है। धर्म राष्ट्रों को इस बात की अनुमति देता है कि वे मानवाधिकार सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों को लगातार सीमित कर सकें और सभी व्यक्तियों को सेवा देने के प्रावधान को नकार सकें।

...धर्म का प्रभाव – अपनी संकीर्ण व्याख्यायों और अतिवाद सहित – बहुत व्यापक है और निजी एवं सार्वजनिक जीवन में व्याप्त है। इसके प्रभाव महिलाओं और अधिकारहीनों के पूरे जीवन चक्र पर पड़ते हैं, यह प्रणालीगत है और गहन रूप से संस्थागत है। राष्ट्र और धर्म में कोई वास्तविक विभाजन नहीं है – उन देशों में भी नहीं जो धर्म–निरपेक्ष होने का दावा करते हैं।

अनुशंसा

- राष्ट्रों को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को हटा देना चाहिए, और धार्मिक गुटों के अधिकारों की रक्षा (या फिर कुछ धार्मिक गुटों के अधिकारों की औरों के मुकाबले अधिक रक्षा) सम्बन्धी आरक्षणों को मानवाधिकार संधियों, जिसमें CEDAW भी शामिल है, से बाहर निकाल देना चाहिए।

- राष्ट्रों को मानवाधिकार तंत्र की शर्तों को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और अधिकार धारकों के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए, और साथ ही ऐसी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करनी चाहिए जो इन आवश्यकताओं को परिचालित कर सकें

- राष्ट्रों को कानून, नीतियों, और संस्थानों पर पड़ने वाले धर्म के प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त न सही पर न्यूनतम तो करना ही होगा। साथ ही समानांतर कानूनी व्यवस्थाओं, भेदभाव पूर्ण कानून और नीतियां – वे भी जिनको धर्म न्यायोचित ठहराता है – जो कुछ लोगों को औरों के मुकाबले अधिक निशाना बनाती हैं, और वे भी जो धर्म और धार्मिक भावना के आधार पर वैध मानी जाती हैं, को भी समाप्त करना होगा।

- राष्ट्र अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को धर्म के राजनीतीकरण, और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक समर्थन और सत्ता हासिल करने के लिए धर्म के प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें धार्मिक कर्ताओं को मान्यता न देना और उन्हें राष्ट्रीय नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रभावित न करने देना भी शामिल है।

- राष्ट्रों को धर्म की प्रगतिशील व्याख्याओं को मुख्यधारा में लाना चाहिए और बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद, विविधता और गैर–भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए – न केवल विभिन्न समुदायों के बीच बल्कि समुदायों के भीतर भी और हाशिये पर स्थित लोगों के लिए भी।

अज़रा अब्दुल क़ादिर और मंगला नमासीवायम द्वारा संकलित
प्रोग्रैम मैनेजर्स, ऐरो | ईमेल: azra@arrow.org.my | ईमेल: mangala@arrow.org.my

ऐरो संपादकीय समूह

सिवानंथी थानेंथिरान, कार्यकारी निदेशक

मारिया मिलिंडा एंडो, ऐरो फ़ॉर चेंज प्रबंध संपादक; प्रकाशनों, संचार और पैरवी के लिए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी

अज़रा अब्दुल क़ादर, कार्यक्रम प्रबन्धक; निगरानी और परिवर्तन के लिए साक्ष्य उत्पत्ति

मंगला नमासिवायम, सूचना और संचार के लिए कार्यक्रम प्रबन्धक

हिन्दी अनुवाद

अनुवाद एवं संपादनः शोभा शुक्ला, प्रबंध सम्पादक, सिटिज़न न्यूज़ सर्विस (सीएनएस)

हिन्दी अनुवाद समीक्षकः परोमा साधना

हिन्दी खाका सृजनः मैजिक बीन डिज़ाइन

बाहरी समीक्षा विशेषज्ञ

चयनिका शाह, कुइर नारीवादी कार्यकर्ता, सदस्य – फ़ोरम अगेन्स्ट ओप्रेशन ऑफ वीमेन (Forum Against Oppression of Women) and LABIA - एक कुइर नारीवादी LBT समूह, इंडिया

जेफ़री अकाबा, शिक्षा और पैरवी अग्रणी, एशिया पेसिफ़िक नेटवर्क ऑफ यंग की पोपुलेशन्स (Asia Pacific Network of Young Key Populations) (युवा नेतृत्व)

जेनिफ़र विनास फ़ोर्केड, युवा समूह (Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes) (LAC Youth Alliance), और घेंट यूनिवर्सिटी में शोध छात्र

मैरी रेसलिस, प्रोफेशनल लेक्चरर, समाजशास्त्र और नृविज्ञान विभाग, अनुसंधान वैज्ञानिक, फ़िलिपीन संस्कृति संस्थान

नईमा ख़ान, नारीवादी, जेंडर और मानवीय विश्लेषक, यूएन वीमेन फ़िजी बहुराष्ट्रीय कार्यालय (UN Women Fiji Multi-Country Office)

रषीदा शुइब, शैक्षणिक–कार्यकर्ता, और प्रोफ़ेसर, स्कूल ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (पीपीएसके), यूनिवर्सिटी सेन्स मलेशिया

रीमा अतहर, कोऑर्डिनेटर, कोएलिशन फ़ॉर सेक्सुयल एंड बौडिली राइट्स इन मुस्लिम सोसाइटीस (Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies - CSBR)

रुपांकन

निकोलेट मलारी, खाका सृजन
चिमेरा एसडीइन., बीएचडी., नमूना
कवर फ़ोटोग्राफ़ी थेस्कामान 306 / शटरस्टॉक

हम निम्नलिखित वर्तमान और पूर्व ऐरो (ARROW) स्टाफ और कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस बुलेटिन की संकल्पना के दौरान अपने विचारों का योगदान किया: **बिप्लबी श्रेष्ठा, ब्रिजेट वुड्स, एरिका सेल्स, नलिनी सिंह, ओटगोनबाटार सेडेण्डेम्बेरेल, रेचेल ऐरिनी, सचिनी पेरेरा, सुंदरी रवीन्द्रन और ताबिंदा सरोश।**

यह कार्य Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। इस लाइसेन्स की एक कॉपी को देखने के लिए देखें: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ प्रकाशित सामग्री के किसी भी भाग की फ़ोटोकोपी की जा सकती है, पुनर्प्राप्त, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहित, या किसी भी तरीके से किसी भी रूप में संचारित, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग़ैर–वाणिज्यिक और ग़ैर–लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुकूलित या अनुवादित किया जा सकता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सभी प्रकार की प्रतियाँ, प्रतिकृतियाँ, रूपांतरों और अनुवादों को ऐरो को एक स्रोत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रकाशन, अनुकूलन और / या अनुवाद की एक प्रतिलिपि ARROW को भेजी जानी चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के मामलों में ARROW की अनुमति के लिए यहाँ पर संपर्क करें: arrow@arrow.org.my ।

ARROW फ़ॉर चेंज (AFC) सहकर्मियों द्वारा समीक्षित विषय आधारित बुलेटिन है जिसका उद्देश्य दक्षिणी / एशिया–पैसिफ़िक में अधिकारों पर आधारित, और महिलाओं पर केन्द्रित विश्लेषणों तथा स्वास्थ्य, यौनिकता और अधिकारों से संबन्धित उभरते हुए और सतत मुद्दों पर वैश्विक संवाद के परिप्रेक्ष्य में योगदान करना है। AFC वर्ष में दो बार अंग्रेज़ी में प्रकाशित होता है और वर्ष में कई बार चयनित एशिया / पैसिफ़िक भाषाओं में अनुवादित किया जाता है। यह मूल रूप से महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य, जनसंख्या और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर कार्य करने वाले एशिया–पैसिफ़िक क्षेत्र के संगठनों और वैश्विक निर्णयकर्ताओं के लिए है। यह बुलेटिन एशिया पैसिफ़िक क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संगठनों व ARROW SRHR Knowledge Sharing Center (ASK-us!) के सहयोग से तैयार किया जाता है।

शुल्क सम्बंधी मामलों के लिए कृपया afc@arrow.org.my पर लिखें। प्रकाशन के आदान–प्रदान का हमेशा स्वागत है। AFC के सभी प्रकाशन www.arrow.org.my पर मुफ़्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं। बुलेटिन को EBSCO द्वारा वैश्विक स्तर पर भी वितरित किया जाता है।

इस हिन्दी अनुवाद के लिए फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है।

इस प्रकाशन के अंग्रेज़ी संस्करण की रचना "यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के लिए एक एशिया पेसिफ़िक तंत्र की नेटवर्किंग, ज्ञान, प्रबंधन तथा पक्षसमर्थन / वकालत की क्षमताओं का सुदृणीकरण" (Strengthening the Networking, Knowledge, Management and Advocacy Capacities of an Asia-Pacific Network for SRHR) करने हेतु पहल करने के अंतर्गत की गयी है, जिसे ऐरो ने यूरोपियन यूनियन (European Union) की सहायता से कार्यान्वित किया है. इस प्रकाशन में अभिव्यक्त विचार योगदाताओं के हैं तथा वे किसी भी प्रकार से दानकर्ता / डोनर के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं.

ऐरो का कार्य भी फ़ाउनडेशन फ़ॉर अ जस्ट सुसाइटी – एफ़.जे.एस. (Foundation for a Just Society - FJS) द्वारा प्रदान की गयी मूल निधि के कारण संभव हो सका है। योगदान के बारे में प्रतिपुष्टि और पूछताछ का स्वागत है। कृपया उन्हें भेजें:

The Managing Editor, *ARROW for Change*
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
No. 1 & 2 Jalan Scott, Brickfields
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +603 2273 9913 | Fax.: +603 2273 9916
Email: afc@arrow.org.my, arrow@arrow.org.my | **Website:** www.arrow.org.my
Facebook: https://www.facebook.com/ARROW.Women
Follow us on Twitter: @ARROW_Women | **YouTube:** ARROWomen